दशम माला, खण्ड 29, अंक 18

मंगलवार, 29 मार्च 1994
8 चैत्र, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

नवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 29 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

29 मार्च, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद

के हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची	9	के	को
4	नीचे से 3	BJP	भाजपा
19	16	(MAMS)	(एम ए एम एस)
29	नीचे से 4	Punta del Este	पन्टा डेल एस्टे
30	नीचे से 9	Punta del Este	पन्टा डेल एस्टे
81	1	श्री जार्ज फर्नान्डीज मुजफ्फरपुर)	श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर)

विषय सूची

दशम माला खंड 29,	नवां सत्र, 1994/1915-1916 (शक)
अंक 18,	मंगलवार, मार्च 29, 1994/चैत्र 8, 1916 (शक)

विषय	पृष्ठ
बुल्गारिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
पुलिस द्वारा संसद सदस्यों को तंग किये जाने के संबंध में	1-6
नियम 193 के अधीन चर्चा	6-114
बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के उरुगवे चक्र के परिणामों के मूर्तिरूप देने वाले अंतिम अधिनियम पर चर्चा	
श्री रूपचन्द पाल	6-18
श्री मणि शंकर अय्यर	18-35
श्री जसवन्त सिंह	35-72
डा० देवी प्रसाद पाल	72-78
श्री जार्ज फर्नान्डीज	78-95
श्री भोगेन्द्र झा	95-108
श्री शोभनाद्रीश्वर राव	108-114

लोक सभा

मंगलवार, 29 मार्च 1994/चैत्र 8, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

11.00 म० प०

[अनुवाद]

बुल्गारिया के शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है। अपनी ओर से तथा सभा के सदस्यों की ओर से मुझे बुल्गारिया के नेशनल असेम्बली के चेयरमैन, महामहिम श्री एलेकजेंडर योरदाशेव और बुल्गारिया के संसदीय शिष्टमंडल, जो हमारे सम्माननीय अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आये हैं, का स्वागत करने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्य निम्न हैं :

1. श्री योरदन श्कोलागेरस्की
2. श्री क्रासिमिर प्रेमियानोव
3. सुश्री ग्लात्का राउसेवा
4. श्री इब्राहिम तटारला
5. प्रो० योरदन तोदोरोव

शिष्टमंडल दिल्ली में 27 मार्च, 1994 को सायं आया। दिल्ली आने से पूर्व शिष्टमंडल ने कलकत्ता और हैदराबाद की यात्रा की। इस समय आप उन्हें विशेष बॉक्सों में बैठे हुए देख रहे हैं। हमारी कामना है कि हमारे देश में उनका प्रवास खुशीभरा और लाभप्रद हो। उनके माध्यम से हम बुल्गारिया गणतन्त्र के नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष, सरकार तथा वहां के अपने मित्रों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

11.03 म० प०

पुलिस द्वारा संसद सदस्यों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में

[हिन्दी] .....(व्यवधान).....

श्री नीतिश कुमार (बाढ) : अध्यक्ष महोदय, बहुत दुख की बात है कि पुलिस हमारे घरों में घुस रही है और हमें तरह-तरह से तंग किया जा रहा है। हम इस बात को आपके नोटिस में लाना चाहते हैं। हमारी पार्टी

का संसद के सामने प्रदर्शन का प्रोग्राम है। पुलिस के पास कोई सर्च वारंट नहीं है। ...(व्यवधान)... चव्हाण साहब हंस रहे हैं। हम संसद सदस्य हैं, बिना वारंट के कैसे हमारे घरों में घुसकर तलाशी की जा रही है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। क्या संविधान के मुताबिक हम को प्रदर्शन करने का और अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है ? 29 और 30 तारीख को हम डंकल पर बहस करने जा रहे हैं। पुलिस हमारे घरों में घुस कर हमें तंग कर रही है। हमारे क्षेत्र के लोग इलाज के समय हमारे यहां आकर ठहरते हैं। मरीजों को इससे परेशानी हो रही है। इस प्रकार की कार्यवाही बंद की जाये। यह बर्दाश्त के बाहर की बात है। सरकार को निश्चित रूप से निर्देश दिया जाये ....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : आपके कहने पर स्पैशल सैशन बुला कर चर्चा करने का आपको अवसर दिया है।

श्री नीतिश कुमार : इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जो एजेंडा में है, उसको छोड़ कर बाकी विषय पर बोलने के लिये हम को गर्व नहीं होना चाहिऐ।

श्री नीतिश कुमार : हमारे घरों में पुलिस वाले घुस रहे हैं। बिना वारंट के पुलिस वाले घुस रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी यह बात बहस में भी कह सकते हैं।

श्री नीतिश कुमार : संसद सत्र चालू है। इस प्रकार से संसद सदस्यों को परेशान किया जा रहा है। सरकार यहां बैठी हुई है। इस प्रकार की चीजें कैसे बर्दाश्त होंगी ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे दूरदर्शन से प्रसारित नहीं किया जायेगा।

श्री नीतिश कुमार : हमें आज इससे बहुत पीड़ा हो रही है। आप समझ रहे हैं कि टी. वी. में प्रचारित करने के लिये हमें इसे कह रहे हैं। हम अपनी पीड़ा को आपके सामने कह रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसे कुछ मामले हैं जिन्हें कार्यवाही वृतान्त से निकाल सकता हूं। मैं नही समझता कि आप इसे नियमों के अनुसार उठा रहे हैं :

....(व्यवधान)....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके कहने से स्पैशल सैशन बुलाया गया है। दूसरे इशू आज उठा रहे हैं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इस सवाल को उठाने का हमारा विचार नहीं था। एक घर में नहीं बल्कि हरेक घर में पुलिस जा रही है। चव्हाण साहब बैठे हुए हैं। पुलिस कई तरह के सवाल पूछती है। यह घेराव शांतिपूर्ण है। हम हिंसा का रास्ता नहीं अपना रहे हैं। घर में घुस कर सर्च करना और रात-दिन घेरा डालना उचित नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देकर कुछ कहना चाहिये। एम. पीज. को

चारों तरफ से फोन आ रहे हैं। हर जगह पुलिस उनहें रोक रही है। ठहरने और पंडाल लगाने से रोक रही है। यह ठीक बात नहीं है। आपने बोट क्लब बंद करवा दिया। अब हमारे घरों में ठहरे लोगों को भी आप ठहरने से रोक रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप कंटफ्रंटेशन के लिये एक और मुद्दा तैयार कर रहे हैं। इस सवाल को गम्भीरता से लेना चाहिये। चव्हाण साहब को इस पर जरूर कुछ कहना चाहिये। यह किस तरह का काम सरकार ने चलाया हुआ है। हमारे घर में लोग आकर ठहरे हैं और पंडाल लगा कर बैठे हुए हैं। वे हिंसा करने नहीं आये हैं। इस मामले में हमारे और आपके बीच गम्भीर मतभेद हैं। देश किधर जा रहा है, इस पर गम्भीर मतभेद हैं। हम शांतिपूर्ण ढ़ंग से सत्याग्रह का रास्ता अपनाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने भाषण में ये बाते कह सकते हैं।

श्री शरद यादव : सरकार नहीं बोलेगी तो मेरे बोलने का क्या मतलब रहेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप जो बात उठा रहे हैं, वह अपने भाषण में भी कह सकते हैं।

श्री शरद यादव : अगर सरकार कुछ कहना नहीं चाहती है तो इसका क्या मतलब है ?

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय जहां तक हमारी जानकारी है, यहां सभा में लगाये जा रहे आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। ....**(व्यवधान)**....

श्री जार्ज फर्नान्डीज : (मुजफ्फरपुर) यह क्या बात हो रही है ? मेरे यहां से लोगों को उठा उठाकर ले गये है ....**(व्यवधान)**....

श्री नीतिश कुमार : यह क्या बात कर रहे हैं ? ....**(व्यवधान)**.... मेरे यहां सुबह 4 बजे लोगों को जगा दिया गया और यह कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : असम से आये हुए लोग मेरे घर से लौटाये गये हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय क्या मैं अपनी बात पूरी करूं ? ....**(व्यवधान)**....

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप यह कैसे कह सकते हैं ? ....**(व्यवधान)**....

[हिन्दी]

(श्री विद्याचरण शुक्ल) : मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो कहना है, वह कहिये। पहले इनको मेरी पूरी बात सुननी चाहिए।

अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि जहां तक हमारी सूचना है, ऐसी बात नही है पर इसके बारे में गृह मंत्री जी पूरी सूचना एकत्रित करेंगे और यह देखेंगे कि इस तरह की कोई घटना कभी न हो। हम लोग नहीं चाहते कि ऐसी कोई घटना हो लेकिन ऐसी कोई घटना यदा-कदा हुई भी होगी तो उसको रोकने का प्रयास किया जायेगा और ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई काम करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। इसलिए माननीय सदस्यों को यह मानकर चलना चाहिए कि यदि कुछ ऐसा हुआ भी होगा तो वह आगे चलकर नहीं होगा और उसका रोका

जायेगा। इस तरह की सरकार की कोई मंशा नहीं है पर जहां तक अभी हमारे पास सूचना है, न सरकार की तरफ से ऐसे कोई निर्देश दिये गये, न कोई ऐसी घटना हुई है इसलिए इसको यहीं पर रोककर हम लोग अपनी डिबेट शुरू करेंगे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है।

श्री नीतिश कुमार : हमको पागल कुत्ते ने काटा है कि हम ऐसे ही सदन में बोल रहे हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय सदस्यों से पूछ सकता हूं कि अपने समक्ष प्रस्तुत महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के इच्छुक हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह महत्वपूर्ण विषय है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। कृपया उनसे कहिये। ....(व्यवधान)....

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, इश्यू खाली रेलगाड़ी से...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊं कि आपके कहने पर इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय सामने रखा है, जिसका असर पूरे देश के ऊपर 50 साल तक होने वाला है। ऐसे विषय को छोड़कर अगर आप इस प्रकार से कर रहे हैं...

....(व्यवधान)....

श्री राजवीर सिंह : मेरा कहना यह है कि अभी हमारे संसद् सदस्य के घर पर ....(व्यवधान)... अध्यक्ष जी, माननीय संसद श्री सत्यदेव सिंह के घर पर उनकी पत्नी को फोन आया और फोन पर यह कहा गया कि तुम्हारे परिवार में से हमको एक मारना है। बोलो, तुम अपने पुत्र को मरवाना चाहती हो या अपने पति को। इस प्रकार की धमकी संसद् सदस्य को घर पर फोन पर आई और यह सरकार को उन्होंने लिखकर दिया, इससे पहले भी लिखकर दिया, सारी चीजों की लिखा-पढ़ी की गई।

नवम्बर के चुनाव में इनपर गोली चलाई गई, इनके गोली सीना पार करके निकल गई, यह अस्पताल में पड़े रहे। अगर इनका शैडो नही होता तो इनकी भी हत्या हो जाती। अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में, होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, कोई ला एण्ड आर्डर नाम की चीज नहीं रह गई है। राजनैतिक बदले लेने के लिए लोगों पर हमले किये गये हैं। काशीपुर के विधायक राजीव अग्रवाल को बदमाश रेलगाड़ी के अन्दर आकर मरा जानकर छोड़ गये। वह उनके शैडो का रिवाल्वर छीकर ले गये। दो गोलियां उनके लगी और दो गोलियां उनके शैडो को लगी।

मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में होम मिनिस्टर साहब कुछ दखल देंगे ? आपने एक मिनट में BJP की सरकार बर्खास्त कर दी थी लेकिन आज न जाने कितने लोगों के प्राणों को खतरा पैदा हो गया है, हत्याऐ हो रही हैं, वहां आगजनी हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है, पार्लियामेंट के मैम्बरों को धौंस दी जा रही है और उनको यहां तक कहा जा रहा है

कि आप हमारे दल में आ जाइये, तब हम आपकी सुरक्षा करेंगे।*** आप इसपर क्या दखल देंगे ? होम मिनिस्टर साहब इसपर बयान देंगे कि नहीं देंगे ?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : महोदय, मैं नहीं समझता कि आप मुझसे उत्तर देने को कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आता कि जो माननीय सदस्य यह मुद्दा उठा रहे हैं, उन्होंने ही सभा में इस प्रकार के मुद्दों को उठाने पर आपत्ति की थी। मैं नहीं समझता कि यह व्यवस्था के अनुरूप हो रहा है। मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री को इसका उत्तर देना आवश्यक है।

....(व्यवधान)....

श्री पी. जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय महत्व का एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका "सन्डे" ने "प्लेइंग" विध टाइगर्स" शीर्षक से आघात पहुंचने वाले समाचार का रहस्योद्घाटन किया है कि अनुसन्धान और विश्लेषण विंग के छः कर्मचारी प्रधान मंत्री की हाल ही की लन्दन यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूरोप में लिट्टे से मिले थे। समाचार में आगे बताया गया है कि पेरिस में लिट्टे के प्रवक्ता लारेंस तिलेगर ने बदले में लिट्टे से प्रतिबन्ध उठाने की मांग की थी। यह एक गम्भीर मामला है, जो देश की सुरक्षा से जुड़ा है। तमिलनाडु में भारी संकट तथा कानून व व्यवस्था की समस्या पैदा करने के कारण लिट्टे पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। लिट्टे की गतिविधियों पर अब रोक लगी है और उन्हें अब प्रायः समाप्त कर दिया गया है। निस्सन्देह, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने अपने जीवन को खतरे में डालकर लिट्टे को समाप्त करने के लिए उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ा हुआ है। उनका नाम लिट्टे की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। वह व्यक्तिगत कारणों से नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित के लिए लिट्टे का विरोध कर रही हैं। यदि इस समय लिट्टे पर से प्रतिबन्ध उठा लिया गया तो इससे न केवल तमिलनाडु के लिए बल्कि सारे राष्ट्र के लिए निश्चित तौर पर समस्याएं पैदा होंगी।

अनुसन्धान और विश्लेषण विंग के कर्मियों का इस प्रकार का गुप्त सौदा हमारे राष्ट्र के हित तथा प्रभुसत्ता के विरुद्ध होगा। श्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में श्री प्रभाकर को विशेष जांच दल ने पहले ही एक अपराधी घोषित किया है। अतः हमारे राष्ट्र की प्रभुसत्ता की सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार को लिट्टे को तमिलनाडु में पुनः छूट नहीं देनी चाहिये। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री निरन्तर प्रधानमंत्री से आग्रह करती आ रही हैं कि लिट्टे पर कम से कम दो वर्षों की अवधि के लिए और प्रतिबन्ध लगाया जाये। लिट्टे के कुत्सित इरादों की भलीभांति जानकारी होते हुए भी प्रधान मंत्री की सुरक्षा का बहाना बनाकर लिट्टे से समझौता करना राष्ट्र के हित के लिए अनुचित है।

*** अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाला गया।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया जाये,

अध्यक्ष महोदय : क्या हम कार्य सूची में दर्ज मामले को उठायें ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

11.19 म० प०

नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : अध्यक्ष महोदय, एक नई विश्व व्यवस्था उभर रही है और आज विभिन्न सरकारों द्वारा लिये गये निर्णयों के भावी पीढ़ियों के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। यह बात हमारे लिए भी सही है।

आज की उभरती हुई विश्व व्यवस्था असमान, अन्यायपूर्ण और अनुचित होगी। यह विकसित देशों, धनी राष्ट्रें, विशेष रूप से जी०-7 के देशों के पक्ष में तैयार की जायेगी और दूसरी ओर तीसरी दुनियां के करोड़ों लोग इससे वंचित रहेंगे। बहुपक्षीय व्यापार संगठन अथवा विश्व व्यापार संगठन, जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के साथ जुड़ रहे हैं, की नई तिकड़ी तीसरे स्तम्भ के प्रभुत्व के परिणामस्वरूप कष्ट और दुख पुन: बढ़ जायेंगे।

लगभग 10 अथवा 15 अथवा 20 वर्ष पूर्व यह पूर्णत: भिन्न विश्व था। यहां तक कि दिल्ली में नई आर्थिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए गुटनिरपेक्ष देशों की बैठक हुई थी।

किन्तु इन कुछ वर्षों के दौरान विश्व में काफी परिवर्तन हुए हैं। महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और जो परिदृश्य तेजी से उभर रहा है वह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए लाभदायक नहीं है। मन्दी से प्रभावित औद्योगिक देशों को विकासशील देशों में बाजार की आवश्यकता है। उनके पास पूंजी है; उनके पास प्रौद्योगिकी है। जैव प्रौद्योगिकी विकास के कारण उनकी कृषि ऐसी स्थिति में आ गई है, उनके पास फालतू खाद्यान्न है। यह उत्पादन और निर्यात दोनों के लिए पारम्परिक अधिक राजसहायता की दर के साथ जुड़ा हुआ है–जिससे विश्व में समस्या पैदा हो गयी है। नि:सन्देह, यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार में विकासशील देशों का कोई भी स्थान नहीं है। भारत जैसे देश के लिए, जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, विश्व कृषि व्यापार में समान भागीदारी के लिए लम्बे संघर्ष के बाद यह आशा करना स्वाभाविक ही है कि भारत को कुछ लाभ होगा। यह स्वाभाविक है कि धनी किसान, जिनके पास फालतू खाद्यान्न होता है और जो अपने लिए निर्यात सुविधाएं खोलना चाहते हैं, यह आशा कर सकते हैं कि बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के उरुग्वे दौर के परिणामों को रेखांकित करने वाले अन्तिम अधिनियम को स्वीकार करने के बाद उन्हें लाभ होगा। भारत के किसानों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य विकासशील देशों के किसानों के लिए भी प्रत्याशा करना स्वाभाविक है। किन्तु हमें इन अन्त: सम्बन्धों, समझौतों के बीच के अन्त: सम्बन्धों तथा समझौतों में किये गये अन्त: सम्बन्धों की गहन जांच करनी है।

अब मैं उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आता हूं जिसका प्रचार लोगों में गलतफहमी पैदा करने के लिए किया जा रहा है कि भविष्य में भारत, भारत के किसान पूर्णत: लाभान्वित होंगे, और भारतीय कृषि उत्पादों का निर्यात

बढेगा। हम शिकायत कर रहे हैं कि औद्योगिक देश निर्यात के लिए अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तथा कई अन्य प्रकार से अधिक राजसहायता दे रहे हैं हम आशा करते हैं कि यदि राज सहायता में कुछ हद तक कमी लायी जाये और परिमाणात्मक प्रतिबन्ध हटा कर तथा नए शुल्क ढांचे का सहारा लिया जाये तो इससे भारत जैसे देश और अन्य विकासशील देशों के लिए औद्योगिक देशों में भी बाजार खुल जायेंगे। किन्तु मेरा मुद्दा यह है कि वे बहुत अधिक राजसहायता दे रहे हैं। मान लिया जाय कि वे छः वर्षों के लिए इसे 36 प्रतिशत तक कम कर दें। किन्तु वे 100 प्रतिशत; 200 प्रतिशत; 300 प्रतिशत; 500 प्रतिशत राजसहायता दे रहे हैं और यह अभी भी इतनी ही अधिक रहेगी। क्या हमें प्रतिस्पर्धा करनी होगी ? हम कहां प्रतिस्पर्धा करेंगे ? भारत जैसे देश के लिए खाद्यान्न के क्षेत्र में सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हमने गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे करोड़ों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। उनके लिए भोजन सुनिश्चित करना है। हम किन-किन वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं। मैं इस पर बाद में बोलूंगा।

दूसरी बात यह है कि भारतीय वस्तुओं की उत्पादन लागत वर्षों तक बढ़ती जायेगी। आज भारतीय परिस्थितियों में उत्पाद विशेष राजसहायता और गैर उत्पाद विशेष राजसहायता पर ए. एम. एस नकारात्मक हो सकता है।

लेकिन यदि आप गत दशक के आंकड़ों को देखें तो सिंचाई और विद्युत में कई गुना, आठ गुना, नौ गुना वृद्धि हुई है और इसमें और भी वृद्धि होगी क्योंकि आप निजी क्षेत्र और विद्युत के क्षेत्र में निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों को 16 प्रतिशत गारंटीशुदा लाभ से कम नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार के गारंटीशुदा लाभ से विद्युत के दर में अत्यधिक वृद्धि होगी जिससे आदान के लागत में भी वृद्धि होगी और इसके परिणामस्वरूप पानी के दर, उर्वरको के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होगी जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अन्य के निर्देश पर किया गया है ताकि वितीय घाटा आदि को कम किया जा सके और राजसहायता में कटौती की गई है। उत्पादन लागत में भी वृद्धि होगी और इसके परिणाम स्वरूप हमारे कृषि उत्पाद प्रतिस्पर्धी नहीं रह सकेंगे।

इसके बाद राजसहायता का योग करने का प्रश्न उठता है। राजसहायता का योग करना एक खतरनाक बात है। मान लीजिए वे चाहे यूरोपीय देशों में चावल का आयात न किया जाये। लेकिन डेयरी के क्षेत्र में भारत और ऐसे ही अन्य देश प्रतिस्पर्धा में नहीं आ सकते हैं। तो वे क्या करेंगे ? वे इसका योग इस प्रकार करेंगे कि उन क्षेत्रों जिनमें विदेशी स्पर्धा हो सकती है उनके लिए राजसहायता दें। वे उन क्षेत्रों में राजसहायता को कम करेंगे जिनमें उनकी स्पर्धा नहीं है। यह असमान और अन्यायपूर्ण होगा। हम कभी-भी स्पर्धा में नहीं उतर पाएंगे।

फिर इस प्रावधान में दूसरा खतरा भी है जिसे राजसहायता कम करने के क्षेत्र में नहीं रखा गया है। यह क्या है ? इससे आय समर्थन को अलग किया गया है। मूल्य बढ़ाए रखने के लिए वे अपना उत्पादन कम करने का प्रयास कर रहे हैं। वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं और वे अतिरिक्त उत्पादन करते हैं न कि हमारी तरह खाद्य सुरक्षा के लिए। जबकि वे किसानों को अपना उत्पादन कम करने और नियंत्रित करने के लिए कह रहे हैं वे आय समर्थन को अलग करके अप्रत्यक्ष रूप से राजसहायता दे रहे हैं जिसे वे मामले की समीक्षा होने के बाद भी लम्बे समय तक जारी रखेंगे। यह राजसहायता के क्षेत्राधिकार में नहीं है। भारतीय उत्पाद किस तरह प्रतिस्पर्धात्मक बनेंगे ? अंतर-संबंध पर गौर करें। यदि आप इसे अलग करके देखें तो राजसहायता कम करने से

और रास्ते खुलेंगे। हमारा बाजार में और अधिक पहुंच होगी जिसकी हम मांग करते रहे हैं लेकिन वास्तव में हम यदि समझौता के प्रावधानों के निहितार्थ पर गौर करें तो हम यह पाएंगे कि हम कभी भी प्रतिस्पर्धी नहीं बन सकेंगे। हम क्या निर्यात करें।

किस भारतीय उत्पाद का निर्यात करें ? हमारे कृषि-जलवायु क्षेत्रों के कारण हम फल, सब्जियां, उद्यान उत्पादों और इसी प्रकार के अन्य वस्तुओं का निर्यात कर पाते हैं। भविष्य में भी उत्तर के विकसित देशों की हम पर हमारे जलवायु के कारण निर्भर होना होगा। लेकिन उन क्षेत्रों में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे पेप्सी, हिन्दुस्तान लीवर, आई. टी. सी. आदि का वर्चस्व होता जा रहा है।

फिर हमारी हरित क्रांति में उन क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था। हमारी हरित क्रांति गेहूं, चावल, खाद्य तेलों तक ही सीमित रही और वह भी पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ही प्रभावी रही। स्वभाविक तौर पर कौन-कौन से मद है जिनमें हमें निर्यात बढ़ाने का अवसर है ? किसानों को आरम्भिक सुविधाएं प्रदान करने का क्या परिणाम होगा ? इस एक या दो प्रतिशत अतिरिक्त आपूर्ति के कारण मूल्यों में भारी गिरावट आयेगी। आज भी कुछ कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अधिक हैं। हम इस संबंध में आशावान हैं। इन सब के तुरंत बाद विकासशील देशों के सीमित योगदान से ही अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में तेजी से कमी आएगी।

यह हमारे लिए कभी भी लाभदायक नहीं होगा लेकिन अतिमहत्वपूर्ण बात यह है कि एक संप्रभु सरकार होने के नाते क्या हमें अपनी राजसहायता निर्धारित करने का अधिकार नहीं है ? हमारे मामले में अधिकतम सीमा उनके द्वारा निर्धारित की गया है और उनके मामले में वे राजसहायता में कुछ ही प्रतिशत की कमी कर रहे हैं। वास्तव में वे राजसहायता की अधिक दर रेते रहेंगे।

महोदय, एक समय में उत्पादन लागत में वृद्धि होगी। आज तक यह सच है कि ए. एम. एस के आंकड़ों के अनुसार हमारी कुल राजसहायता निषेधात्मक और यह 19,800 करोड़ रुपये के लगभग है। हम कह सकते हैं कि हम राजसहायता में कटौती नहीं कर रहे हैं। आपको किसने कहा कि राजसहायता कम की जा रही है ? आप यह कह करके कुप्रचार कर रहे हैं भ्रांति फैला रहे हैं कि आप राजसहायता में कटौती नहीं कर रहे हैं। आप से किसने यह कहा ? इस बात पर आपकी किसी ने आलोचना नहीं की है। परिणाम यह होगा कि उत्पादन लागत में वृद्धि होगी और सरकार को कमी भी यह अधिकार नहीं मिल सकेगा, यह अपनी ही जनता के लिए राजसहायता निर्धारित करने के अधिकार को खो देगी।

महोदय, यह अंतिम रूप से तैयार अधिनियम जिसमें परिणाम हैं एक ऐसा दस्तावेज है जो भारत जैसा देश फिर से उपनिवेश बन जायेगा। यह पुनः उपनिवेशीकरण का मामला होगा और कुछ नहीं। फिर भी टी० वी० और नियंत्रित प्रचार माध्यमों के माध्यम से संघर्ष जारी है, मंत्री और अन्य लोग यह समझाने की कोशिक कर रहे हैं कि इससे हमारी संप्रभुता प्रभावित नहीं होगी। अमरीका और उसके मित्र देश जो विकासशील देशों या भारत जैसे देशों को आर्थिक तौर पर गुलाम बनाना चाहते हैं, उनकी चालों के समक्ष बेशर्मी से घुटने टेकने के बाद वे लगातार गलत जानकारी देने के अभियान में जुटे हैं और भ्रमित कर रहे हैं, जहां वे जनता को आश्वस्त नहीं कर

पाते हैं तो वे उन्हें भ्रमित करना चाहते हैं। और किस तरह मैं सरकार की गतिविधियों को बताऊं अथवा उनका उल्लेख करूं ?

महोदय, एम. टी. ओ. घोषणा के पहले पैरा में यह कहा गया था कि यह जनता के जीवन के स्तर में सुधार लाने के लिए है। पूर्ण रोजगार देने के लिए है, वास्तविक आय और मांग में अत्यधिक और सतत वृद्धि करने के लिए है, तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के क्षेत्र में उत्पादन एवं व्यापार बढ़ाने के लिए है। इसमें परस्पर लाभकारी व्यवस्था जिसमें सीमा शुल्क कम करने तथा व्यापार के अन्य अवरोधों को कम करने तथा भेदभाव पूर्ण व्यवहार को समाप्त करने की बात कही गई है। इस प्रकार की घोषणा है। लेकिन पेज दर पेज और किए गए समझौतों में हम यही पाते हैं कि विकासशील देशों के विरूद्ध भेदभाव बढ़ता गया है। जब आप इन दस्तावेजों के पृष्ठों को पढ़ते हैं तो क्या विकासशील देशों के करोड़ों लोगों के लिए कोई आशा की किरण दिखाई देती है जिससे कि उनका जीवन स्तर उंचा उठ सकेगा जैसे कि उन्हें पूर्ण रोजगार दिया जाए और उनकी वास्तविक आय में वृद्धि हो ? इसका ठीक विपरीत है।

महोदय, केवल विकासशील देशों के हितों और उनकी चिंताओं को ही नहीं बल्कि विकासशील देशों के दृष्टिकोण को भी, जैसा कि गत सात-आठ वर्षों के दौरान प्रदर्शित किया गया है उसकी अंतिम रूप से तैयार इस अधिनियम में और न ही डंकल प्रारूप में ही परिलक्षित किया गया है बल्कि विकासशील देशों के विचार को कोष्ठक में यह कहकर डाल दिया गया कि उन पर विचार किया जाएगा। विकासशील देशों के विचारों को कोष्ठ में डाल दिया गया। लेकिन बाद में उन कोष्ठकों को हटाकर विकासशील और विकसित देशों को समान आधार पर ला दिया गया। हां, कुछ समय तक भारत सरकार का प्रतिनिधि ब्राजील और अन्य देशों के साथ अपने लाभ के लिए प्रयास करता रहा। लेकिन विश्व परिदृश्य में कुछ ऐतिहासिक परिवर्तनों के बाद स्थिति एकदम विपरीत हो गई। यह अत्यन्त दुखद स्थिति है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमारे प्रतिनिधि जो एक समय तक हमारे दृष्टिकोण सामने रख रहे थे उनका पहलु एकदम बदल गया। परिस्थितियों का यह विचित्र मोड़ है। मैं किसी पर लाक्षण नहीं लगा रहा हूं परंतु परिस्थितियों के ऐसे परिवर्तन देश की पूरी जनता के लिए चिंता का विषय है। इस प्रकार अंतिम रूप से तैयार अधिनियम विकासशील देशों की चिंताओं को परिलक्षित नहीं करता है।

अब हम कृषि से जुड़े अन्य भागों की बात करते हैं। उनमें अलग-अलग संबंध हैं। उसके बाद बाजार में प्रवेश की बात आती है। हमें आशा है कि जब विकसित देशों का बाजार खुल जाएगा तो भारत को अधिक अवसर मिलेगा। अंततः क्या होगा ? भारत जैसा देश, भुगतान संतुलन की समस्या के कारण प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अनुच्छेद XVIII (ख) को हटा दिया गया है। भुगतान संतुलन संरक्षण अब नहीं है। यह कौन सुनिश्चित करेगा कि हमारे समक्ष भुगतान संतुलन की समस्या है या नहीं ? माननीय वित्तमंत्री यह कह रहे हैं कि हमारे पास 13 बिलियन डालर का विदेशी मुद्रा भंडार है। आज यह 14 बिलियन डालर हो गया है। निष्कर्ष निकालने के नए तरीके सामने आ रहे हैं। क्रय शक्ति तुल्यता पी पी. पी. के अनुसार भारत को एक धनी देश माना गया है, यह विश्व का छठा धनी देश है फिर भी मानव विकास के क्षेत्र में हमारे देश का स्थान 134 वां है। यह

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इसका निर्धारित किया जाएगा। वे क्या कहते हैं ? हम इसे इस प्रकार पढ़ा करते हैं:

करारबद्ध पार्टियां अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इस उद्देश्य के लिए सहयोग माँगेगी कि कोष की करारबद्ध पार्टियां कोष के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विनिमय प्रश्न, गुणात्मक परिवर्तन और करारबद्ध पार्टियों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अन्य व्यापार उपायों के संबंध में समन्वय नीति को आगे बढ़ा जा सके। करारबद्ध पार्टियां उन सभी मामलों में जिनमें उनसे मुद्रा भंडार, भुगतान संतुलन अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध से संबंधित समस्याओं पर विचार करने अथवा निपटने के लिए कहा जाएगा, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ पूरी तरह विचार-विमर्श करेगी। इस प्रकार वहाँ भुगतान संतुलन को संरक्षण नहीं है। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में उल्लेख किया है। सरकार कहती है कि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अन्तिम रूप से तैयार किये गये अधिनियम के बाद टिप्पणों में कुछ बातें कही गयी हैं और यह कहा जा रहा है कि खाद्यान्न भंडारण और खाद्यान्न उत्पादन अभियान मूलरूप से उनके लिए ही है ताकि विकसित देश स्थिति में गड़बड़ न कर सके। यह बताने का प्रयास किया गया है कि यह हमारे लिए नहीं है। हमारे व्यापार सहयोगियों ने हमें आश्वासन दिया है सरकारी प्रवक्ता कहते हैं कि पीटर सदरलैंड ने भी इसका आश्वासन दिया है। परन्तु उन्होंने कभी ऐसा आश्वासन नहीं दिया। वह इसका आश्वासन नहीं दे सकते। हमें इसकी रुपरेखा तैयार करनी है। हम अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अन्तर्राष्ट्रीय अनुशासन के अन्तर्गत ला रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन इसका निर्धारण करेगा।

निस्संदेह यह उपभोक्ता राजसहायता है। आप यह कह सकते हैं कि यह निर्यात राजसहायता नहीं है परन्तु यह उत्पादन राजसहायता है। परन्तु सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर वस्तुएं खरीदनी पड़ेंगी। यदि मानसून अच्छा नहीं रहता है अपना अकाल या सूखा की स्थिति पैदा होती है उस स्थिति में भारत के सैंकडों और हजारों लोगों को खाद्य राहत की आवश्यकता होगी तो क्या हम उन्हें यह राहत दे सकेंगे? इसलिए हमें पारदर्शी होना चाहिए। क्या इस खाद्य भंडारण का बाजार में मूल्यों को कम करने के साधन के रूप में उपयोग किया जाएगा ? ऐसा ही होगा। बाजार मूल्य सरकार निर्धारित नहीं करेगी। सरकार के हाथ स्वभाविक रुप से बंध जायेंगे। नाजुक स्थिति में जब कि लोगों को रियायती और मुफ्त के खाद्यान्न की अविलंबनीय आवश्यकता होगी तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी और मूक दर्शक बनी रहेगी।

1943 में मैं नौजवान था उस समय मैंने यह देखा था कि बंगाल में अकाल के दौरान हमारे यहाँ के लोग गलियों में किस प्रकार मरे थे। काफी दिनों तक भूखे मरने वाले लाखों लोगों को भोजन देने वाला कोई नहीं था। प्रणव बाबू और बहुत से लोग इस बात को जानते हैं। अमृतासेन और अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अकाल की ऐसी स्थितियों के अध्ययन के आधार पर एक विचारधारा विकसित की गई है। इन अध्ययनों के आधार पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने विकासशील देशों की सरकारों को तदनुसार अपनी नीतियां बनाने का सुझाव दिया है। इसके परिणामस्वरूप सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में परिवर्तन हो रहे हैं। उनके इस कीमती योगदान के कारण इन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को सर्वोच्च पुरस्कार देने पर विचार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा ? हमारे हाथ बंधे हुए हैं। परन्तु यह गलत सूचना दी जा रही है कि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावित नहीं होगी। कुछ बादटिप्पणों के कारण ऐसा कहा जा रहा है। परन्तु इसका निर्धारण कोई और करेगा।

कोई और ही लक्ष्य को निर्धारित करेगा। यह सब व्यवस्था नए 'गैट' अनुशासन के अन्तर्गत की जाएगी। वे अभी भी पूछेंगे कि हम सम्प्रभुता के प्रश्न को क्यों उठा रहे हैं। जब लाखों लोग भूख मरेंगे तो संसद मूक दर्शक बनी रहेगी। हम उसमें हस्तक्षेप नहीं पायेंगे और सरकार भी हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं होगी तब भी वे यही पूछेंगे कि सम्प्रभुता को गिरवी रखने का प्रश्न कहाँ से आया और आप इस तरह से क्यों कह रहे हो ?

अब हम बीजों के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार क्या कह रही है ? वे कहते हैं, "नहीं, हमारे पास विकल्प होगा और हम पेटेंट करा सकते हैं। हम 1978 या 1991 के यू. पी. ओ. वी. कन्वेंशन अथवा दोनों कन्वेंशनों की मिली जुली बातें स्वीकार कर सकते हैं, हम अपना विशिष्ट कानून बना सकते हैं तथा एक विशिष्ट प्रणाली की स्थापना कर सकते हैं जिसके फलस्वरूप किसानों को आगामी वर्ष की फसल के लिए अपने बीज रखने हेतु बीजों के आदान-प्रदान का पारम्परिक अधिकार प्राप्त होगा।" मुझे बताया गया है कि कृषि मंत्री महोदय राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं और यह कहा गया था कि केवल ब्रांड युक्त बीजों के मामले में कठिनाई हो सकती है। मैं यह प्रश्न पूछता हूँ कि क्या 1978 या 1991 के यू. पी. ओ. वी. कन्वेंशन में, जिसकी 1999 में पुन: पुनरीक्षा होगी, अधिकारों के लाइसेंस की कोई गुंजाइश है ? हमारे मॉडल भारतीय पेटेंट अधिनियम के बारे में क्या विचार है ? यह ऐसा साधन है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे देश को इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रदान किया था। उन्होंने इसके बारे में विचार किया है इसके लिए अनेक समितियों का गठन किया गया और इस संसद में भी प्रवर समिति के माध्यम से इस पर विस्तार से विचार किया गया है। अधिकारों का लाइसेंस अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है इसे फार्मास्यूटीकल अथवा बीज क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए। यह ऐसा शस्त्र है जिसके द्वारा हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, बीज नियमों तथा फार्मास्यूटीकल संगठनों के हमले से अपने आपको बचा सकते हैं। परन्तु 1978 और 1991 के इन दोनों कन्वेंशनों में ऐसी कोई गुजाइंश नहीं है। परन्तु अधिकार के लाइसेंस से प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। यह कैसी विडम्बना है कि अधिकार के लाइसेंस का प्रतिवाद करके हमसे प्रतिस्पर्धात्मक और कुशल होने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए इस प्रतिस्पर्धा का प्रतिवाद किया जा रहा है। वे एकधिकार चाहते हैं। यह नया और अजीब विश्व है। हमसे प्रतिस्पर्धात्मक होने के लिए कहा जा रहा है। हम अपना बजट बना रहे हैं और हमारी विचारधारा बदल रही है। हमें प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए परन्तु वे एकाधिकार पर जोर दे रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का एकाधिकार होगा। हम यह क्यों नहीं कहते कि हमारा प्रतिस्पर्धा में विश्वास है। परन्तु अधिकार का लाइसेंस होना चहिए। हम रायल्टी देंगे। यदि इसकी गणना की जाए तो किसी विशेष अनुसंधान पर 200 मिलियन डालर खर्च हो जाते हैं। हम रायल्टी देंगे? परन्तु आप प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए लोगों पर प्रतिबन्ध क्यों लगाते हैं ? क्या यह स्वतंत्र और निष्पक्ष विश्व है ? क्या यह अनुचित नहीं है कि आप प्रतिस्पर्धा की बात करते हो परन्तु साथ ही आप एकाधिकार पर बल दे रहे हो। निस्संदेह अन्तिमरूप से तैयार किए गये 'गैट' के इस दस्तावेज में 'ट्रिप्स' के संबंध में विशेष कन्वेंशनों का उललेख किया गया है। उदाहरणार्थ प्रतिलिप्याधिकार के मामले में बोन कन्वेंशन, कुछ अन्य बातों के मामले में पेरिस और समेकित उपायों के मामले में वाशिंगटन कन्वेंशन का जिक्र किया गया है। परन्तु यू. पी. ओ. वी. कन्वेंशन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आप इसका निश्चित रूप से उपयोग कर सकते हैं। बहुत नुकसान

हो गया है परन्तु अभी कुछ बचा है जिससे आप मुकाबला कर सकते हैं। इस पर विवाद होना चाहिए और यदि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का वर्चस्व हुआ तो हम उसका विरोध करेंगे। बाद में भी हम ऐसा कर सकते हैं। आप विशिष्ट कानून और राजनैतिक चाल से राजनैतिक मुद्दा बना सकते हैं परन्तु यह बहुत कम समय तक प्रभावी रहेगा। जहाँ तक पेटेंट अधिकार का संबंध है, 1999 में इसकी पुनरीक्षा की जाएगी और इसके बारे में यू. पी. ओ. वी. का क्या दृष्टिकोण रहेगा ? विकसित देशों में क्या हो रहा है ? विशिष्ट कानून का यह उन्माद बहुत कम समय तक रहेगा और 1999 तक बीजों के संबंध में हमारे समक्ष गम्भीर कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी यह कहा जा रहा है कि हम इसका अपने भविष्य के लिए आदान-प्रदान करेंगे। क्या उन्हें वाणिज्यिक कार्यों के लिए अधिकार का लाइसेंस दिया जाएगा ? प्रति वर्ष नई किस्में विकसित की जायेंगी और हमें उन्हें खरीदना होगा क्योंकि हमारा अनुसंधान और विकास उनके स्तर का नहीं है। अनुसंधान और विकास हम कितना खर्च करते हैं ? इस पर हम बहुत खर्च करते हैं। परन्तु वे इस पर बहुत अधिक धनराशि खर्च करते हैं।

विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा अनुसंधान और विकास के लिए जो सहायता प्रदान की जाती है, वह बातचीत की परिधि में कभी भी नहीं लाई गई है। ये देश अनुसंधान और विकास के लिए भारी धनराशि की सहायता प्रदान करते हैं जबकि हम इस मामले में नये ही हैं। जहाँ तक पेटेन्ट का संबंध है, क्या हमें अनुसंधान और विकास के किसी भी चरण में पेटेन्ट करने की अनुमति देनी चाहिए। यदि आप मेरे से पूछें कि मुझे इस अंतिम रूप से तैयार अधिनियम पर क्या आपत्ति है, तो मैं तो पहले इस 'ट्रिप्स' अध्याय को इसमें से निकालने की मांग करूंगा और तदनन्तर ही कोई चर्चा की जा सकती है। यह 'ट्रिप्स' तो हमें गुलाम बनाने का हथियार है। हमें सभी चीजें यहाँ तक कि हमारा भारतीय पेटेन्ट अधिनियम, 1970 भी बदलना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा इसे विकासशील देशों के लिए एक आदर्श अधिनियम करार दिया गया है। प्रसिद्ध विधिवेताओं ने कहा है कि हम पेरिस समझौते में शामिल नहीं होंगे, चूंकि यह हमारे संविधान के अनुकूल नहीं है लेकिन 'ट्रिप्स' समझौते में आबद्ध होने वाली पार्टियाँ पेरिस समझौते से भी बंध जायेंगी। जनहित में काम करने के लिए हमें लाईसेंस की आवश्यकता होगी। हमें उपयोग अधिकार के लिए लाईसेंस की आवश्यकता होगी। सरकार कहती है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है, चूंकि यह पेटेन्ट व्यवस्था एक तथ्य और सच्चाई है। जो कुछ भी नया और अभिनव है और जिसका औद्योगिक उपयोग हो सकता है, उसका सर्वाधिकार तो रखना होगा। किसी भी और सभी चीजें के सर्वाधिकार सुरक्षित होंगे। मैं जैव प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म जीवों से जुड़े अन्य गम्भीर प्रश्नों पर बातचीत नहीं करूंगा। मैं इन पर बाद में बात करूंगा। यह 'टिप्स' अध्याय हमारी कृषि के लिए आघात सिद्ध होगा। हमारे अनुसंधान कार्य पर अत्याधिक प्रतिकूल असर पड़ेगा। हमारे वैज्ञानिकों ने सर्वाधिकार युक्त प्रणाली के माध्यम से अत्युत्तम कार्य किया है।

उन्होंने हमारी हरितक्रान्ति में अत्यधिक योगदान दिया है। हमारे पास ऐसे वैज्ञानिकों और व्यावसायिक लोगों की बड़ी संख्या है। लेकिन इस अंतिम रूप से तैयार अधिनियम, और 'ट्रिप्स' की व्यवस्थाओं से हमारे अनुसंधान और विकास कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और वे ठप्प हो जायेंगे। पहले तो हमारे पास पर्याप्त संसाधन नही है जैसाकि विकसित देशों के पास है। दूसरे, हमारा जो आधारभूत ढांचा है, हमारी जो प्रौद्योगीकीय प्रयोगशालांए और

वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ है तथा कार्मिक हैं, वे एक अलग स्तरीय परिवेश में तैयार हुए हैं अन्य देशों में क्या हुआ है ? यदि यह नकल और चोरी-नही है, तो यह क्या है दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद जापान ने क्या किया ? कोरिया ने क्या दिया ? उनके तथाकथित पेटेन्ट क्या है ? मैं एक के बाद एक उदाहरण दे सकता हूँ। अनुसंधान पत्र-पत्रिकाओं में पेपर छपते हैं। कोइ व्यक्ति इनसे संकेत ले सकता है और तत्पश्चात प्रयोगशालाओं में तथाकथित अन्वेषण होते हैं। यह कैसे होता है ? प्रक्रिया सामान्य ज्ञान, से पीढ़ी दर पीढ़ी से संकलित ज्ञान से एक लम्बी अवधि में तैयार होती है।

[अनुवाद]

और तब किसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा उसे अंतिम रूप दिया जायेगा और यह कहा जायेगा कि पेटेन्ट किसी और का नहीं बल्कि इसका अपना है। दुनियां में ऐसा कई बार हो चुका है और यह अब भी हो रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। किसी ने अणुओं का विश्लेषण किया लेकिन नोबेल पुरस्कार के लिए उसके नाम के बारे में कभी विचार नहीं किया गया। बाद में उसी विशेष अणु का उपयोग किसी अविष्कार के लिए किसी और के द्वारा किया गया और नोबेल पुरस्कार के लिए उसके नाम के बारे में विचार किया गया। ऐसा कई बार हो चुका है। इस अणुविश्लेषण और परीक्षण का काम विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है लेकिन इसका सही उपयोग प्राद्यौगिकी के क्षेत्र में किया जाता रहा है। अन्ततोगत्वा इस तरह की प्रक्रिया से नए आविष्कार और नए उत्पाद का प्रादुर्भाव होता है। ज्ञान की प्राप्ति एक अनवरत प्रक्रिया है। यदि हम पेटेंट के मामले को काफी दूर तक ले जांय तो क्या स्थिति होगी ? क्या हम अपने वैज्ञानिकों को शोध-पत्र प्रकाशित न करवाने के लिये कहे ? तब वे मुद्दा उठाएँगे और पेटेंट की माँग करेंगे। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ जो कुछ कर रही हैं उससे अत्यधिक गंभीर परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा।

इस पेटेंट प्रणाली से न केवल कृषि के मामले में ही विध्वंसक स्थिति होगी बल्कि औषधि सहित और भी कई क्षेत्रों में भी तबाही मचेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि औषधि क्षेत्र में मूल्य पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी ने गणना की है कि इससे 40 से 50% तक मूल्य वृद्धि होगी। ऐसा आपसे किसने कहा है ? कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों ने मूल्य वृद्धि का हिसाब लगाया है। इससे औषधि क्षेत्र में तबाही आयेगी क्योंकि लाखों की संख्या में गरीब लोग जो आज तक किसी तरह दवाईयाँ खरीद सकते हैं, वे ऐसा करने में अक्षम रहेंगे। सरकार कहती है कि वे औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के द्वारा मूल्य को नियंत्रित कर सकते हैं। यह कैसे संभव हो सकता है जबकि आयातित वस्तु का मूल्य स्थानीय उत्पाद के समक्ष रखा जायेगा ? वे आयात करेंगे। आप उन्हें किस तरह नियंत्रित करेंगे ? पुन: यह कहा जा रहा है कि बहुत कम प्रतिशत औषधियाँ पेटेंट की जायेंगी। ऐसा अपसे किसने कहा है, 60% से ज्यादा अथवा लगभग 70% औषधियां पेटेंट की गई हैं। संयुक्त राज्य में 80% औषधियाँ पेटेंट की गई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यदि कोई विशिष्ट औषधि पेटेंट की जाती है तो उसके एवज में अन्य विकल्प उपयोग म लाए जा सकते है। उदाहरणस्वरूप, क्रोम्पिन के बदले पारासिटामोल का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इस वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत, 'कम्बिनेशन' और 'फॉरमुलेशनस्' भी उसकी सीमा में आते हैं। यहाँ कि वर्तमान फार्मूलेशनस्' भी इससे प्रभावित होंगे। मैं एक अध्ययन पर दृष्टिपात कर रहा था जिसमें कहा गया है कि

प्रत्येक सात से आठ वर्षों में, विश्व की 38 से 40% औषधियाँ बदल दी जाती हैं। नई व्यवस्था के अन्तर्गत, उत्पाद पेटेंट की अवधि 20 वर्ष है तथा बाद में प्रक्रिया पेटेंट के लिए यह और बीस वर्ष के लिये होगी पुन: प्रक्रिया पेटेंटिंग की स्थिति में क्या होगा ? सीमित अवसर की वजह से केवल दो या तीन या चार उत्पादक ही आगे आ सकेंगे। फिर भी ब्रांड का नाम जारी रहेगा। यह केवल शोध और विकास का ही प्रश्न नहीं है। इसका संबंध 'मार्केटिंग' से भी है। बहुराष्ट्रीय निगमों के पास पूरी दुनियां में विपणन और प्रचार की विशाल व्यवस्था है। मैं कहीं पढ़ा है कि कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विपणन और विक्रय-प्रोत्साहन के लिए काफी बड़ी धनराशि खर्च कर रही हैं, जिसे एक बड़े विकासशील देश द्वारा सभी क्षेत्रों को मिलाकर एक राष्ट्रीय योजना पर खर्च की जाती है। फीजर और ग्लैक्सो के उदाहरण ले सकते हैं।

वास्तव में अनिवार्य लाइसेंसिग की कोई जरुरत नहीं है। केवल आपात अथवा अत्यन्त आवश्यक मामलों में इसकी आवश्यकता है। इसके लिये भी प्राधिकृत किये जाने की अनुमति ली जानी चाहिए। लेकिन इसकी अनुमति छिट-पुट मामलों में ही मिलनी चाहिए। यदि अनुमति दी जाती है तो आपको क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। किसी प्रकार के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। लेकिन अनिवार्य लाइसेंसिंग एक तत्व है जिसपर हमारे पूर्वजों ने गंभीरतापूर्वक विचार किया था तथा भारतीय पेटेंट कानून में शामिल किया था। यह उनके सामूहिक विवेक का परिणाम है कि हम आज अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।

इस संबंध में एक और खण्ड है। मैं उस खण्ड से सहमत हूँ। यदि अनिवार्य लाइसेंसिंग के संबंध में कोई प्रावधान या उपाय न हो तो हम व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा कानून में एक वस्तु का उपयोग कर सकते हैं जो कहता है :

"राष्ट्रीय कानून और नियमों का निर्माण तथा उनमें संशोधन करते वक्त सदस्य ऐसे आवश्यक कदम उठाएँ जिससे जन स्वास्थ्य व पोषण को सुरक्षित रखने तथा सामाजिक-आर्थिक और प्राद्यौगिकी विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े जनहित को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित रखने में मदद मिले बशर्ते कि ऐसे समझौतों के प्रावधानों के अनुकूल हों।"

कुछ लोग कहेंगे कि यह आपकी आवश्यकता के अनुकूल नहीं है। वे इसका विश्लेषण करते वक्त ऐसा कह सकते हैं कि क्या यह मौलिक रुप से प्रभावी है। वे फिर कह सकते हैं कि ऐसा मौलिक रुप से प्रभावी नहीं होगा। 'गैट' इसे निर्धारित करेगा। यहाँ भी वे ऐसा कह सकते हैं लेकिन हमें इसके लिये विरोध करना होगा। यहाँ तक कि इस अंतिम चरण में भी सामान्य हित के आधार पर संघर्ष करने, विरोध करने और एकजुट होने की संभावना है।

जी-15 के सदस्य राष्ट्रों का सम्मेलन होने जा रहा है। मैं कहीं पढा था कि माननीय वाणिज्य मंत्री ने श्रम, मानवधिकार, पर्यावरण तथा अन्य मुद्दों पर लगाये जा रहे गैर-व्यापार प्रतिबंधों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस तरह की कई और चीजें आएँगी। यह इसलिए क्योंकि नई विश्व व्यवस्था में, बहुपक्षवाद केवल एक बहाना है; वास्तव में, वे महाशक्ति (शक्तियाँ) जो एकपक्षीय विश्व में कुछ समय के लिए भी विकसित हुई हैं, वे भी एकपक्षीय निरुपण में ही विश्वास रखती हैं। 'गैट' के निर्णायक अधिनियम के बाद भी, जापान के संबंध में क्या

हुआ जो जी-7 देश था ? कुछ दिन पूर्व अमरीकी सरकार की सहायक सचिव जब यहाँ आई थीं तब उन्होंने कहा था कि उनका सुपर 301 तथा स्पेशल 301 'गैट' प्रणाली के अनुकूल होगा। उन्होंने जोर देकर कहा था कि उनकी एकपक्षीय कार्यवाही समाप्त हो जायेगी, लेकिन इस नए और निर्णयात्मक 'गैट' अधिनियम के माध्यम से प्रतिकार और दंड की व्यवस्था प्रतिस्थापित की जायेगी।

हम अनुच्छेद 8 के आधार पर विरोध कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री से कहूँगा कि हम ऐसे प्रावधानों को मुद्दा बनाकर विरोध कर सकते हैं। यद्यपि देर हो चुकी है, परन्तु सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। हम समर्पण करते रहे हैं। यदि 'गैट' के केवल एक सदस्य ने कहा होता कि ऐसा नहीं होना चाहिए परिस्थितियाँ कुछ और होती। 'गैट' प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक निर्णय आम राय के आधार पर होना चाहिए। यदि भारत विरोध प्रकट करते हुए कहता कि वह इससे सहमत नहीं है तो आज जो दयनीय दशा है, वह न हुई होती।

12.00 बजे मध्यान्ह

'गैट' ने 1947 आम राय के आधार पर कार्य किया। लेकिन अब वे एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने जा रहे हैं। मैं मांग करता हूँ कि इस अंतिम चरण में भी हमें इसका विरोध करना चाहिए। यह क्या है ? यह कहा गया है कि 'गैट' 1947 की तरह एम. टी. ओ. आमराय के आधार पर निर्णय लेना जारी रखेगा। जब तक कि ऐसी कोई ऐसी व्यवस्था न की गई तब तक उस स्थिति में जब कोई निर्णय आम राय के आधार पर नहीं लिया जा सके तो संबंधित मुद्दे मतों के आधार पर निबटाए जाएँगे। प्रत्येक सदस्य के एक मत देने का अधिकार होना। कुछ मामलों में, निर्णय दो-तिहाई बहुमत के आधार पर लिए जाएँगे और कुछ अन्य मामलों में यह तीन-चौथाई बहुमत के आधार पर होंगे। इस पर आपत्ति प्रकट क्यों न की जाये। यह हमारी माँग है कि आप इसे अस्वीकार करें।

'गैट- में निहित भावना आमराय के आधार पर कार्य करने की है। न कि मतों के आधार पर तब कोई भी हमें 'गैट' से पृथक नहीं कर सकता है। हमारे पास बाद में अस्पष्ट क्षेत्रों के संबंध में विरोध करने के पर्याप्त अवसर बचे रहेंगे, बहुत से अस्पष्ट क्षेत्र हैं जिन्हें भारत जैसा देश बुद्धिमत्तापूर्व उपयोग कर सकता है। जिससे विवाद उत्पन्न होगा और जिसके लिए हम तीसरे विश्व के कई राष्ट्रों से समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। हम उनसे समर्थन जुटा सकते हैं। तीसरी दुनियाँ के देशों से समर्थन प्राप्त करके क्या आप ऐसा नहीं अनुभव करते कि हम विश्व व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन ला सकते हैं। क्या यह संभव नहीं है ? हम बड़ी संख्या में हैं। हमारे पास एक विशाल बाजार है। ऐसी अर्थव्यवस्था में जो मंदी के दौर से गुजर रही हो, वे इतने बड़े बाजार की अनदेखी नहीं कर सकते हैं यदि हम निश्चित रूप से इसका विरोध करें। यह तभी संभव है जब हम सामान्य हितों के आधार पर एकजुट हों तथा इस अंतिम चरण में भी अस्पष्ट तथा विवादास्पद क्षेत्रों के बारे में अपनी व्याख्या निरुपति करें। इस उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि मतैक्य की अवधारणा ही न रहे; केवल आम सहमति की भावना रहे। आखिरकार, यह 'गैट' है। वस्तुतः एक नया पैरा जो विगत सात दौरों तक इसमें नहीं था अब जोड़ दिया गया है। विकसित देशों के हित संवर्द्धन के हेतु इसमें सेवाऐं और कृषि इत्यादि को जोड़ा गया है। लेकिन इस अंतिम चरण में भी आगे आ सकते हैं और इसके बारे में कुछ कह सकते हैं।

दस वर्ष की संक्रमणकालीन अवधि और संदिहास्पद है। वर्तमान दवाईयों के लिए पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था दूसरी बात, जुलाई 1995 तक, आपको इस कानून को लागू करना है। अंततोगत्वा, यह तीन चरणों में लागू की जायेगी। और 1995 से ही, भारत जैसा देश प्रभावित होने लगेगा। मैं 'स्पेक्टर आफ रिसर्जेन्स आफ ट्यूबरक्युलोसिस एसोसिएटेड विप एच. आइ. वी." पर एक लेख पढ़ रहा था। शताब्दी के अंत तक भारत इस बीमारी से बुरी तरह प्रभावित होगा। हमलोगों का क्या होगा ? बीस लम्बे वर्षों तक, भारतीयों को नई दवाइयों के लिए इंतजार करना पड़ेगा।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की बहुतायात होने के कारण वे अपने एकाधिकार के परिणाम स्वरूप मूल्यों उत्पादन के संबंध में पेटेट, विपणन और प्रत्येक चीज के उपयोग का निर्धारण करेंगी। अनेक देशों में यही हुआ है। यदि पाकिस्तान, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत जैसे देशों में दवाओं की कीमतों की तुलना की जाए तो औषधीय रम यनो तथा खाने की चीजों के मामले में उन देशों में क्रमशः कोई पेटेंट व्यवस्था नही है। जिस दवा की कीमत भारत में 5 रुपये उसी की कीमत पाकिस्तान में 30 रुपये तथा ब्रिटेन में 250 रुपये और अमेरिका में 750 रुपये है। मैं अनेकों उदाहरण दे सकता हूँ। यह एकाधिकार की वजह से है। एकाधिकार के परिणाम को हमने अपने देश में भी देखा है। अनेक विकासशील देशों में ट्रांसनेशनल कारपोरेशन सुपर सरकारों की तरह व्यवहार कर रही है। वस्तुत: इस दस वर्ष की सांक्रान्तिक अवधि में क्या होगा ? मैं इसे फरेब नहीं कहूँगा। यह एक गलत सूचना है। शायद ही कोई संक्रान्तिक अवधि हो।

यहाँ मैं एक सुझाव दूंगा। भारत के लोग तपेदिक, कुष्ठ, मलेरिया, काला जार, हैजा, तथा अनेक अन्य प्रकार की उष्णकटिबंधी बिमारियों के शिकार हुआ करते हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ इन बिमारियों के लिए दवाइयों का उत्पादन नही करती हैं। यदि उनके पास प्रौद्योगिकी तथा फार्मूले उपलब्ध हो तो भी उनके पास प्रयाप्त बाजार नही है, हो सकता है कि वे इन दवाइयों का उत्पादन न करें। सरकार को अभी से ही, इन बिमारियों के लिए दवा बनाने हेतु शोध एवं विकास (आर. एण्ड डी.) कार्यों पर अधिक धन उपलब्ध कराने के बारे में ध्यान देना चाहिए। इनके लिए अनिवार्य रूप से लाइसेन्स प्रदान करने का कोई प्रावधान नही रहा है। फिर भी मैं समझता हूँ कि धारा 8 का उपयोग लोकहित के लिए दिया जा सकता है।

मान लें कि नई खोज के परिणाम स्वरूप कालाजार के लिए कोई नई दवा आती है। लेकिन उसका उत्पादन भारत में नही होता है पहले अनिवार्य रुप से लाइसेन्स की व्यवस्था अपनाई जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है ? हांलाकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पास फार्मूला उपलब्ध है लेकिन अधिक मुनाफा नही मिलने की वजह से वे दवाओं का उत्पादन नहीं करते। यह अमानवीय तथा अनैतिक है। लोकहित में उत्पादन की प्रतिस्पर्धी संसाधनों का होना अनिवार्य है। हमलोग इस पर बल देंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर धारा 8 के प्रावधानों के माध्यम से संघर्ष जारी रखेंगे।

अब मैं एक अन्य अनैतिक क्षेत्र अवयववए (माइक्रो आर्गिनिज्म) को पेटेंट करने के संबंध में बताऊंगा वे प्राकृतिक रूप से प्राप्त जिन्स का निर्यात करना चाहते हैं। रोग निदान विषयक प्रक्रिया को भी पेटेंट किया जाएगा। पेटेंट क्षेत्र में वह भी आता है। इससे हमारे किसान को कठिनाई होगी।

फिर बॉयो-प्रौद्योगिकी का मामला है। भविष्य में, उत्पादन के इस क्षेत्र में ही राष्ट्र का भविष्य निर्धारित होगा। मान लें चीनी का काफी उत्पादन होता है, ऐसी स्थिति में प्रयोगशालाओं में और बेहतर काम होगा। इससे स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा नही है तथा इसका कोई अनुसंगी प्रभाव भी नहीं है। यह हो रहा है। यूनिलिवर में पाम ऑयल की खेती के मामले में ऐसा हुआ है।

किसी दिन एक माननीय सदस्य ने नारियल की कीमत तथा ऐसी ही अन्य चीजों की कीमत नीचे आने का मामला उठाया। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बोलबाला है। हमारा उन पर कोई नियंत्रण नही है। लेकिन हमारे मामले में विशिष्ठ कृषि जलवायु जोनो के कारण काफी बॉयो-विविधताएं हैं। जून 1990 में रियो डि ज़नेरो में पर्यावरण सम्मेलन के दौरान अमेरीकी नेता ने क्या विचार व्यक्त किया था ?

अमेरीकी नेता ने कहा था कि वे विकासशील देशों को प्राकृतिक बॉयो-विविधता पर नियंत्रण रखने के अधिकार की अनुमति नही देंगे। अमरीकी नेताओं ने विकाशसील देशों को पौधों तथा पशुओं के बॉयो-विविधता के संरक्षण हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। उनका क्या कहना है ? अमरीकियों का मत है "इस तरह की प्रगति से विकसित देशों को लाभ मिलना कम हो जाएगा" उनके अनुसार हम लोगों को अपने बॉयो-विविधता पर भी किसी तरह का नियंत्रण नही होनी चाहिए। उनके लिए, यह एक पृथक बात है।

जब हमारे कुशल व अकुशल आदमी द्वारा विदेशों में अपनी सेवा प्रदान करने की बात आती है तो आप्रवास कानून की बात उठती है। जब उनके द्वारा ऐसा किया जाता है तो इसे वे "सेवा" कहते हैं। उनके लिए यह सेवा है जबकि हमने साफ्टवेय तथा अन्य लोगों को अप्रावास कानून की वजह से वहाँ जाना निषिद्ध है। वे इस प्रकार की असमानता, अन्याय पूर्ण गैर बराबरी की व्यवस्था लाना चाहते हैं।

महोदय, क्या अंतिम अधिनियम का प्रावधान सीधे विदेशी निवेश की संभावना को बढ़ाने में मददगार होगा? माननीय वित्त मंत्री यहाँ उपस्थित हैं, उनका उत्तर "हाँ" में होगा। सम्पूर्ण योजना के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी का अंतरण कभी भी नही होगा। यह महज प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी के अंतरण का सवाल नही है और न ही एन. पी. टी. का सवाल है। मंदी के दौर से गुजर रहे पश्चिमी देश अपने उत्पादों के निर्यात का प्रयास करेंगे। भारत सरकार तथा माननीय वित्त मंत्री के द्वारा लाई जा रही नई अर्थव्यवस्था में भी कठिनाईयाँ आएँगी। सरकार की नई अर्थनीति से भारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी। कोई भी प्रौद्योगिकी अंतरण का नही किया सकेगा।

अंत में एक अहम सवाल और है हमारे संविधान का क्या होगा ? मान लें हम एक गलत कानून बनाते हैं तो उच्चतम न्यायालय इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर देगा कि यह संविधान सम्मत नही है। यह वैसा कर सकता है। लेकिन यहाँ दूसरा मामला है। यदि अंतिम अधिनियम के प्रावधान संविधान सम्मत नही हैं तो उस स्थिति में संविधान में परिवर्तन करना होगा ना कि अंतिम अधिनियम के प्रावधानों में। यहाँ संप्रभुता का प्रश्न उठता है। हमें अपने कानूनों में परिवर्तन करना होगा। हमें संविधान में परिवर्तन करना होगा। लेकिन अंतिम अधिनियम में हम उनके हित वाले प्रावधानों में कोई परिवर्तन नही कर सकते। हमारी संघीय संरचना, राज्यों के अधिकार तथा सातवीं अनुसूची का क्या होगा ?

मैंने कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा है कि कुछ राज्य सरकारों ने उच्चतम न्यायालय में अपने अधिकारों में कटौती किए जाने के विरोध में, और यह मानते हुए कि उसका अधिकार केन्द्र को नही है, याचिका दायर की है। कुछ विशिष्ठ विधि वेत्ताओं ने संवैधानिक पहलू, मूलभूत अधिकार, धारा 14, 19, 21 तथा संघीय संरचना एवं अन्य बातों, के संबंध में पहले ही एक अंतरिम रिपोर्ट दे दी है जिसके अनुसार इसका हमारे संविधान पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा।

विवाद निवारण तंत्र, प्रति प्रतिकार तथा ऐसे अन्य चीजों से हमें बहुत ही हानि होगी। विवादों का निवारण उन्हीं के द्वारा क्यों हो ? मेरे विचार से यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अथवा अन्य न्याय संगठन द्वारा क्यों नही किया जाए ? वे न्याय दिला सकते हैं।

वस्त्र के मामले में मैं ज्यादा नही कहूँगा इसमें वापसी लादान होता है और अन्तरोगत्वा हमलोगों को लाभ नहीं होगा। इसे स्वीकार किया गया है। दूसरी तरफ, औद्योगिक वस्त्र तथा दूसरी शर्त सूची में शामिल की गयी है। टैरिफ में कमी के फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ेगी। हमारे लघु उद्योग क्षेत्र भी प्रवाहित होंगे।

अंतिम अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत जैसे देशों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तथा मूलभूत ढांचा, संपत्ति, आत्मनिर्भरता, देश भक्त भारतीयों की बहुमूल्य सम्पत्ति जैसी महत्वपूर्ण चीजों की संप्रभुता काफी प्रभावित होगी।

इस अंतिम समय में भी मैं सरकार को सचेत करना चाहूंगा कि इस तरह के समर्पण, तथा जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण वस्तुओं को बेचने तथा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तथा उसके बाद की मान्यताओं, जिनके लिये हमने संघर्ष किया, के मूल्य पर समझौता करने पर भावी पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, हमलोगों के समक्ष अंतिम अधिनियम विचार के लिए है इसमें वैसे प्रावधानों जो हमारे हित में अथवा हित के विरुद्ध हैं, को चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है। समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों तथा सामान्य बातों पर चर्चा करने के बजाए हमलोग यह कह सकते हैं कि इसमें फला प्रावधान हमारे हित के विरुद्ध है और हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं। आप चाहें तो चर्चा हेतु समय बढ़ाया भी जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : जब तक ये मंत्री नहीं बनेंगे, तब तक आगे नहीं आयेंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : आपके आशीर्वाद का बहुत-बहुत धन्यवाद, आप मुझे न बतायें, सदन को न बतायें, कृपया प्रधान मंत्रीजी को बतायें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको विषय से हटाने का प्रथम प्रयास है।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने से पहले

यह बताया कि हमारे सामने फाइनल एक्ट मौजूद हैं, मगर साथ-साथ डंकल प्रस्ताव भी हमारे सामने मौजूद है। मुझे लगता है हमारा सबसे बड़ा फर्ज यह बनता है कि हम डंकल प्रस्ताव और फाइनल एक्ट की तुलना करें ताकि हम यह देखे कि डंकल प्रस्ताव जो दिसम्बर 1991 में विश्व के सामने पेश किया गया था उसमें और जो फाइनल एक्ट हैं, जिस पर हमारे वक्त में अपना इनीशियल लगाया कि क्या प्रगति की है, क्या अंतर है, कहां तक हम आगे बढ़े हैं। यह तुलना के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वाणिज्य मंत्रालय ने एक पार्श्वभूमि प्रलेख तैयार किया था, जो हम सबको पिछले तीन-चार महीने पहले दिया गया था। उसकी तरफ से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पैराग्राफ 29 में यह बताया गया है कि तीन क्षेत्रों में हम तब्दीली की खोज में हैं। ये तीनों कृषि में जो समझौता होने वाला था उससे सम्बन्धित है। इन तीनों के बारे में मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमने सफलता पाई है। एक-एक में सफलता पाई है। सबसे पहले यह कहा गया था कि हम इस खोज में हैं कि जहां तक प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट का सवाल है, हमें कुछ एडीशनल फलेक्सिबिलिटी मिलेगी। हमारे कहने का कारण यह था कि इस लक्ष्य को इस देश के सामने और सदन के सामने रखने का मतलब यह था कि हमें सम्भावना थी, थोड़ा बहुत डर था कि हो सकता है यदि यह प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट कायम रखा जाये तब हमारे तीन पदार्थों पर बुरा असर पड़ सकता है। एक गन्ना, दूसरा मूंगफली और तीसरा तम्बाकू। बड़ी खुशी की बात है कि फाइनल एक्ट में, जो हमारे सामने हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट का कोई जिक्र नहीं है।

न केवल प्राडक्ट्स स्पैसिफिक सपोर्ट का जिक्र नहीं है मगर साथ साथ एक नया सम्बोध इस कानून में लाया गया है जिसका नाम दिया है : टोटल एग्रीगेट मैजरमेंट आफ स्पोर्ट (MAMS) जोकि डंकल प्रस्ताव में इक्वलेंट कमिटमेंट के नाम से दिया गया था, इसको बदल कर फाइनल एक्ट में केवल ऐनुअल एंड फाइनल बाऊंड कमिटमेंट्स किया गया है। इन सब बातों को लेकर न हमारे गन्ने, मूंगफली और न हमारे तम्बाकू को किसी प्रकार का कोई खतरा है। अब इसको समझने की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन से अनुरोध करूंगा कि डंकल प्रस्ताव में विभाग 4, धारा 6 की तुलना फाइनल एक्ट की विभाग 4 और धारा 6 से कीजियेगा। इसमें 2 पैराग्राफ हैं जिसमें पैराग्राफ-1 में डंकल में एक बहुवचन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा : एग्रीगेट मैजरमेंट्स आफ स्पोर्ट और फाइनल एक्ट में एक वचन का इस्तेमाल होता है : एग्रीगेट मैजरमेंट और साथ ही साथ जो इक्वलेंट कमिटमेंट सम्बोध डंकल प्रस्ताव में था, इस फाइनल एक्ट में नहीं है। इन दो तथ्यों को लेकर मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि हम दूसरे पैराग्राफ को भी देखें जिसमें कि डंकल प्रस्ताव में कहा गया था कि जो हमारी राज सहाय हैं, उनकी गणना करने में केवल नियोजन राज सहाय इन्वेस्टमेंट सबसिडिज़ और आधे राज सहाय में इनपुट् सबसिडिज़ की छूट दी जा सकती है। जबकि इस फाइनल एक्ट में बिलकुल बदल कर यह कहा गया है कि विकासशील देशों को पूरी तौर पर छूट है। इन सब बातों के सिलसिले में कहा गया है :

[अनुवाद]

अब मैं आगे उल्लेख करता हूँ : "कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दी गई सहायता सरकार के उपायों, जो विकासशील देशों के विकास कार्यक्रमों का अभिन्न अंग होता है ....।।

[हिन्दी]

कितना बड़ा परिवर्तन है ? डंकल प्रस्ताव में यह कहा गया था कि यदि इन्वैस्टमेंट सबसिडी में छूट दे दें, यदि इनपुट सबसिडी में छूट दे दें मगर अब हमारे सामने जो फाइनल एक्ट पेश है, इसमें कहा गया है कि जो भी कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं, उन सब पर छूट है। क्या यह एक महान् कार्य नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय, आप डंकल प्रस्ताव में पैराग्राफ 3 को देखिये। इसमें दो शब्द इस्तेमाल किये गये हैं : सैक्टरवाईज और साथ साथ प्राडक्ट स्पैसिफिक। अब फाइनल एक्ट में इन दोनों शब्दों के स्थान पर करेंट टोटल एग्रीगेट मैजरमेंट आफ स्पोर्ट का जिक्र है। इसका यह नतीजा हुआ कि जो एनेक्चर-बी डुंकल प्रस्ताव में मोडैलिटिज फार स्पेसिफिक बाईंडिंग कमिटमेंट था।

न केवल पूरा प्रारूप बदल गया मगर वह अनेक्सचर बी अब फाइनल ऐक्ट में है ही नहीं। इसको निकाल दिया गया और निकालकर जो मार्केट ऐस्सेस ग्रुप के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा एक नोट पेश किया गया है और इस नोट में यदि आप देखें तो जो बहुत ही ज़रूरी चीज है हमारे लिए, डोमैस्टिक सब्सिडीज़ पर जो कि टैक्निकली बताया जाता है अटैचमेंट टु अनेक्सचर 2 टेबल 4। इसमें केवल हमें टोटल ऐग्रीमेंट मीज़रमेंट ऑफ सपोर्ट देने की ज़रूरत है। केवल एक छोटा सा टेबल जहां कि डंकल प्रस्ताव में यदि आप देखें तो यह टेबल 4 प्रोजेक्ट स्पैसैफिक मीज़रमेंट ऑफ सपोर्ट का पूरा गणन देना पड़ता है और उसके साथ-साथ टेबल 5 में इक्वीवैलेंट कमिटमेंट्स दे... पडता और फिर टेबल 6 में नॉन प्रोडक्ट स्पेसैफिक ऐग्रीमेंट मीजरमेंट ऑफ सपोर्ट का गणन देना पडता। तीन टेबल थे डंकल के प्रस्ताव में और आज केवल एक है। इसका मतलब क्या हुआ यह भी ज़रा सुन लीजिए। क्योंकि इन तीन टेबल्स को बदल कर केवल एक टेबल अब लगा हुआ है और बहुत से जो प्रावधान थे डंकल प्रस्तावों में, उनमें परिवर्तन लाया गया है, इसका नतीजा यह हुआ कि हमारा जो आज करंट टोटल ऐग्रीगेट मीज़रमेंट ऑफ सपोर्ट है वह शून्य से भी कम है। कहां तक कम है - वियुत 19860 करोड़ रुपए जहां कि यदि जो सब्सिडीज़ हम देते हैं वह युत 11400 करोड़ रुपए जाती तब भी हमें मुकम्मल तौर पर छूट रहती है। अब समझ लीजिए कि क्या हुआ। आज की तारीख में हम शून्य सब्सिडीज़ नहीं दे रहे हैं। हम वियुत 19,860 करोड़ रुपए दे रहे हैं और हमें नहीं कहा है कि हम 11,400 करोड़ रुपए तक पहुंचे। इन दोनों का गणन करें तो इसका मतलब बनता है कि हमारी सरकार हमारे कृषकों को 30860 करोड़ रुपए सब्सिडी और दे सकती है यदि वह चाहे तो। राजसहाय में इतनी वृद्धि हो सकती है। अफसोस की बात है कि मनमोहन सिंह जी यहां बैठे हैं जिनको यह सुन कर कहीं हार्ट अटैक न हो जाए क्योंकि उन के पास 30,860 करोड़ रुपए नहीं हैं। हो सकता है कि नीतीश बाबू लालू प्रसाद जी से लाएं और हमें दें तो हम लेने को तैयार हैं। गेट पर कोई पाबंदी नहीं होगी। 30,860 करोड़ रुपए यदि आप कहीं से खोज कर निकाल कर हमारे किसानों को दे सकते हैं तो दे सकते हैं और वहां गेट में केवल तालियां बजेंगी। तो क्यों आप इस देश को गुमराह कर रहे हैं, क्यों हमारे किसान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं ? आप लोग जानते हैं और मेरा आपसे कहने का मतलब अध्यक्ष महोदय आपसे नहीं है, आपके द्वारा हमारे विरोधी दलों के सदस्यों से है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जबकि आपको पता है कि यह विषय बहुत तकनीकी है, मगर तफसीस में जाना पड़ता है। इसके लिए न सिर्फ अंग्रेजी के ज्ञान की जरुरत है बल्कि हिन्दी के ज्ञान की

भी जरूरत है। तो बजाय सही तरीके से समझ कर आप हमारे किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं।

मैं चाहता हूं कि यदि इनका कोई सत्याग्रह हो, वह असत्याग्रह न हो, तो वे दुनिया में जाकर कहें कि गैट ने हमें यह छूट दी है कि आज की तारीख में हमें जितना राजकीय सहायता मिल रही है, उससे 31 हजार करोड़ रूपये आगे तक हम जा सकते हैं। क्या हमारे विपक्ष के साथी ऐसा कहने को तैयार है। मैं जानता हूं कि ऐसा कहने को वे तैयार नहीं होंगे क्योंकि वे कोई महात्मा गांधी नहीं हैं, वे तो केवल महात्मा शरद यादव हैं और इसीलिए कहने को तैयार नहीं हैं।

अब हम इसके आगे बढते है। आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमारे गणन को कौन स्वीकार करेगा, उस सवाल का जवाब मैं यहां देना चाहता हूं। आज तारीख 29 मार्च, 1994 को यह सवाल दोहराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कल 28 मार्च, 1994 को हमने गणन जेनेवा में गैट के सामने पेश किये और वे स्वीकृत हो चुके हैं। वहां किसी ने हमसे ऐसा नहीं कहा कि आपने कहां से ये गणन बनवाये हैं जबकि यहां पिछले साल जब इसी विषय पर चर्चा हुई थी तो हमारे विपक्षी दलों के मित्रों ने सवाल उठाया था कि यह वाणिज्य मंत्रालय कौन है, योजना भवन कौन है जो हमें बताये कि हमारे गणन सही रहेंगे या नही रहेंगे। अब उन्होंने कहा है कि अमेरिकी यहां आ जायेंगे, वे हमें पकड़ लेंगे, उनका गणन हमसे बेहतर है, वे आपको बतायेंगे कि हम हिन्दुस्तानी गणन नहीं जानते क्योंकि हम गुखत में फंसे हुए है, इसलिए हमें एडीशन और सबट्रैक्शन नहीं आता। हम अमेरीकी गोरे लोग हैं और हम आपको समझायेंगे। मैं अपने विपक्षी दलों के मित्रों से कहना चाहता हूं कि कल 28 मार्च, 1994 को हमें जेनेवा में होली मनाने का मौका मिला क्योंकि जेनेवा में हमारे गणन स्वीकार हो चुके हैं। आने वाले 10 सालों में कोई हम पर इल्जाम नहीं लगा सकता, किसी प्रकार का सवाल नहीं उठा सकता क्योंकि हम जीत गये हैं, हम विजयी रहे हैं जिसके लिए मैं प्रणव दा को मुबारकवाद देना चाहता हूं।

दूसरी जो तबदीली हम डंकेल प्रस्तावों में लाना चाहते थे, वह पैराग्राफ नं. 28, पृष्ठ संख्या 8 पर है, जिसमें यह लिखा है:

[अनुवाद]

भुगतान संतुलन का विचार लागू न होने के बावजूद भी न्यूनतम बाजार में प्रवेश की छूट दी जाए।

[हिन्दी]

जिसका मतलब है कि विपणी अधिगण्यता में प्रति समुन्मान और अपार्पण की अनुसूची में, आप बतायें कि क्या लिखना है। इस अनुसूची को गैट में हम देख चुके हैं और वह स्वीकार हो गयी है। हमें जो समुन्मान या अपार्पण देने है, वे दिये जा चुके है और वह स्वीकार हो चुके है। जब तक कि गैट का अगला राउण्ड न हो, जिसे हम चाहते हैं कि नई दिल्ली राउण्ड से भी ज्यादा दुनिया में मशहूर हो, तब तक इस सवाल को उठाया नहीं जा सकता। अब विपणी अधिगण्यता के प्रति हमने कौन से अपार्पण दिये हैं, वे तीन है- कृषि पदार्थों के लिये हमने कहा है कि प्रतिशुल्क बंधन 100 प्रतिशत होगा, विधायित पदार्थों पर प्रतिशुल्क बंधन 150 प्रतिशत होगा तथा भक्ष्य तेलों पर प्रतिशुल्क बंधन 300 प्रतिशत होगा। ये ही हमारे अपार्पण हैं। इनमें आपको क्या ऐतराज है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं अंग्रेजी में बताऊं-

[अनुवाद]

हमारे यहां टैरिफ का बंधन है। यही एकमात्र छूट हम लोगों को दी गई है। कृषि उत्पादों पर 100 प्रतिशत, प्रसंष्कृत कृषि उत्पादों पर 150 प्रतिशत, खाद्य तेलों पर 300 प्रतिशत प्रतिशुल्क बंधन रखा गया है।

[हिन्दी]

अब यह जरूरी नहीं है कि हम ये सारे प्रशुल्क लगाएं, मगर लगाने का अधिकार हमारे हाथ में है। यदि किसी भी दिन किसी मार्केट एक्सैस की खोज में ये कम्युनिस्टों का हौवा या मल्टी नैशनज या कोई और यहां देश में आये और यहां देश में इसका आयात हो किसी प्रकार का कोई पदार्थ हो, तो उसको दुगुना पैसा वसूल करना होगा और हम यहां क्यों वसूल करने देंगे और यदि कोई प्रोसैस्ड एग्रीकल्चरल पदार्थ हो तो उस पर डेढ़ गुना पैसा वसूल करना होगा और यहां तक भक्ष्य तेल है इस पर 300 प्रतिशत वसूलना होगा।

यह किसने किया ? यह डा० मनमोहन सिंह ने किया। यह केवल ऐसा नहीं है कि हमने कोई चाल चली या हमने वहां कोई मैजीशियन भेजा इस काम को करवाने के लिए, बल्कि हमें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और इस मेहनत का नतीजा वह पद-टिप्पण था जिसके बारे में रूपचन्द पाल जी ने जिक्र किया, यह पद-टिप्पण डंकल प्रस्ताव में नहीं था। यदि यह पद-टिप्पण नहीं लाया जाता तो जो काम मनमोहन सिंह जी ने अभी किया है वह नहीं कर पाते। यह पद-टिप्पण लाने के कारण ही हम कर पाए हैं। इसके कारण ही हमें अपार्पण में केवल 3 टैरिफ बाइंडिंग देने की जरूरत पड़ी। इस पद टिप्पण के अनुसार जो हमारे गैट प्रशुल्क आयात निबंत्रण प्रबन्ध हैं उनको हमने प्रशुल्क के बंधन में परिवर्तित कर दिया, तो जितने भी हमारे क्वांटीटेटिव इम्पोर्ट रिस्सट्रिक्शन्स थे, जितने भी हमारे वैरीएबल इम्पार्ट लैवीज थे, जितने भी इम्पोर्ट लैवीज थे, जितने भी मिनीमम इम्पार्ट लैवीज थे, जितने भी मिनीमम इम्पोर्ट प्राइसेस थे, जितना भी डिस्क्रीशनरी इम्पोर्ट लाइसेंसिंग चलता था, जो भी स्टेट ट्रेडिंग चलता था ये सब अब स्वीकार हैं क्योंकि इन सबको लेकर मनमोहन सिंह जी को बताया गया कि अब आप बताइए कि इस हद तक सुरक्षा आपको चाहिए तो आपके जो प्रशुल्क हैं उनको कहां तक ले जाना चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने जबाव दिया 100, 150, और 300 प्रतिशत और इस बात को सारे अर्न्तराष्ट्रीय समुदाय ने स्वीकार कर दिया। कहां गये वे इम्पीरियलिस्ट, कहां गए वे कैपीटलिस्ट, वाल स्ट्रीट, स्टेट ट्रेडिंग और क्लिंटन का हौवा, जो आपने बना रखा था। हमने कहा यह हमें चाहिए और बिना रोकटोक जो हमने कहा वह सबने स्वीकार किया।

तीसरी जो तबदीली हमने खोज निकाली है उसका भी इसी बैक ग्राउंड पेपर में जिक्र किया है और वह पैरा 29 में सब-पैरा 3 जिसमें कहा गया है–

[अनुवाद]

पैरा व उप-पैरा (3):

"हम मूल-पाठ में यह स्पष्ट करना चाहते थे कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उपभोक्ता खाद्यान राजसहायता अप्रभावित रहेगी।"

हो चुका है जनाब, बहुत-बहुत धन्यवाद। यह भी कैसे हुआ, क्योंकि हमने एक और पद टिप्पण लगा दिया इस बैकग्राउंड पेपर में जिसके कारण यह हुआ है। मैं भी विदेश सेवा में रहा हूं। मैं जानता हूं कि कभी-कभी पद-टिप्पण

का इस्तेमाल होता है। कभी-कभी और चीज का इस्तेमाल होता है मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरी तरफ देखकर मुस्करा रहे हैं। क्योंकि वे मेरे मंत्री रहे हैं और वे जानते हैं हमें फारेन सर्विस में कई प्रकार की चाल चलनी पड़ती हैं और यह पद-टिप्पण भी एक इसी प्रकार की है।

यह समझौता कृषि पदार्थों पर है।

अनैक्सचर 2 पैरा 3-पब्लिक स्टॉक हाल्डिंग फॉर सिक्युरिटी परपसेस से संबंध रखता है और पैरा 4 डौमैस्टिक फूड ऐड से संबंध रखता है।

[अनुवाद]

कृषि संबंधी समझौते के संलग्नक-दो के पैरा 3 और पैरा 4 :

"इस संलग्नक के पैरा 3 और 4 के प्रयोजनों के लिए विकासशील देशों में शहरी और ग्रामीण गरीबों की अन्न आवश्यकता पूरा करने के उद्देश्य से राजसहायता-प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न के प्रावधान के लिये इस पैरा के उपबंधों के अनुरुप विचार किया जायेगा ....."

[हिन्दी]

श्री रूप चन्द पाल हमें बताते हैं कि यह कोई साम्राज्यपन चल रहा है। उन्होंने पद टिप्पण में गरीबों का जिक्र किया है। उन्होंने न केवल गरीबों का जिक्र किया है बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के बारे में बताया है। फिर कहा है विकसित देशों में भी गरीब लोग रहते है लेकिन उनके लिए यह छूट केवल विकासशील देशों के लिए है। यह कहकर स्पष्टीकरण दिया है कि जो भी फूटस्टफ आफ सबसीडाईज्ड प्राइस पर गरीबों को देना चाहें, शहरों में हों या ग्रामीण इलाकों में, यदि आप एक विकासशील देश के नागरिक हैं तो यह काम कर सकते हैं। आप इसे क्यों नहीं पढ़ते ? क्या इनके मन में केवल कैपिटलिज्म, इम्पीरियलिज्म भरा हुआ है, इस किस्म के शब्द या नारे भरे हुए हैं कि आंख खोलकर यह न देखें, डंकल प्रस्ताव में क्या लिखा था, फाईनल एक्ट में क्या लिखा है और क्या अन्तर है ? हम सदन के इस पक्ष में जब अपने गरीबों के बारे में सोचते हैं तो उन्होंने मुरे हुए मार्क्स के नारे को लेकर आंखों को बन्द करके रखा है। यह अन्तर है कि हम अपने पद टिप्पण को पढ़ते हैं और वे पद टिप्पण को पढ़ने के बजाए देश को गुमराह करने के प्रयास में लगे रहते हैं।

अब मैं ट्रिप्स में आना चाहता हूं क्योंकि श्री पाल ने बताया कि ट्रिप्स से नया साम्राज्यवाद शुरू होने वाला है, ईस्ट इंडिया कम्पनी का नाम इक्कीसवीं सदी में ट्रिप्स ही रहेगा। यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्होंने हमें यह नही बताया कि ट्रिप्स शब्द का अर्थ क्या है। एक ऐक्रौनिम

[अनुवाद]

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार संबंधी मुद्दों पर समझौता (ट्रिप्स)

[हिन्दी]

इस्तेमाल किया जाता है मतलब यह बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर समझौता नहीं है, यह केवल उन बौद्धिक सम्पदा अधिकरों के बारे में समझौता है जोकि वाणिज्य से संबंध रखता है। इसे समझने की जरूरत है। समझने

के बाद मैं आपको खुलेआम कहना चाहता हूँ कि जो बैकग्राउंड पेपर वाणिज्य मंत्रालय के जानिब से तैयार किया गया था, उसके पृष्ठ 13 के पैराग्राफ 46 में कहा गया था कि हम डंकल प्रस्ताव में चार प्रकार के परिवर्तन लाना चाहते हैं। हकीकत यह है और हकीकत को कहने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि चारों क्षेत्रों में हम नाकामयाब रहें, कोई परिवर्तन नहीं लाया गया, वैसे का वैसा है। डंकल प्रस्ताव में जो लिखा गया था, कम से कम उन चार क्षेत्रों में वही चीज लिखी गई है जो फाईनल एक्ट में ट्रिप्स के डौकूमैंट के अन्दर है। .....(व्यवधान).....

क्या रोने लगे, क्या इस पक्ष को छोड़ कर हम कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन जाये।

श्री भोगेन्द्र झा : आपको लेने के लिये हम तैयार भी नहीं है।

श्री मणि शंकर अय्यर : बड़ी खुशी है क्यों कि मैं भी जाने के लिये तैयार नहीं हूँ। आपको बचपन में छोड़ कर यहां आया था, आप बचपन में ही फंसे रहे। यही मेरे और आप में अंतर है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : आपकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया क्या है ? मुझे याद है, आप मुझे ट्रिप्स पर आपत्तियों के बारे में बता रहे थे।

श्री मणि शंकर अय्यर : गीता जी का कहना बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि ओटावा में उस जमाने में 6-7 महीने वाले हम इस खोज में थे कि ट्रिप्स में परिवर्तन लाना चाहिये। मैं उनसे बिल्कुल सहमत था कि हमें परिवर्तन लाना चाहिये। मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, मैं कांग्रेस दल का हूँ। महात्मा गांधी जी ने हमें सत्य का मार्ग अपनाने को कहा। इसलिये कोई परिवर्तन नहीं लाया गया। मैंने सबसे पहले भी यह जिक्र किया कि कोई परिवर्तन नहीं लाया गया है .....(व्यवधान)..... आप जरा सुन लीजिये .....(व्यवधान)..... हम गांधी जी महाराज नहीं है उनके वारिस ही है .....(व्यवधान)..... हम सत्यवादी है। इसलिये सत्य की खोज में आपको एक चीज बताना चाहते हैं। हालांकि टैक्स्ट में कोई परविर्तन नहीं लाया गया है। कृषि से संबंधित विषय में सुई जनरिस सिस्टम बनाने के लिये हमने एक विधेयक तैयार किया है। उसका प्रारुप इस सदन के सामने आयेगा। अभी उसका जिक्र करना ठीक नहीं है। नीतीश बाबू जी की जो ख्वाहिश है कि मंत्री बन जाऊं, वह अब तक साकार नहीं हुई है। मैं कांग्रेस दल की तरफ से कांग्रेस दल में जाने के बाद यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जो कुछ भी इस सुई जनरिस सिस्टम के बारे में कहने वाला हूं, वह हर हालत में आने ही वाला है। यदि जाखड़ साहब उससे सहमत न हों तो यही हमें बतायें। सुई जनरिस सिस्टम का जो प्रारूप तैयार किया जा रहा है, उससे कृषक अधिकार व विशेषाधिकार, बीज अधिनियम, मौजूदा बीज अधिनियम में जो करना है उसका जिक्र है। समुदायिक प्रतिकार, अनिवार्य अनुज्ञापन और अनवेषणकर्ता के अधिकारों का जिक्र है। मतलब

[अनुवाद]

किसानों के अधिकार और विशेषाधिकार, बीज अधिनियम, समुदायों को क्षतिपूर्ति, अनिवार्य लाइसेंसीकरण और शोधकर्ताओं के अधिकार।

[हिन्दी]

यह सब आ चुके हैं, लेकिन मुझे यह कहने का हक नहीं है लेकिन फिर भी यह कहूंगा कि वे आयेंगे ही। यदि नहीं आये तो जाखड़ साहब से सवाल करने के लिये सबसे खड़ा हो जाऊंगा। मैं जानता हूं की जो प्रारुप तैयार किया जा रहा है और जो विधेयक हमारे सामने लाया जायेगा, उसमें जो कुछ कहा गया है, उसकी जानकारी आप सब को भी है। इसकी कापी न केवल मेरे हाथ में है बल्कि विपक्षी दल के मित्रों को मंत्री महोदय ने भी भेजी है। जिस का मैं जिक्र कर रहा हूं, वह कोई नई चीज नहीं है।

फारमर्स राइट्स के बारे में कहा गया है

[अनुवाद]

"इस अधिनियम की किसी भी बात से इस आशय का अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि किसानों के स्वेच्छानुसार अपनी उपज को निपटाने के पारस्परिक अधिकार, जिनमें प्राप्त या सुरक्षित किस्म के बीज से प्राप्त बीजों से प्राप्त सामग्री का विस्तारण कर उसे बचाने, उपभोग करने, विनिमय करने, साझीदारी करने और बेचने का भी अधिकार सम्मिलित है, दुष्प्रभावित होंगें।"

[हिन्दी]

न केवल इसका उपयोग किया जा सकता है, उसको बेचा भी जा सकता है। सीड ऐक्ट का जिक्र खास तौर पर इसलिये कर रहा हूँ कि हमारे नीतीश बाबू बहुत इसके बारे में फिक्रमंद हैं। इस देश का जो 11 प्रतिशत बीज है और सीड ऐक्ट के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड किये गये हैं, वही बेचे जाते हैं। उसके बारे में इस प्रारूप में कहा गया है।

[अनुवाद]

"बीज अधिनियम के अंतर्गत बीज उत्पादन के लिए सरकार द्वारा दी गई या अधिसूचित की गई प्रचलित किस्में इस अधिनियम द्वारा सुरक्षित की जाती हैं।"

[हिन्दी]

जहां तक कि कम्पेंसेशन फोर कम्यूनिटीज का सवाल है, प्रारूप में यह कहा गया है।

[अनुवाद]

"इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा चाहने वाला प्रजननकर्ता कृषि नवीनता, और पादप जैविक संसाधनों की समृद्धि और क्षतिपूर्ति की दिशा में विकास में निरंतर कार्य के लिए समुदायों या समूहों को पुरस्कार और/या मुआवजा देगा।"

[हिन्दी]

और जहां तक कि अनिवार्य अनुज्ञापन, कम्पल्सरी लाइसेंसिंग का सवाल है; इस प्रारूप में कहा गया है:

[अनुवाद]

"प्रजननकर्ताओं के अनुदान और निरंतर सुरक्षा पर बीजों और/या विस्तारण सामग्री के लिए जनता की समुचित आवश्यकता की अभ्यारोही प्राथमिकता होगी।"

[हिन्दी]

और जहां तक कि अन्वेषणकर्ता के अधिकार हैं, रिसर्चर्स राइट्स की बात है, यहां कहा गया है :

[अनुवाद]

"इस अधिनियम की किसी भी बात से यह नही माना जाएगा कि पौधों की नई किस्में विकसित करने हेतु अनुसंधान कार्य के लिए सुरक्षित सामग्रियों तक अनुसंधानकर्ताओं के स्वतंत्र और पूर्ण पहुंच के अधिकार कम या सीमित होंगे।"

[हिन्दी]

अब यह जो प्रारूप तैयार किया जा रहा है, उसका हमें जो मूल अर्थ निकालना है, वह यह है कि हम कोई उपोव, 1991, हमारे नीतिश बाबू न केवल हिन्दी के विद्वान हैं मगर फ्रैंच के भी बन गये है, यह यू पी ओ वी का बहुत जिक्र करते है इसका मतलब बना, "यूनियन पूरल प्रोटेक्शन डेस आब्टेन्शन्स वेजीट्रल्स"। माफ कीजिए, फोरन सर्विस में था तो फ्रैंच सीखने की जरूरत थी। "यूनियन पूरल प्रोटेक्शन डेस आब्टेन्शन्स वेजीटल्स, 1991" हमने उनको तब कहा था और दोबारा हम इसको यहां दोहरा रहे हैं कि हमें न UPOV, 1978, न यू पी ओ वी 1991 को स्वीकार करने की कोई जरूरत है। सुई जैनरस सिस्टम हमारा ही होगा, वह अनन्य होगा, वह हमारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए बनाया जायेगा और हमारा जो अन्तर्राष्ट्रीय अपार्पण है, उसके समनुरूप रहेगा। यह सब हमने आपसे कहा था और सब हो चुका है।

अब सवाल उठता है कि इसमें एग्रीकल्चर एग्रीमैंट में यह बताया गया है कि जो सुई जैनरस एक्ट है, उसे इफैक्टिव होना चाहिए, यह शब्द इस्तेमाल किया गया है और इसलिए मैं आपका आभारी हूं कि आपने एकदम यह सवाल उठाया है। हम कैसे जानते हैं कि जो सुई जैनरस एक्ट हम बनाने वाले हैं, वह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में स्वीकृत रहेगा। एक तो मैं बताऊं और यह कोई रहस्य या गुप्त चीज नहीं है कि अनौपचारिक परामर्श हो चुके हैं, इन्फोर्मल कंसल्टेशंस हमने कर लिए हैं, न केवल गैट के साथ मगर अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, जापान के साथ और हमारे अनौपचारिक परामर्श का निष्कर्ष यह है, जो सुई जैनरस एक्ट हम तैयार करने वाले हैं।

साथ-साथ ट्रिप्स के दो भाग हैं, जिनका हमें उपयोग करना ही चाहिए। एक है ट्रिप्स की धारा एक, जिसमें कहा जाता है :

[अनुवाद]

"सदस्य अपनी अपनी विधिक प्रणाली और प्रक्रिया के तहत इस समझौते के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए समुचित कार्यविधि निर्धारित करने को स्वतंत्र होंगे।"

[हिन्दी]

हम मुक्त हैं लेकिन यहां हम कह रहे हैं कि हम गुलाम हैं और ट्रिप्स में कहा जाता है कि आप मुक्त हैं। कहा जाता है कि :

हम केवल अपनी विधिक प्रणाली और प्रक्रिया के तहत ही इस समझौते के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समुचित कार्यविधि निर्धारित करने के लिये पूर्णत: स्वतंत्र हैं और विभाग 5, जो कि डिस्प्यूट प्रिवेंशन एण्ड सैटिलमैंट है, उसमें खास यह कहा गया है :

"गैट के अनुच्छेद 22 और 23 के प्रावधान इस समझौते के तहत होने वाले परामर्शों और विवादों के निपटारे पर लागू होंगे।"

[हिन्दी]

रूप चन्द जी तो किसी दबाव का जिक्र कर रहे थे, साम्राज्यवाद के बारे में कह रहे थे कह रहे थे कि जिनेवा में घुटने पर जाते हैं और फिर हमें लाल लगाने के लिए यह अमेरिकन और यह गोरा खड़ा हुआ है।

मैं उनसे कहता हूं कि यदि कोई ऐसी कार्रवाई हो हमारे खिलाफ तो उसके लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट का प्रावधान है, धारा 22-23 में, जिसका इस्तेमाल पंडित जी की सरकार, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार, इंदिरा जी की सरकार, जार्ज साहब ने जो सरकार गिराई वह मोरारजी भाई की सरकार, चरण सिंह जी की सरकार, फिर इंदिरा जी की सरकार मार्क टू, राजीव जी की सरकार मार्क वन, फिर हंसी मजाक की वी. पी. सिंह की सरकार और लोग भूल जाते हैं, 5 महीने तक चन्द्र शेखर जी भी इस देश के प्रधान मंत्री रहे, उनकी सरकार, और अब पी. वी. नरसिंह राव की सरकार में भी आर्टीकल 22-23 मौजूद है और इन सब सरकारों ने आर्टीकल 22-23 की इस प्रक्रिया के कारण गैट को नहीं छोड़ा, 50 वर्ष से आप इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब हमको कहते हैं कि इसको छोड़ दीजिए। हम तो आप को एक उदाहरण मानते है, मिसाल समझते हैं, जो काम आपने किए है, उनको हम करेंगे और गैट को नहीं छोड़ेगे।

अध्यक्ष महोदय, यह समझने की बात है कि ट्रिप्स कौंसिल के जरिए हमको मतैक्य पैदा करने के बहुत अवसर मिलते हैं और हम इसका उपयोग करेंगे, मगर एक शर्त है कि कांग्रेस सरकार हो, इनकी सरकार का कोई भरोसा नहीं है कि सही काम करे या न करें, लेकिन कांग्रेस सरकार के बारे में मैं पूरा आश्वस्त हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह सरकार आर्टीकल 22-23 का उपयोग करके हमेशा सही काम करेगी, हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

पैराग्राफ 46 में सूक्ष्म जैव पदार्थों की पटेंटयोग्यता, अनिवार्य लाइसेंसीकरण जारी करने में आसानी और पाइपलाइन सुरक्षा की समाप्ति

[हिन्दी]

का जिक्र है, इन तीनों में कोई तब्दीली हम नही ला पाए हैं, मगर हमारे हाथ में 4 वर्ष और हैं, 1995 के बाद

1999 तक हम इन माइक्रो आर्गनिजम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मतैक्य बना सकते हैं, क्योंकि ट्रिप्स एग्रीमेंट में धारा 27 के पैरा 3 के सब पैरा बी में माइक्रो आर्गनिजम शब्द के सामने नेचुरली अकरिंग का जिक्र नहीं है, क्योंकि इस पर बहुत बड़ा मतभेद विकसित देशों में चल रहा है। माइक्रो आर्गनिजम जो हैं, इनका अविष्कार होता है या उपज्ञा होती है, डिस्कवरी होती है या इनवेंशन होता है और ट्रिप्स की पहली धारा में कहा गया है केवल उस वस्तु या पदार्थ का पेटेंट हो सकता है, जिसकी उपज्ञा होती है। सवाल यह उठता है कि जो जीन सीक्वेंसेस, जो जीन सेल्यूलर वेरायटीज हैं, जिनको प्रकृति में ढूंढा जा सकता है, जिसका आविष्कार प्रकृति से कर सकते हैं, उसका पेटेंट किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में कोई अंतर्राष्ट्रीय मतैक्य आज नहीं है। हमें उस अंतर्राष्ट्रीय मतैक्य को बनाना चाहिए और जब हम अपना पेटेंट एक्ट बनाते हैं तो मैं अपनी सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह खास नेचुरल माइक्रो आर्गनिजम को हटाए, केवल जेनेटिकली मोडीफाइड माइक्रो आर्गनिजम, जीएमओ को उसके अंदर लाए और यह भी कहे कि कोई भी पदार्थ हो, जो कि जीएमओ को इस्तेमाल करता हो, उसका पेटेंट किया जा सकता है।

1.00 बजे म. प.

मगर जी एम ओ को भी कोई पेटेंट नहीं मिल सकता है। ऐसा कानून तैयार करने के पश्चात मैं अपनी सरकार से अनुरोध करूंगा जो ब्रिटिश मेडिकल एसोशिएशन है और जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं जो ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, उनके साथ बात करें और आने वाले चार-पांच वर्षों के अंदर एक नया अंतरर्राष्ट्रीय मतैक्य निकाले जिसमें कहा जाएगा कि नेचुरल आकरिंग माईक्रो आरगेनिज्म में किस प्रकार का पेटेन्ट नहीं हो सकता है। साथ-साथ हमें बहुत ही सख्त अनिवार्य अनुज्ञापन मतलब स्ट्रांग कंपलसरी लाईसेंस की जरूरत है। हमारी दवाईयों के लिए यह बना सकते हैं, उसी धारा के कारण जिसका जिक्र श्री रूप चन्द पालजी ने किया और धारा-8 में लिखा गया है:

[अनुवाद]

"अपने राष्ट्रीय नियमों और विनियमों को तैयार करते समय या संशोधित करते समय सदस्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं।"

[हिन्दी]

धारा-40 में लिखा गया है:

[अनुवाद]

इस समझौते के कोई भी बात सदस्यों को अपने राष्ट्रीय विधेयन में लाइसेंसंकरण पद्धतियों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करने से नही रोकेगी जिनसे कुछ विशेष मामलों में संबद्ध बाजार में प्रतियोगिता पर प्रतिकूल प्रभाव द्वारा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का दुरुपयोग हो।

[हिन्दी]

इन दोनों का उपयोग करके हमें एक नया पेटेंट कानून बनाना चाहिए जिसमें हमें बिल्कुल सुव्यक्त रूप

में कहना चाहिए कि अनिवार्य अनुज्ञापन यानि स्ट्रांग कंपलसरी लाईसेंस इन परिस्थितियों में दिया जाएगा कि कौन-कौन से रोगों को हम नियंत्रण करना चाहते हैं, आम आदमी की क्या आवश्यकताएं हैं और तीसरा युक्तियुक्त दाम पर उपलब्धि, चौथा-उत्पादन में प्रतियोगिता, पांचवा-सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए सरकार की तरफ से या सरकार के कांट्रिक्टरों की तरफ से दवाईयां उपलब्ध हों और उसको बनाने पर मुकम्मल तौर पर छूट हो और छठा-ड्रग प्राईस कंट्रोल आर्डर यानि कहने का मतलब है:

[अनुवाद]

रोग पर काबू पाना है आम आदमी की जरूरतें, उचित मूल्यों पर उपलब्धता की जरूरतें, उत्पादन के प्रतियोगात्मक स्रोत की जरूरत, सरकार या उसके ठेक में काम कर रहे निर्माता द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को आपूर्ति करने की जरूरत और औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश हमारे पेटेंट कानून में सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

यह करें, मजबूत बनें और आगे बढ़ें और ब्रिटिश मेडिकल एसोशिएशन के हमारे मित्रों से हाथ जोड़े और अमेरिका जाएं जो ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं उनके साथ हाथ मिलाएं और एक नया अंतरराष्ट्रीय मतैक्य बनाएं। यह कर सकते हैं इसके लिए चूंकि बुद्धि और नेक-नीयत की जरूरत है। यह इस सदन के पक्ष में है। उस तरफ है या नहीं, क्या पता ? हमारे देश पर एक फर्ज पड़ता है कि कांग्रेस की सरकार चुने और इन लोगों को न लाएं ....(व्यवधान).... आर्टिकल-8 का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, वह है:

[अनुवाद]

उनके सामाजिक-आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास में अत्यंत महत्व के क्षेत्रों में जनहित को प्रन्नित करने के उपायों के किए प्रावधान।

[हिन्दी]

इसका इस्तेमाल न केवल दवाईयों के लिए हो सकता है मगर जो सारे पेटेन्ट दे रहे हैं और उसमें इसका प्रयोग किया तो हमें डरने की जरूरत है क्योंकि लोग गुमराह होंगे और श्री नीतिश कुमार और श्री सैफुद्दीन चौधरी के पीछे भागने लगेंगे। जब तक वे नही करते हैं तब तक हमारे देश के भविष्य पर किसी प्रकार की आशंका करने की जरूरत नहीं है ....(व्यवधान).... अपने गेन्स के बारे में मैं बात कर रहा था लेकिन हमारे विपक्षी दलों के भाईयों की कुछ आपत्तियां हैं।

कृषि के क्षेत्र में किस कारण यह सब पाबन्दियां आ रही हैं, उसका बिलकुल बुनियादी कारण एक ही है कि 1986 में जबकि Punta del Este में हमारा प्रतिनिधि मंडल गया उसके जो नेता थे, जिनका नाम श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह है, जो अभी गैर-मौजूद हैं, उन्होंने कहा था:

[अनुवाद]

"व्यापार और कृषि, दोनों ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार के उदारीकरण की मुख्य धारा से बिलकुल अलग रहेंगे।"

[हिन्दी]

और फिर उस समय के प्रधान मंत्री श्री चन्द्र शेखरजी ने अपने वाणिज्य मंत्री को ब्रसेल्स भेजा, उनका नाम डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी है, वह अब इसके पक्ष में हैं और उस जमाने के प्रधान मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। सुब्रह्मण्यम स्वामीजी ने चन्द्र शेखरजी के अधिकर के साथ, उनकी अनुमति मांगकर कहा:

[अनुवाद]

"हम कृषि व्यापार के उदारीकरण पर जोर देने का पूरा समर्थन करते हैं।"

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : मैं हर बात का जवाब नहीं देता, लेकिन इन्होंने जो कहा है वह अनधिकृत है, सरासर गलत है। यदि किसी ने कोई वक्तव्य दिया हो, मेरी उससे कोई सहमति नहीं है।

[अनुवाद]

मेरे आर्थिक सलाहकार ने जो कुछ किया होगा उससे मैं कभी सहमत नहीं हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर : ठीक है, वह बाद में देख जायेगा। सुब्रह्मण्यम स्वामीजी वहां ब्रसेल्स गये हमारे देश के वाणिज्य मंत्री की हैसियत से, हमारे मंत्रिमंडल की अनुमति से, उन्होंने वहां कहा:

[अनुवाद]

"हम कृषि व्यापार के उदारीकरण पर जोर देने का पूरा समर्थन करते हैं।"

[हिन्दी]

उन्होंने 'आई' नहीं कहा, 'वी' कहा। 'वी' का मतलब यह हो सकता है कि चन्द्र शेखरजी के आशीर्वाद के साथ उन्होंने यह कहा, नहीं तो चन्द्र शेखरजी को उनको वापस बुलाना चाहिए था। चन्द्र शेखरजी इसको स्वीकार करते हैं या नहीं।

श्री नीतीश कुमार : वे इनके नियंत्रण में नहीं थे।

श्री मणि शंकर अय्यर : यदि आप कहें कि कृषि पदार्थों को गैट के अनुशासन के अंतर्गत लाना है तो कुछ देना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा। यदि आप देना नहीं चाहते थे, कुछ लेना चाहते थे तो क्यों आप गये Panta del Este में यह कहने के लिए कि हर हालत में ये कृषि पदार्थ हैं वे सब गैट के अनुशासन में आने चाहिए। इसलिए गये क्योंकि उस जमाने में हमारे प्रधान मंत्री राजीव गांधी थे। उनको पता था कि एक प्रतिनिधि मंडल को जब भेजते हैं तो वह मंत्रिमंडल की अनुमति से जाता है और मंत्रिमंडल की जानिब से वह बोलता है। इसलिए जो कुछ भी विश्वनाथ प्रताप सिंहजी ने कहा 1986 में उसको मैं आज तक स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। हालांकि जो कुछ सुब्रह्मण्यम स्वामीजी ने उस जमाने में कहा उसको भी स्वीकार करने को तैयार हूं, क्योंकि हमारे समर्थन से ही वह ब्रसेल्स जा पाये।

जब हम कृषि के क्षेत्र को देखते हैं तो हमें एक भी अहित नजर नहीं आता है। चन्द उपकार हमें नजर आते हैं। क्योंकि न तो हमें कोई आम या खास राज सहायता कम करने की जरूरत है। दूसरी चीज, सूई जेनरिस

सिस्टम तैयार है और चन्द दिनों में सदन के सामने पेश किया जायेगा। जहां तक पारम्परिक कृषि अधिकार और विशेष अधिकार का सवाल है उसमें कोई कमी नहीं बताई गई है। जहां तक नये कानून के अंतर्गत जो कृषक हैं वे अपने बीज को बेच सकते हैं। बेचने का जो सवाल है, कृषि अधिकार और विशेष अधिकार हैं, यह पहले-पहले एफ. ए. ओ. में 1989 में लाया गया था।

[अनुवाद]

इन अधिकारों और विशेषाधिकारों को सबसे पहले 1989 में खाद्य और कृषि संगठन से अंतरर्राष्ट्रीय मान्यता मिली थी।

[हिन्दी]

यहां मैं गर्व से कहता हूं कि भारतवर्ष दुनिया का सबसे पहला देश बनने वाला है।

जो कि इस सम्बोध से एक कानूनी पहचान है। हम भी करने वाले हैं और यह नहीं कि किसी एक मुल्क को देखकर करने वाले हैं। पहले डुंकल प्रस्ताव आया, इसके बाद यह फाईनल एक्ट आया और उसके बाद हम लोग सोच-विचार करने लगे तब हमने कहा कि यदि कोई दबाव हम पर आने वाला है तो उसका मुकाबला करने के लिये हम सबसे पहले अपने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। हम तब भी यही कहेंगे कि किसानों के अधिकारों, विशेषाधिकारों का संरक्षण करने के लिये और उनकी सुरक्षा के लिये श्री पी. वी. नरसिंह राव मौजूद हैं और वे उनके अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को एक कानूनी पहचान देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अय्यर जी, आपको और कितना समय चाहिए ?

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, क्या मुझे और पंद्रह मिनट का समय मिलेगा ? मैं खास-खास बातों को पढ़कर तुरंत समाप्त कर दूंगा।

[हिन्दी]

तीन चीज़ें मिली हैं जिनसे हमारा कोई अहित नहीं है। अन्वेषणकर्त्ता को अधिकार है, उस पर दबाव नहीं लगा है, प्लांट वैराइटी पर कोई पेटेंट नहीं लाया जायेगा और जहां तक नैचुरल सब्सटेसेज़ की बात है उसमें नीम के लिए कोई पेटेंट नहीं दिये जायेंगे। यह तो ख्वामखाह कहा जा रहा है कि नीम का इसतेमाल नहीं कर सकते कि सुबह उठकर आप दातुन नहीं कर पाओगे, यह सत्य नहीं है। हमारे कानून के अन्तर्गत इस प्रकार की प्राकृतिक वस्तुओं पर कोई पेटेंट नहीं होगा। इस संबंध में थोड़े बहुत उपचार हैं। सबसे पहला तो यह है कि विदेश को हम अपना अनाज निर्यात कर सकेंगे। श्री रूप चंद पाल कह रहे थे कि हम किस प्रकार से कम्पिटीटिव बन सकते हैं। मैं मानता हूं कि ज्योति बसु के नेतृत्व में पश्चिमी बंगाल में कृषक कम्पीटीटिव नहीं बन सकते हैं मगर इस देश ने तो दिखा रखा है कि आज इस देश से कृषि पदार्थों का निर्यात होता है और वह भी 8 हजार करोड़ रुपये का जिसके लिये मैं जाखड़ साहब को मुबारकवाद देता हूं। मैं जापान का जिक्र करना चाहता हूं जहां पर पंजाब का बासमती चावल खाने लायक नहीं होता है। पश्चिम एशिया में पंजाब के बासमती चावल की मार्किट हो सकता

है लेकिन जापान में एक नया मार्किट है जहां हम पहुंच सकते हैं। पंजाबी कृषिक के लिय वहां पर कोई ज्यादा अपार्चुनीटि नहीं है। वहां पर तो बिहार के किसान की पहचान हो सकती है क्योंकि वहां पर बिहारी चावल की उपलब्धि रहेगी। मैं नीतिश कुमार को बताना चाहता हूं कि 2000 करोड़ रुपये तक का .....

श्री नीतिश कुमार (बाद) : मैं इनको जानकारी दे दूं कि लंदन में सबसे अच्छा चावल बिकता है तो उसका नाम है पटना राईस। आप बिहार मज़ाक नहीं उड़ायें।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं वैराईटी की बात कर रहा था और अगर आप 1-2 किलो चावल हमारे घर पर भिजवा दें तो हम भी खा लें।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो यह कहूंगा कि वे आपको खाने पर बुलवायें।

श्री मणि शंकर अय्यर : वे फिर कहेंगे कि हमारे डिमांस्ट्रेशन में भी भाग लो, पुलिस भी पकड़े तो मुझे डर लगता है उनके घर जाने में। मगर मैं कह कहा था कि जापान की मार्किट में बिहारी चावल के लिए 2000 करोड़ रुपये की अपार्चुनिटि खुल गयी है। अगर इसको स्वीकार करना चाहते हैं तो एक रास्ता बहुत आसान है। 6-7 महीने में वहां पर चुनाव होने वाले है कि मौजूदा सरकार को हटाईये और नेक सरकार को लाइये और 2000 करोड़ रुपये का धान दान में बिहार को देने को तैयार हूं क्योंकि प्रणब दा ने हमको यह दिलवा दिया है।

इसके साथ जो बीज प्रदाय हैं, उनके बारे में डा. एम. एस. स्वामीनाथन् ने कहा है जिनके 2-4 शब्द आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह एक अहम बात है और मुझे लगता है कि हमारे देश के जितने बीज प्रदाय अथवा किसान हैं, उसको सुनना चाहिये और समझना चाहिये।

डा॰ स्वामिनाथन का कहना है –

[अनुवाद]

डा॰ एम॰ एस॰ स्वामिनाथन : "हमारी कृषि परिस्थिति की विभिन्नता और पादप प्रजनन क्षमता के कारण और हमारी ग्रामीण महिलाओं के व्यावहारिक कौशल के कारण, हममें घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने और निर्यात के लिए गतिशील परिवारों बीज उद्योग की वृद्धि बढ़ाने की क्षमता है। हमारा लक्ष्य देश के 1 करोड़ खेतिहर परिवारों को सभी फसलों के लिए अच्छे किस्म का बीज मुहैय्या कराना और अगले दस वर्षों में बीज और रोपण सामग्री के विश्व व्यापार में 25 प्रतिशत पर कब्जा करना होना चाहिए। इससे गांवों में कुशलता वाले अनेक काम मिलने में सहायता मिलेगी। यदि सही निर्णय लिए जाएं तो भारत बीज प्रौद्योगिकी और व्यापार में विश्व नेता बन सकता है।"

सही निर्णय हैं : (1) विरोधी दलों के सरकारों से पीछा छुड़ाएं, और (2) इस प्रकार की चीज हासिल करने के लिए एक जिम्मेदार केंद्रीय सरकार को जिम्मेदारी दी जाए।

नीतीश बाबू और मुझमें केवल एक अंतर है और वह यह कि मैं समझता हूं कि यह देश विकासशील देश है और वह समझते हैं कि यह विकलांग देश है। मैं जानता हूं कि यदि बायो टेक्नोलोजिकल साईंटिस्ट को बढ़ावा दें तब हम आगे बढ़ सकते हैं। जर्म प्लास्म प्रोटेक्शन हो चुका है इस नये कानून के अंतर्गत जो हमारे सामने

पेश किया जाएगा और तब वह जो चोरी जिसके बारे में हमारे एक मित्र ने बात की थी वह उसके बाद होने वाली नहीं है।

समय हो रहा है इसलिए दवाइयों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि और लोग भी उस बारे में कह सकते हैं। जो ट्रिम्स हैं उसके बारे में केवल दो शब्द मैं कहना चाहूंगा ट्रिम्स ट्रेट-रिलेटेड इनवेस्टमेंट मेजर्स यह विदेशी नियोजन के बारे में कोई प्रावधान नही रखता है। इसका कोई संबंध विदेशी नियोजन से नहीं है। इसका संबंध केवल आयात में विभेदकारी व्यवहार से है। समझने के लिए आप धारा 1 देखिये, धारा 9 देखिये। वक्त नही है नहीं तो मैं पढ़ कर सुनाता मगर जो इलस्ट्रेटिव मीज़र्स उस समझौते के साथ लगे हुए हैं उसमें दो पैराग्राफ है। पहला है नेशनल ट्रीटमेंट से संबंधित। उस से घरेलू उत्पादन के लिए दाम अधिमान करने पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है।

[अनुवाद]

इसका संबंध विभेदात्मक आयात प्रतिबंधों से है। इसका संबंध विदेशी पूंजी निवेशों से नहीं है।

दूसरे कहा जाता है कि विदेशी नियोजन अनिवार्यता मतलब ऐक्सपोर्ट ओब्लिगेशन ऑन फोरेन इनवॅस्टमेंट हम रख सकते हैं। इस लिए देश को आप गुमराह न करें। चूंकि ये लोग देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं उनका कहना है कि ट्रिम्स ऐग्रीमेंट के अंतर्गत विदेशी निवेशों पर निर्यात बाध्यताएं। मैं आपके माध्यम से सब मित्रों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि ट्रिम्स के कारण कोई रोक नहीं है कि हम विदेशी नियोजन पर पाबंदी लगाएं, कि हम विदेशी पूंजी पर शिखर लगाएं कि हम विदेशी नियोजन पर निर्यात अनिवार्यता करवाएं। समझ लीजिए कि

[अनुवाद]

हमें निवेशों पर निर्यात बाध्यताए हटानी हैं। यह सही नहीं है। वे कहते हैं कि हमें मूल्य अधिमान भी हटाने होंगे और यह भी सही नहीं है।

जहां तक वस्त्र एवं परिधान का सवाल है, मैं तो खुश हूं कि यह बेक लोडिंग है। क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि आज की तारीख में हमें ये सब उपलब्धियां मिलती तो हमें इसका कोई उपकार नहीं मिलता। उपकार मिलता चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम को और हमारे बॉर्डर में पाकिस्तान, श्री लंका और बांग्लादेश को।

हमें तैयार होना है क्योंकि यह एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता है और हम तैयार नहीं हैं क्योंकि हमने एक तो इस बाजार को बंद रखा था। दूसरे जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मित्र हैं उन्होंने अपना दरवाजा भी बंद रखा था। मैं पिछली बार जब बात कर रहा था इस पर तो मैंने बताया कि जब मैं विदेश सेवा में पहली बार 1963 में आया तो सबसे पहला काम जो मुझे करना पड़ा वह शोर्ट टर्म ऐग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स पर करना पड़ा। उस शोर्ट टर्म ऐग्रीमेंट को उन्होंने लोंग टर्म ऐग्रीमेट बनाया और उस लोंग टर्म ऐग्रीमेंट को उन्होंने मल्टी फाइबर ऐग्रीमेंट बनाया और आज क्योंकि प्रणब दा के प्रतिनिधि जेनेवा गए इसलिए हम जानते हैं कि जिस कार्य में हम चालीस वर्ष से लगे हुए थे उसमें अब हमें सफलता मिलने वाली है। ठीक है दस साल बाद सफलता पाने वाले हैं मगर शुक्र

है कि दस साल बाद पाने वाले हैं क्योंकि आज हम पा लेते तो फल में कुछ मिठास की कसर रह जाती। अब हम तैयार रहेंगे।

बहुत कुछ और कहना है। क्रॉस रिटालिएशन के बारे में मैं अंतिम शब्द कह दूं और फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इसके बारे में अनावश्यक भय फैलाया जा रहा है। समझने की बात है कि यंत्र अभ्यास बहुत ही लंबा और जटिल है। हमें इसके लिए ये कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले परामर्श यानी कि कंसलटेशन है। उसके बाद सौजन्य यानी के गुड ओफिसेज़ है। तीसरा संराधन यानी कॉसिलिएशन और चौथा मध्यस्थता। जबकि ये चार कदम आप ले चुके हैं उसके बाद क्या होता है कि एक समिति गठित की जाती है और फिर जब कि उस समिति का निष्कर्ष निकलता है तब एकदम आप एक पुनर्विचार प्राधिकारी के पास पहुंच सकते हैं जबकि उसका निष्कर्ष निकल आता है तब आप नेगोशिएशंस के मकाम पर पहुंच सकते हैं। जबकिउसका निष्कर्ष निकल आता है तब आप नेगोशिएशंस के मकाय पर पहुंचे हैं। तभी प्रक्रामण होता है। प्रक्रामण के पश्चात आपको डिस्प्यूट सेटलमेंट बीडी में जाना है जहां जिनकी अनुमति मांगनी है। इसके पश्चात कोई भी लाभ उपकार या हित हो उसको वापस लेने के लिए आप वेकल उसी क्षेत्र या उसी उप क्षेत्र में अपनी कार्रवाई कर सकते हैं और वह करने के बाद ही आप उसी समझौते के अंतर्गत वह कदम ले सकते हैं और ये सब खत्म होने के बाद ही जाकर क्रौस रिटालिएशन का सवाल उठता है। अब समझ लीजिए कि ये होने के बाद भी आपके सामने एक बंधनकारी विवाचन के जाने के लिए हक है और उसमें दो विषयों पर चर्चा हो सकती है। स्थगन का मकाम और वैधता। जबकि ये सब सुरक्षा हैं तो ये लोग क्यों डरे हुए हैं ? भागे-भागे दुनिया में जा रहे हैं और कह रहे हैं क्रोस रिटालिएशन क्योंकि वह जानते हैं कि आम आदमी हमारे देश में इस शब्द को समझता नहीं है इसका जो मायना है मुकम्मल तौर पर समझता नहीं है इसलिए इसका उपयोग करके वह इस देश को गुमराह करने के प्रयास में लगे हुए हैं और हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम जानते हैं कैसे राजनीति की रणभूमि में उतरा जाता है। रणभूमि में हम दस बार उतरे। दस में से आठ बार हम जीते और दो बार वह जीते। जबकि वह जीते तो क्या हुआ ? 11 महीने के अंदर एक जाता है, पांच महीने में दूसरा जाता है, 6 महीने में कोई और चला जाता है, ढाई साल के अंदर जॉर्ज फर्नान्डीज़ मोरारजी भाई को छूट दिलवा देते हैं। इसलिए जहां तक हमारी आर्थिक प्रभुता या आर्थिक गरिमा का सवाल है, कांग्रेस इसे सुरक्षित रख सकती है।

क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को सुरक्षित रखा है। अध्यक्ष जी, आपको जी, आपको याद होगा कि 5 महीने तक, जब इस देश में चन्द्र शेखर जी की सरकार चल रही थी, इस पवित्र भूमि, भारतवर्ष की भूमि, मेरी मातृभूमि, का उपयोग एक एशियाई देश पर आक्रमण करने के लिये किया गया था। वी. पी. सिंह जी के समय में सबसे पहले अमेरीकी हवाई जहाज हमारे देश में आये। फिर चन्द्र शेखर जी के समय में उनको पूरी छूट दी गयी कि चाहें तो वे आगरा चले जायें, चाहे तो नागपुर चले जाये या जोधपुर चले जाये। उनके लियें सब जगह खुली हुई थीं और उनका मकसद यही था कि यहां से निकलकर, भारतवर्ष से निकलकर, इस पवित्र भूमि से निकलकर, एक एशियाई देश पर जाकर वे आक्रमण करें। आज वे ही लोग आर्थिक प्रभुता और आर्थिक वरिमा के बारे में बातें करते हैं। वे प्रभुता के बारे में क्या जानते हैं, वरिमा के बारे में क्या जानते हैं। कुछ भी नहीं जानते। देश को

उन्होंने गुलाम कर रखा था। आज वे कहते हैं कि हम उन्हीं के पथ पर चल रहे हैं और हम इस देश को गुलाम बनायेंगे।

दुनिया को हम छोड़ नहीं सकते। दुनियां हमारे साथ है। यह देश कोई** नहीं बना सकता। यह देश भारतवर्ष रहेगा और वह भारतवर्ष रहेगा जिसमें आत्मविश्वास हो, आत्म-निर्भरता हो और इसी आत्म-निर्भरता के आधार पर मैं चाहता हूं कि हमारे वाणिज्य मंत्री जी इस फाईनल एक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिये जायें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : देश का नाम कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मैंने बीच में इनको बाधा नहीं पहुंचाई परन्तु इन्होंने मरे हुये कार्ल मार्क्स को लेकर बड़े अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है और मैं चाहता हूं कि इस सदन की परम्परा के अनुसार, मैं यहां उन्हें किसी गाली की भाषा में जवाब नहीं देना चाहता परन्तु इतना अवश्य चाहता हूं कि आप इन शब्दों को रिकॉर्ड से हटवा दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मध्याह्न भोजनावकाश में हम अब चलें ?

....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यविधि हम नहीं अपनाते। जिस समय आप बोलते हैं उस समय आप ऐसा कर सकते हैं।

अब हम लंच के लिये उठते हैं। ढाई बजे फिर मिलेंगे। पहले जसवन्त सिंह जी बोलेंगे, उसके बाद श्री सलमां खुर्शीद साहब बोलेंगे और फिर जार्ज फर्नान्डीज साहब बोलेंगे।

1.27 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.30 म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.33 म. प.

मध्याह्न-भोजन के पश्चात लोक-सभा 2.35 म. प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 193 के अधीन चर्चा

[अनुवाद]

बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के उरुग्वे वार्ता के परिणामों को समाहित करने वाला अंतिम अधिनियम-जारी

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : भारतीय जनता पार्टी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के उरुग्वे दौर के परिणामों

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्य-वाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

को समाहित करने वाले अंतिम अधिनियम पर इस विचार-विमर्श का विरोध करती है।

हम इससे इसलिए असंतुष्ट हैं क्योंकि प्रथमत: हम इस बात से आश्वस्त नहीं हैं कि अंतिम अधिनियम के पारित होने से राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है, दूसरे, हम यह मानते हैं कि इस सरकार ने एक लिखित दस्तावेज में, जिसका मैं अभी जिक्र करूंगा, जो आश्वासन राष्ट्र और इस सभा को दिए थे, उनका पालन इसने नहीं किया है। तीसरे, हम इसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि इस अंतिम अधिनियम द्वारा भारत की आर्थिक संप्रभुता और उसके आर्थिक क्षेत्र को पहले ही कम कर दिया गया है।

भारतीय जनता पार्टी अंतिम अधिनियम से इसलिए असंतुष्ट है, क्योंकि हमारा मानना है कि यह सरकार दक्षिण के विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करने में असमर्थ रही है। हमारा यह भी मानना है कि यह अंतिम अधिनियम प्रमुख आर्थिक शक्तियों और उनके बहु-राष्ट्रीय निगमों के लगभग सम्पूर्ण विजय का प्रतीक है। महोदय, भाजपा इस अंतिम अधिनियम का विरोध करती है, क्योंकि हमारा मानना है कि भारतीय काश्तकार को, भारतीय किसान को और, कहीं किसी भारतीय का बीमार पड़ने का दुर्भाग्य हो जाए तो उसे, पहले बताई गई शक्तियों की दया पर रहना पड़ेगा। महोदय, हमारा मानना है कि इस अंतिम अधिनियम को पारित कर दिया गया तो संघ के राज्यों के अधिकारों पर सीधा दुष्प्रभाव पड़ेगा।

मैं आपको श्री लूई फर्नान्डो जरामिलो जो समूह 77 के अध्यक्ष हैं, की एक बात बताना चाहता हूं जो उन्होंने इस वर्ष के आरम्भ में कही थी :

"ठरुग्वे वार्ता से यह पुन: सिद्ध हो गया है कि जब विकासशील देशों के अस्तित्व-रक्षा में अत्यावश्यक महत्व वाले क्षेत्रों की व्याख्या करने की बात आती है तो इन देशों को दरकिनार और अस्वीकृत कर दिया जाता है। तीसरी दुनिया किए गए निर्णयों के मूक दर्शक बने रहने की भूमिका में ही सिमटी रही। द्विपक्षीय समझौते और बाजार में पहुंच जैसे मुख्य मुद्दे को अनसुलझा छोड़ दिया गया। तीसरी दुनिया के देश ऐसी स्थिति में ला दिए गए हैं जिसमें उन्होंने बदले में बाजार में पहुंच के संतोषपूर्ण शर्त पाए बिना औद्योगिककृत देशों के हित के विभिन्न क्षेत्रों में नई शर्तों को मानने की कीमत पहले ही चुका दी है। निस्संदेह विकासशील देश अलग-अलग और संयुक्त रूप से घाटे में रहे हैं।"

महोदय, मेरी समय से यह उचित होगा कि मैं इस संबंध में संसद की स्थायी समिति के विचार से सभा को अवगत करा दूँ यह स्थायी समिति की सर्वसम्मत रिपोर्ट है। मैं पढ़ रहा हूं।

"समिति की यह राय है कि गैट समझौतों की वर्तमान वार्ता के अनुसमर्थन के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सुपर 301 द्वारा किसी भी देश पर एकपक्षीय रूप से अपना व्यापार नियम लड़ने की बात समाप्त होनी चाहिए। इस आशय का सुनिश्चित स्पष्टीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए समिति का विचार है कि भारत को (क) प्रस्तावित समझौते में, जो विकासशील देशों पर लादा हुआ है, समुचित संतुलन लाने का सक्रिय प्रयास करना चाहिए,

(ख) उन अन्य विकासशील देशों के साथ एक सामान्य आधार बनाना चाहिए जिन्हें समझौते के प्रस्ताव उनके हितों के प्रतिकूल लगे हैं, और

(ग) उन उपायों पर विचार करना चाहिए जिनसे विकासशील देशों के संप्रभुता प्राप्त आर्थिक क्षेत्र की रक्षा हो सके।"

मैंने आरम्भ में ही इस बात का एक अतिरिक्त कारण बता दिया है जिसके कारण भजपा अंतिम अधिनियम का विरोध करती है। सरकार ने राष्ट्र और इस सभा को दिये गये मौखिक और लिखित आश्वासन पूरा नहीं कर सकी है। इस संबंध में सभी संसदसदस्यों को एक दस्तावेज दिया गया था। मैं पूरे दस्तावेज को नहीं पढ़ूंगा, केवल उन्ही मुद्दों को पढ़ूंगा जिनमें सरकार ने प्रारूप में सुधार लाने के वादे किए थे। और क्योंकि इसमें वे सुधार ही नही हुए हैं, यही कारण है कि हम इसका विरोध करते हैं।

वस्त्र के संबंध में सरकार ने यह कहा था कि हमारा यह प्रयास होगा कि क्रमश: की अवधि कुछ छोटी होनी चाहिए। सरकार ऐसा करने में विफल रही है। वस्त्र के बारे में ही सरकार ने लिखित रूप से यह वादा किया था कि हमारा प्रयास बढ़ा हुआ समेकन प्रतिशत प्राप्त करना होगा। लेकिन वह इसे प्राप्त करने में विफल रही है।

कृषि के संबंध में सरकार ने एक लिखित आश्वासन दिया है कि यह खाद्य प्रतिभूति के लिए भण्डारण पर राजसहायता को कम करने संबंधी वचनबद्धता में रियायत की मांग करेगी। यह संदिहास्पद और विवादस्पद बात है। सरकार ने विकासशील देशों हेतु न्यूनतम प्रतिशत मूल पाठ में उपबन्धित 10 प्रतिशत से अधिक कराने का वादा किया था। लेकिन यह वह वृद्धि कराने में असफल रही है। सरकार ने सहायता के समग्र परिमाण का परिकलन करने हेतु आदान राजसहायता में भारतीय किसानों (कम से कम उन किसानों हेतु, जिनके पास 4 हेक्टेयर तक भूमि है) का अनुपात सर्वाधिक रखने का लिखित रूप से वादा किया था। मैं इस सभा को यह बताना चाहूंगा कि 'सहायता का समग्र परिभापण' कोई ऐसे शब्द अथवा पदावली नहीं है जो इस अंतिम रूप से तैयार अधिनियम में अकस्मात प्रयुक्त हुई हैं। ये डंकेल प्रारूप का एक भाग थे। यह बात भी संदेहास्पद है। इस सरकार ने छोटे भूभाग पर उगाए जाने वाली फसलों पर देय राजसहायता को अधिक उदार बनाने का भी लिखित रूप से वादा किया था। लेकिन यह संबंध में भी विफल रही है। सरकार ने वादा किया था कि वास्तविक विदेशी निर्धारित अवधि में कमी लाने का प्रयास किया जायेगा लेकिन सरकार यह करने में विफल रही है। सुगम बाजार के क्षेत्र में सरकार का यह वादा था। यहाँ तक कि भुगतान संतुलन संबंधी समस्याएँ समाप्त हो जाने के पश्चात, कतिपय आवश्यक खाद्य पदार्थों के प्रशुल्क निर्धारण के मामले में विकासशील देशों हेतु रियायत की मांग की जायेगी। यह बात स्पष्ट नही है और इसे अस्पष्ट ही रहने दिया गया है। सरकार ने कहा है कि निर्यात प्रतिस्पर्द्धा में अधिक रियायत लेने के मामले हम 'कैरंस ग्रुप' के साथ शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विकासशील देशों के पास अंन्तर्देशीय और विदेश भावभाड़ा राजसहायता की गुंजाइश रहनी चाहिए, बेशक उनके यहाँ इस समय यह नही भी दी जाती हों। इस बारे में अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिए।

माल की भरमार न होने देने से संबंधित नियमों में सरकार ने वचनबद्धताएं और आश्वासन प्राप्त नही कर सकी है जिनके लिए इसने लिखित में वादा किया था। सरकार ने यह वादा किया था कि बाजार में आने देने से पूर्व भरमार न होने देने संबंधी शुल्क लगाया जा सकता है। घरेलू बाजार में बिक्री स्तर, जोकि मूल्य अंकित करने

संबंधी तुलना के उद्देश्य से पर्याप्त समझा जाता है, को भी अस्पष्ट छोड़ दिया गया है। उन सम्प्लायरों जिनपर पहले ही परिणाम संबंधी प्रतिबंध लगे हुए हैं से माल की भरमार न होने देने संबंधी पूछताछ से छुटकारे की बात भी अस्पष्ट रह गई है। माल की भरमार न होने देने संबंधी शुल्क लगाने से पूर्व सार्वजनिक हित को ध्यान में रखने की आवश्यकता को भी अस्पष्ट छोड़ दिया गया है। माल की भरमार न होने देने संबंधी कार्यवाही के बारे में समयावधि वाले खंड को भी अस्पष्ट रखा गया है।

जहाँ तक प्रति-प्रतिशोधात्मक कार्यवाही की बात है, मैं इस सभा में इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा जो सरकार ने पहले कही थी। इसने कहा था "यदि डंकेल प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो किए गए करारों के बीच प्रति प्रतिशोधात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।" प्रति प्रतिशोधात्मक जटिलताँए हमारे लिए चिंता का विषय है। इस अंतिम रूप से तैयार अधिनियम को स्वीकारने और गैट संधि द्वारा उसकी अभिपुष्टि के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद की विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आ जाएगा, अमरीका की धारा 301 जैसे राष्ट्रीय कानूनों के चलते प्रति-प्रतिशोधात्मक मामलों को विश्व व्यापार संगठन को सौंपे जा सकेंगे। लेकिन यदि अमरीका के साथ-साथ विश्व व्यापार संगठन को परिणाम असंतोषजनक लगते हैं, तो वे धारा 301 अथवा सुपर 301 सहित राष्ट्रीय कानूनों को लागू कर सकेंगे। मुझे हाल ही में भारत की यात्रा करके वापिस गये अमरीकी राजनयिकों से विशेष रूप से यह पूछने का अवसर प्राप्त हुआ था। यात्रा पर आये उन अमरीकी-राजनयिकों ने मुझे बताया कि 'गैट' संधि को अपनाने और इस अंतिम रूप से तैयार अधिनियम के बावजूद, यदि अवसर आया तो अमरीका के पास सुपर 301 का प्रयोग करने का अधिकार रहेगा। यदि आप प्रति प्रतिशोधात्मक संभावना को इसमें सम्मिलित करते हैं जो बात सरकार ने करनी है, और यदि आप सुपर 301 का प्रयोग करने वाले अमरीका जैसे देशों के इन अधिकारों को इसमें सम्मिलित करते हैं, तो मेरे विचार से हमने एक समझौता किया है, जोकि दो समान पार्टियों के बीच का समझौता नहीं है, बल्कि असमान पार्टियों के बीच का समझौता है।

इसकी मांग की गई थी और सरकार ने हमें लिखित में यह दिया था कि घरेलू नियमों को अस्वीकार किए जाने के मामले में स्पष्ट वचनबद्धता होगी जिससे कि अधिक कारणों से बहुपक्षीय प्रतिकारों का अधिकार प्राप्त होता है। अंतिम अधिनियम मे इस प्रकार की कोई भी बचनबद्धता शामिल नहीं की गई है। यदि अपने घरेलू नियम अस्वीकार नहीं किए जाते हैं और यदि इस दस्तावेज में बहुपक्षीय व्यापार संबंधी अंतिम अधिनियम को शामिल कर लिया जाता है, तो मराकश में हम किस बात को मंजूरी प्रदान करने जा रहे हैं, तब क्या हम भारत और इसकी भावीपीढ़ी के लिए दोहरे बंधनों को स्वीकृति प्रदान करने जा रहे हैं।

सरकार ने ट्रिप्स के मामले में चार अन्य वायदे किए हैं जिन्हें अंतिम अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। सरकार ने राष्ट्र को यह वचन दिया था कि वह अंतिम अधिनियम के दस्तावेज में इस सरकार द्वार खाद्यान्न और भेषजों के लिए विशेष आवश्यक लाइसेंसिंग प्रावधानों को लाने का प्रयास करेगे जिन्हें अब तक शामिल नहीं किया जा सका था। दूसरे सरकार ने यह वचन भी दिया था कि वह यहाँ एक और बात स्पष्ट करेगी कि आयात को सरकार से अनुमति लिए बिना आवश्यक नहीं समझा जाएगा। तीसरे ....(व्यवधान)....

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनका कहना है कि उन्होंने केवल प्रयास करने का ही वचन दिया है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं तो साधारण ढंग से ही यह कह रहा था कि इससे राष्ट्र को भ्रम हो रहा है कि जब यह दस्तावेज जारी किया गया था तब इसे किसी उद्देश्य से की जाने वाली घोषणा के रूप में जारी नहीं किया गया था बल्कि यह दस्तावेज तो राष्ट्र की आंखों पर पट्टी बांधने के उद्देश्य से जारी किया गया था। यही कारण है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं।

तीसरे, उन्होंने यह वचन दिया था कि विकासशील देशों में लोकहित संबंधी गोपनीयता को मान्यता देने के लिए एक विशेष प्रावधान किया जाएगा किन्तु इसे भी संदिग्ध अवस्था में ही छोड़ दिया गया है।

चौथे, पौध प्रजनन अधिकारों से किसानों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हेतु इस सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया है जिसका कि मैं बाद में उल्लेख करूंगा। यही कारण है कि हमें इस अंतिम अधिनियम पर स्पष्टत: भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन अस्पष्ट और असामान्य शर्तों पर अपना विरोध जताना पड़ा है।

महोदय, जब हम इस अंतिम अधिनियम के बारे में बात करते हैं तो प्रभुसत्ता का प्रश्न भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। और जब हम आर्थिक प्रभुसत्ता की बात करते हैं, तो मैं अंतराष्ट्रीयकरण संबंधी सरकार की बात को स्वीकार कर लेता हूं। मैं यह मानता हूं कि यह दस्तावेज बहुपक्षीय व्यापार के बारे में है।

और जब हम बहुराष्ट्रीयवाद को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की संभावना के रूप में मान्यता देते हैं, तो हम दो समान साझेदारों के बीच बहुपक्षीय स्थिति को मान्यता दे रहे होते हैं जिसमें समान रूप से और सही रूप से वितरण और व्यवस्था होती है। यह आत्मसमर्थन के पक्ष में कोई दलील नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्वीकरण का अर्थ डालर के समक्ष अपेक्षापित आत्म समर्पण करने की दलील पेश करना नहीं है। यह उन देशों, जो अपने आपको विकसित कहते हैं और जिन्होंने भूमंडल को आर्थिक, सामजिक अथवा पर्यावरण की दृष्टि से लूटा है, के हितों के लिए काम करने की वकालत नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं इस दस्तावेज का विरोध करता हूँ, क्योंकि इस दस्तावेज में भारत की संस्कृति और सभ्यता पर धावा बोलने का निहित उद्देश्य समाहित है। हमें भरोसा है कि यह अंतिम रूप से तैयार अधिनियम असंदिग्ध रूप से बहु पक्षवाद का सूत्र है। यह अंतिम रूप से तैयार अधिनियम इसी रूप से तैयार हुआ है। मैं इस बात को दोहराता हूँ कि हम बहूपक्षवाद को अपनाएंगे लेकिन केवल तभी जब यह सभी के लिए समान होगा। हम उस बहुपक्षवाद में शामिल होंगे जो समाज पार्टियों में होता है। हम बहुपक्षवाद को किसी दबाव अथवा बाध्यता अथवा आज की परिस्थितियों के अन्तर्गत नहीं अपनाएंगे।

मैं पांच अलग अलग पहलुओं पर विस्तृत विचार हेतु बात करूंगा। पहला कृषि के बारे में है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 दिसम्बर को प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था और उन्होंने इसकी प्रति सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजी थी।

भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों और इसी दल के एक मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए पहलकारी उपायों के आधार पर अन्य मुख्य मंत्रियों ने इस मामले को प्रधान मंत्री को भेजा है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा लिखे गए पत्र का एक अंश सक्षिप्त रूप से उद्धत करता हूँ। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया है और मैं इसे उद्धत करता हूँ।

"मुख्यमंत्री के रुप में पदभार ग्रहण करने के बाद मैंने डंकेल प्रारूप प्रस्तावों की जॉच कराई और मेरे देखने

में आया है कि यद्यपि संवैधानिक प्रावधान केन्द्रीय सरकार को कृषि जैसे राज्य के विषय पर भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं.....।"

और इसी संदर्भ में मैं यह कह रहा हूँ।

".....अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए हमारे संघीय ढांचे और विशेष रूप से ऐसे मामले पर, जो देश के कृषि समुदाय के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करे, को देखते हुए इन प्रस्तावों जिनके दूरगामी परिणाम हों, के बारे में राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए था।"

इसके उत्तर में, यहां मैं समग्र पत्र उद्धृत नहीं करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री ने "हमारे कृषि निर्यात में विस्तार की व्यापक सम्भावनाओं" के बारे में बोला और मैं माननीय प्रधान मंत्री अथवा सरकार द्वारा दिए गए वक्तव्य के हरेक अंश की जांच करूंगा, इसमें पहली बात "हमारे कृषि निर्यात में विस्तार की व्यापक सम्भावनाओं" के बारे में है और दूसरी बात यह है कि "इस तरह से कृषि क्षेत्र में राजसहायता में किसी तरह की कटौती करने की आवश्यक नहीं है।" वस्तुत: हमारे आंकड़ें यह दर्शाते हैं कि हमारे मामले के लिए दी जाने वाली राजसहायता की राशि दर्शाये गये मानदंडों से बहुत कम है, और इस विकसित विषय पर मैं पुन: चर्चा करूंगा परन्तु अभी अंतिम अधिनियम का सीधे तौर पर उद्धरण दे रहा हूं और यह देखिए कि हम अंतिम अधिनियम की क्या व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री का कथन यह है "कि सरकार समझौते में स्पष्टत: यह अंतर्विस्त कराने में सफल रही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए"। मैं उस विषय का संदर्भ भी देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि "और न ही हमसे कृषि आयात की अनुमति देने अपेक्षा की गई है"। ओर वे यह कहते हैं कि "ऐसे विकासशील देशों द्वारा जिन्हें भुगतान संतुलन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इनकी मात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है"।

बीजों के बारे में आशंका से संबंधित एक प्रश्न पर माननीय प्रधान मंत्री ने यह कहा : "यह आशंका कि किसानों को अपने फसलों से बीजों को रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी निराधार है और इस विषय पर विशिष्ट रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है।"

मैं एक मुख्य मंत्री द्वारा भेजे गए एक पत्र का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ क्योंकि कृषि से संबंधित प्रश्न के बारे में केवल केन्द्रीय सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है। हमें कृषि के क्षेत्र में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? मोटे तौर पर हमें चार चिंता के क्षेत्रों का सामना करना पड़ रहा है– कृषि और अन्य मामलों के लिए पेटेंट का विस्तार करना अथवा पेटेंट की भांति संरक्षण प्रदान करना।

मेरा यह अभिप्राय है कि हमें विभिन्न प्रकार के पौधों को उगाने की एक अद्वितीय प्रणाली, जिसकी सरकार द्वारा पुष्टि की गई है। सर्वप्रथम लागू करनी होगी और माननीय प्रधानमंत्री ने भी उस मामले पर एक घोषणा की है – मैं अद्वितीय किस्म के पौधों को उगाने वालों के संरक्षण के लिए विधान लाने के बारे में समग्र प्रश्न का विश्लेषण करते हुए पुन: चर्चा करूंगा।

दूसरी बात घरेलू कृषि को दी जाने वाली राज सहायता की निर्धारित सीमा के बारे में है, तीसरी बात हमारे सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी रखने की क्षमता के बारे में है और चौथी बात खाद्यान्नों सहित

मूल कृषि वस्तुओं के आयात की संभावना के बारे में है।

हम पहली बात पर चर्चा करेंगे। अंतिम अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि "देशों द्वारा नए प्रकार के पौधों के लिए पेटेंट द्वारा अथवा प्रभावी अद्वितीय प्रणाली अथवा इन दोनों की मिश्रित व्यवस्था द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। मेरा यह विचार है कि भारत इस प्रस्ताव से विशेष रूप से प्रभावित होगा क्योंकि भारत उन देशों में से एक है जहां पेटेंटीकरण के लिए अपेक्षित कोई संशोधन कभी नहीं किया गया है। प्रस्ताव के स्वरूप में पेटेंटीकरण के लिए संशोधन अमरीकी हितों के कारण अब विश्व में अन्तरित किए जा रहे हैं

यहां तक कि अमरीका ने भी इसे मात्र 1980 में ही लागू किया है।

मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपने प्रत्येक मुद्दे जिन्हें मैं पूछ रहा हूं के बारे में विस्तृत चर्चा कर सकूं अत:, समय की बचत करने के लिए मैं, अवश्य ही, इन मुद्दों की यथा संभव संक्षिप्त व्याख्या करुंगा।

जहां तक अंतिम अधिनियम में स्वीकृत अद्वितीय प्रणाली का संबंध है हमें माडल गैट समझौते के अंतर्गत प्रभावी पौध प्रजनन अधिकारों का संरक्षण प्राप्त करना होगा। विकसित देशों में इसके लिए माडल पहले से ही उपलब्ध है और वे अद्वितीय प्रणाली को लागू कर चुके हैं। इससे पूर्व ही इसका संदर्भ दिया गया था। नए किस्मों के पौधों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है। यह समझौता कुछ दशकों पूर्व हुआ था। परन्तु पौधों के संरक्षण के अन्तर्गत हमें वर्ष 1961 के इस यू. पी. ओ. यू. समझौते को लागू करना होगा जिसमें अनुकूल और प्रभावी अद्वितीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अत: उस तरह की पेटेंट प्रणाली जिसके अंतर्गत पौधों, पशुओं और पौध प्रजनन शामिल है, को पेटेंट कानून समझौते के माध्यम से लागू किया जाना है का क्या होगा। मैं पेटेंट कानून समझौता और उसके प्रभाव के बारे में पुन: चर्चा करुंगा। इसमें पेरिस समझौते के प्रभावों को भी ध्यान रखा गया है और मैं सरकार से इन सभी पहलुओं को स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं।

राजसहायता से संबंधित प्रश्न के बारे में विवाद उठ खड़ा हुआ था और इसकी अलग-अलग व्याख्या की जा रही है।

मैं इस अधिनियम का उद्धरण देना चाहता हूं और तत्पश्चात् मैं सरकार और माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे यह स्पष्ट करें कि हमें किस व्याख्या का अनुसरण करना है। क्या हमें राजसहायता की सही व्याख्या के लिए इस अधिनियम को मानना चाहिए अथवा हमें सरकार द्वारा राजसहायता के बारे में की जा रही व्याख्या स्वीकार करनी चाहिए ? मैं राजसहायता और तत् समनुरुप उपायों के बारे में समझौते के अनुच्छेद-1, राजसहायता की परिभाषा का उद्धरण देता हूँ। जो इस प्रकार है :

14.58 म. प.

(श्री पी. सी. चाक्को पीठासीन हुए)

"इस समझौते को लागू करने के प्रयोजनार्थ किसी सदस्य (इसका आशय सरकार से है अर्थात् जहां निधियों के प्रत्यक्ष अंतरण में सरकारी प्रक्रिया शामिल है) देश में किसी सार्वजनिक निकाय अथवा सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधान किए जाने पर उसे राजसहायता समझा जायेगा। उदाहरणार्थ इसमें अनुदान, ऋणों और इक्विटी का मिश्रण, ऋण गारंटी जैसी देयताओं अथवा निधियों का संभाव्य प्रत्यक्ष अंतरण, वित्तीय प्रोत्साहन अर्थात् जमा कर राशि के

रूप में बकाया सरकारी राजस्व जिसे छोड़ दिया गया हो अथवा उसकी वसूली न की गई हो, शामिल है।"

इस प्रकार 'छोड़ दिया राजस्व' (रेवेन्यू फोरगोन) राज सहायता का भाग है। इस मामले में मेरी व्याख्या इस प्रकार है और यदि मेरी व्याख्या गलत है तो सरकार यह बताए कि मेरी व्याख्या गलत है। जहां तक भारतीय कृषि का संबंध है 'छोड दिया गया राजस्व' कुल राजसहायता का एक हिस्सा होगा।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, वह राजस्थान राज्य के बारे में है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि सभी 'बरानी' भूमि राजस्व मुक्त होगी। यह बात माननीय कृषि मंत्री जानते हैं और वे इस तथ्य से अवगत है। पुन: मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अब यहा घोषणा की है कि न केवल कुल 'बरानी' भूमि राजस्व मुक्त होगी अपितु ऐसी भूमि, जहां सिंचाई की सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, भी भूमि राजस्व से मुक्त होगी।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि भूराजस्व के मामले में, जहां वह राजस्व छोड दिया गया है, माफ कर दिया गया है अथवा कर के रूप में वसूल नहीं किया गया है, क्या इस राशि को राजसहायता माना जाता है अथवा इसे राजसहायता नहीं समझा जाता है।

15.00 म. प.

अत:, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ऋणात्मक राजसहायता के जो आंकडें दर्शाए जा रहे हैं अथवा सही होने का दावा किया जा रहा है अथवा क्या वे दावे गलत हैं क्योंकि यदि आप इस अधिनियम में दी गई राजसहायता की परिभाषा देखेंगे तो यह पायेंगे कि इसमें कोई ऋणात्मक राजसहायता नहीं है। यह बात सरकार बताएं। यह दलील कि ऋणात्मक राजसहायता के कारण हमारे देश के आर्थिक क्षेत्र में ऐसी कटौती अथवा इस प्रतिबंध का कोई प्रभाव नहीं होगा परन्तु मैं इस तर्क से संतुष्ट नहीं हूं। अत:, मैं इस संबंध में सरकार से स्पष्टीकरण चाहूंगा। मैं आगे उद्धृत करता हूँ :

(तीन) सरकार सामान्य आन्तरिक ढांचे के अलावा माल अथवा निकायें अथवा खरीद माल उपलब्ध करायेगी; (चार) सरकार पोषण तंत्र के लिए भुगतान करेगी अथवा निजी निकाय को उपरोक्त एक से तीन में दर्शाए गए एक अथवा अधिक तरह के कृत्यों को पूरा करने का दायित्व सौंपेगी अथवा निदेश देगी जिसका दायित्व आमतौर पर सरकार का है और सही मायने में यह सामान्यत: सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवहार से अलग नहीं है....."।"

मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि राजसहायता से संबंधित प्रश्न के बारे में सरकार द्वारा की गई व्याख्या सही है और मेरे विचार से भारत में राजसहायता के संबंध में यह अधिनियम एक खुला प्रश्न है।

दूसरी बात बीजों और पेटेंट के बारे में है।

मैंने पहले ही कहा कि हमें इस विशिष्ट कानून को लागू करने के लिए विस्तार से विचार करना होगा। यह कानून वर्तमान यू. पी. ओ. वी. कन्वेन्सन 1961 के समान होगा तथा साथ ही पेरिस कन्वेन्सन के पहलु भी इसमें शामिल होंगे। इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह दलगत भावना से प्रभावित न हों। कृषि मंत्री अपने पद के उत्तरदायित्व का भी ख्याल रखें तथा यह स्पष्ट करें कि यदि आप बीजों के सुधार के नाम पर भारतीय किसानों को बाध्य करेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा?

तिलहन का उदाहरण लें। यहाँ इसपर केवल पेटेन्ट के पहलु से ही विचार नही किया जा रहा है। भारत अपवाद के तौर पर एक मात्र ऐसा देश है जहाँ खाना पकाने के लिए जानवर की चर्बी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अब चूंकि कुकिंग के लिए भारत जानवरों की चर्बी पर निर्भर नहीं है इसलिए भारत में तिलहन, खाना पकाने के तेल, वनस्पति-तेल का बहुत महत्व है। यह कहा गया है कि मूंगफली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि विदेशों में बेहतर तिलहन संबंधी उत्पादन-विधि विकसित की जाती है, अच्छे किस्म का तिलहन विकसित किया जाता है तो क्या भारत के किसानों को उस देश के बीज के लिए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा ? यह पहला प्रश्न है। दूसरी बात यह है कि पूरे आयात के क्षेत्र में जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है तथा भारत द्वारा बाजार उपलब्ध कराने की मजबूरी की स्थिति में जबकि तिलहनों के उत्पादन से जुड़े भारतीय किसान प्रतिस्पर्धि बाजार में पीछे हो जाऐंगे तो इसका क्या परिणाम होगा। आप उनके हितों की रक्षा कैसे करेंगे ? मुझे लगता है कि सरकार ने पहले ही पॉम-आयल खरीद लिया है। जैसा कि माननीय कृषि मंत्री को विदित है यदि किसानों द्वारा अपेक्षित कीमत में कमी आती है, यदि उन्हें एक मौसम के लिए भी अपने उत्पादों पर संतोषजनक भुगतान नहीं दिया जाता तब तिलहनों के उत्पादन से जुड़े समुदाय पर तथा भारत के तिलहन उद्योग पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। मेरा ऐसा अनुमान है। यदि सरकार यह साबित कर दे कि मेरा अनुमान गलत है और ऐसा नहीं होगा तो मुझे खुशी होगी। यह मेरे द्वारा महज एक प्रतियोगी दावा प्रस्तुत करने का मुद्दा नहीं है। मैं तो भारत के किसानों के मन में बैठी आशंका को उजागर कर रहा हूँ। यह एक वास्तविक आशंका है तथा इसका निवारण तब तक नही होगा जब तक सरकार आशंका के आधारों एवं इसमें आ रही सभी तरह की दिक्कतों का अच्छे ढ़ंग से निवारण नही कर देती है।

तीसरी बात को लें जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबद्ध है। पहले हम यह देखें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में नियम क्या कहता है। यह कृषि क्षेत्र में समझौते के अनुबोध II अनुच्छेद 3 में उल्लिखित है। इसमें कहा गया है" खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों हेतु सार्वजनिक भंडारण" इसमें क्या है वह हमसे पहले बोलने वाले वक्ता ने कहा है। लेकिन यह किस चीज का विश्लेषण है ? इस विशेष पैरा विशेष के मूल पाठ कहा गया है :

"इस तरह के स्टाकों का परिणाम तथा भंडार खाद्यसुरक्षा के पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों के ही अनुरूप होगा। स्टाक का भंडारण तथा वितरण प्रक्रिया से संबंधित वित्तीय मामला सुस्पष्ट होगा। सरकार खाद्य सामग्रियों का क्रय वर्तमान बाजार मूल्य पर करेगी तथा कथित उत्पाद व गुणवत्ता वाले खाद्य सुरक्षा भंडार से विक्रय वर्तमान घरेलु बाजार मूल्य से कम कीमत पर नहीं किया जाएगा।"

इसके बाद पादटिप्पणी में कहा गया है :

"इस अनुबंध के पैरा 3 तथा 4 के लिए विकासशील देशों में स्थाई तौर पर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों की खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कम कीमत पर खाद्य पदार्थ लेने का प्रावधान इस पैरे के प्रावधानों के अनुरूप होगा।"

मैं नहीं समझता कि इससे बात स्पष्ट होती है। मेरे विचार से इससे स्थिति खराब होगी। मुझे लगता है

कि माननीय वित्तमंत्री इस संबंध में मेरे अनुमान को गलत मानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रभावित नहीं होगा। लेकिन यह एक सरल बात है कि बाजार मूल्य वर्तमान खरीद का निर्धारण करेगा तथा बाजार मूल्य वितरण हेतु खाद्य स्टाक का निर्धारण करेगा।

वित्तमंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : क्या इससे मैं यह समझूं कि आप एक ऐसी प्रणाली के पक्षधर हैं जिसमें किसानों का शोषण होता हो तथा उन्हें उत्पादों के लिए चालू बाजार-मूल्य से कम मूल्य दिया। ऐसी स्थिति में आपको यह बात स्पष्ट रुप से कहनी चाहिए।

श्री जसवंत सिंह : बिल्कुल नही। मुझे लगता है कि माननीय वित्तमंत्री जी यह कहना चाहते हैं कि मेरी बातों का निहितार्थ किसानों को कम भुगतान करने से है। निश्चय ही मेरा अर्थ यह नहीं है। लेकिन जैसा कि माननीय वित्तमंत्री जी ने कहा इसमें वह बात भी छुपी है जिसका विश्लेषण मुझे करना है। उनका कहना यह है कि चालू बाजार मूल्य पर ही खरीदारी की जाए तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी बाजार मूल्य को ही अपनाया जाए। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने बीच में ही यह बात कही कि शायद मैं किसानों को कम भुगतान किए जाने की सलाह दे रहा हूँ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि किसानों को पर्याप्त कीमत मिले। मैं यह भी चाहता हूँ कि कई दशकों से देश के शहरी तथा ग्रामीण लोगों को सुविधा प्रदान करने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजाक का विषय न बनाया जाए। यही बात मुझे कहनी है। और मुझे लगता है कि माननीय वित्तमंत्री द्वारा बीच में की गई टोका-टोकी से स्पष्टीकरण मिलने के बजाए मेरी आशंका और प्रबल हुई है। यह तो सरकार को कहना है। ....**(व्यवधान)**....

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : यह साधारण सी बात है कि हमलोग किसानों को लाभप्रद मूल्य देने का आश्वासन दे रहे हैं। सरकार इसे बाजार मूल्य से नीचे नहीं आने देगी। जो कुछ भी बाजार मूल्य पर उपलब्ध है उसे सरकार खरीदती है।

एक माननीय सदस्य : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में क्या कहना है ?

श्री बलराम जाखड़ : सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुद्दा कुछ और ही है इसमें अलग से कीमतों का निर्धारण किया जाता है। ....**(व्यवधान)**....

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : वह प्रशासनिक मूल्य है। प्रशासनिक मूल्य से उनको क्या मतलब है ? उन्होंने जो पाद टिप्पणी पढ़ी उसके अनुसार प्रशासनिक मूल्य का मतलब सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है। इसलिए पाद टिप्पणी में ही 'प्रशासनिक मूल' मुहावरे का प्रयोग किया गया है। श्री जसवंत सिंह ने कहा है कि यह 'प्रशासनिक मूल्य' है न कि बाजार मूल्य तथा सरकार को ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मूल्यों के निर्धारण का अधिकार होगा चाहे खरीद मूल्य अथवा बाजार मूल्य जो भी हो।

श्री जसवंत सिंह : सभापति महोदय, मंत्रिमंडल के तीन वरिष्ठ सदस्यों ने मेरे कथन को स्पष्ट करने का प्रयास किया तथा उन तीनों ने तीन अलग-अलग तरीकों से मुद्दे को भ्रामक बना दिया। माननीय वित्तमंत्री ने यह आशय निकाला है कि मैं किसानों का शोषण करवाना चाहता हूँ, माननीय कृषि मंत्री ने दूसरा अर्थ निकालते हुए कहा कि हमलोग अधिक मूल्य पर खरीद करेंगे और कम मूल्य पर बेचेंगे; माननीय वित्तमंत्री का मत था:"

नहीं-नहीं यह बिल्कुल अलग है; सरकार प्रशासनिक मूल्य देना जारी रखेगी;" ....(व्यवधान).... इससे चूकि भ्रम पैदा होता है, अत: मैंने संसदीय समिति की रिपोर्ट से ही कुछ दिशा खोजने का प्रयास किया। संसदीय समिति ने इस प्रश्न का अध्ययन किया है तथा एक सर्वसम्मत निर्णय पर पहुँची है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : विपक्ष द्वारा देशव्यापी विरोध के पश्चात ही रिपोर्ट आई है"

श्री जसवंत सिंह : इस विषय का अध्ययन करने के पश्चात समिति का निष्कर्ष क्या रहा है ? सरकार समिति रिपोर्ट से अवगत है। समिति का निष्कर्ष क्या है ? समिति ने जो पाया है मैं उसे उद्धृत करता हूँ :

"कि बाजार मूल्य पर खाद्यानों की खरीद एवं बिक्री के संबंध में डंकेल प्रस्ताव के प्रावधानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। यदि डंकेल प्रस्तावों को वास्तविक रूप में ही स्वीकार कर लिया जाए तब सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर गहरा विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा इससे संकट और भी गहरा जाएगा इसलिए समिति का मत है कि 'गैट' सचिवालय से यह स्पष्ट करा लिया जाए कि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर तत्काल अथवा भविष्य में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

श्री पवन कुमार बंसल (चंण्डीगढ़): यह कर लिया गया है।

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं स्वीकार करता हूँ, हमारी छान-बीन उपयोगी रही है। वे कह रहे हैं कि ऐसा करना आसान नही था, लेकिन ऐसा हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह संतोषजनक नहीं है। इससे मुद्दा अस्पष्ट ही रहता है; तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मेरा यही कहना है।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : आप इसे संकट में डालना चाहते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। यदि माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि मैं टिप्पणी करता हूँ, क्योंकि मैं किसानों का अहित चाहता हूँ या मेरे मित्र, श्री चार्ल्स कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, क्योंकि मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्षति पहुंचाना चाहता हूँ, इस स्तर पर, इस मामले पर बहस करना कठिन होगा।

मैं अपनी बात को और स्पष्ट करता हूँ। प्रश्न टी० आर० आई० पी० एस का था। हमने अनेक अवसरों पर इस सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की थी। हमने पूर्ववर्ती सभी वाद-विवादों में इस सम्बन्ध में चर्चा की थी। फिर भी जहाँ तक बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का प्रश्न है इस सम्बन्ध पुन: चर्चा की जानी चाहिए ऐसा मेरा विचार है और यह सरकार का काम है कि वह मेरे सन्देहों को दूर करे कि इस अधिनियम के द्वारा हमारे सम्प्रभु आर्थिक क्षेत्र में स्पष्ट अतिक्रमण है और इसके गहरे और दूरगामी परिणाम होंगे। यहाँ तक कि माननीय अध्यक्ष महोदय और भाषण के बीच में व्यवधान पैदा करने वाले सत्तापक्ष के सदस्यों ने भी स्वीकार किया था कि जहाँ तक टी० आर० आई० पी० एस० का सम्बन्ध है, सरकार अपने आश्वासन को पूरा करने में विफल ही नहीं हुई है बल्कि वास्तव में, यह आश्वासन प्राप्त करने में भी विफल हुई है और इसमें कोई और संशोधन नहीं किए गए हैं। हमारे लिए इसके क्या परिणाम निकलेंगे इससे 1970 का भारतीय पेटेन्ट अधिनियम एक तरह से निरस्त हो जाएगा यह

त बड़ी बात है जो सरकार कर रही है। इस समय इस अधिनियम में वहां एक तरफ पेटेन्ट धारकों के वैयक्तिक हितों और दूसरी ओर सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्षेत्रों में जनता के हितों में जो बेहतर सन्तुलन है, वह समाप्त हो जाएगा।

यदि यह हमारे देश के आर्थिक और सम्प्रभु क्षेत्र को सीमित करना नहीं है, तो मैं नहीं जानता कि यह क्या है बौद्धिक सम्पदा धारको, विदेशी निगमों और औद्योगिकृत विश्व के एकाधिकार हितों की समुचित और प्रभावी सुरक्षा, जैसाकि उन्होंने परिभाषित किया है, नए विधान का मूल आधार होगी जिसे इस सरकार को संसद के समक्ष लाना पड़ेगा। इसका रासायनिक और भेषज उद्योग, जैव प्रौद्योगिकी, बीजों की उन्नत किस्में प्राप्त करने और तैयार करने, नये उर्वरक और कीटनाशकों के विकास में सूक्ष्म-वैज्ञानिक जीव सवंर्धन में सबसे अधिक दुष्प्रभाव पड़ेगा। विकसित राष्ट्रों हेतु जिस 10 वर्षीय सक्रांति काल की बात की जा रही है, अधिकांश महत्वपर्ण क्षेत्रों में खोखली साबित होगी। इस नए समझौते के अन्तर्गत हमें अनुसमर्थन के दिन से ही पाँच वर्षों के लिए अन्य देशों में पेटेन्ट धारकों के पक्ष में कृषि, रासायनिक उत्पाद और औषध उत्पादों के लिए विपणन अधिकार देने पड़ेंगे यानि कि भिन्न नाम के अन्तर्गत उत्पाद पेटेन्ट सुरक्षा।

यदि माननीय वित्तमंत्री, उत्तर देते समय मेरी बात का खंण्डन करते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि मेरी व्याख्या गलत है और सरकार ने इस पहलू की पूरी तरह सुरक्षित रखा है तो मुझे खुशी होगी।

मैं टी. आर. आई. एम. एस. पर बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं लूँगा। लेकिन मैं सेवाओं की परिभाषा पर अवश्य बोलना चाहूँगा। क्योंकि, यद्यपि टी. आर. आई. एम. एस. की शर्तों के अन्तर्गत सेवाओं की परिभाषा, जैसा कि इस अधिनियम में दी गई है, वास्तव में विशिष्ट है। सेवाओं में सरकारी अधिकार के व्यवहार सम्बन्धी सेवाओं के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों की सेवाएं सम्मिलित हैं।

"सरकारी प्राधिकार को प्रयोग करने के सम्बन्ध में दी गई सेवा का अर्थ ऐसी कोई भी सेवा से है जो न तो वाणिज्यिक आधार पर और न ही एक या एक से अधिक सप्लायरों के साथ प्रतिस्पर्धा में दी गई है।"

सेवा की आपूर्ति को सेवा के उत्पादन, वितरण, विपणन, बिक्री और सौंपने को सम्मिलित करने हेतु परिभाषित किया गया है। यह स्पष्ट है कि समझौते में अस्पष्ट रूप से परिभाषित परम्परागत सरकारी कार्यों जो हम विधायी, प्रशासकीय या सम्भवतया न्यायिक क्षेत्रों में कर रहे हैं, के अतिरिक्त सभी सेवा सम्बन्धी कार्यकलापों को सम्मिलित किया गया है। इस व्यापक अतिक्रमण को सीमित करने के लिए प्रभावी तरीका प्रतिभागियों द्वारा समझौते की रोड्यूल में ली गई विशेष प्रतिबद्धताओं के रूप में दिया गया है। परन्तु सुरक्षा के इस परिसीमन में दो अन्तर्निहित कमियां भी हैं, प्रथम, कम प्रतिबद्धता होगी उतना ही व्यक्तिगत हित क्षेत्र में कम लाभ होगा। इसके अतिरिक्त समझौते में यह प्रावधान है कि :

"सदस्य उदारीकरण के उच्च स्तर को हासिल करने के उद्देश्य से समझौते में शामिल होने के 5 वर्ष से पहले शुरू होने वाली बातचीत के दौरों में भाग लेंगे। आगे उदारीकरण की प्रक्रिया को द्विपक्षीय अनेक पक्षीय और बहुपक्षीय विचार विमर्श, जो इस समझौते के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा की गई विशेष प्रतिबद्धतओं के स्तर में वृद्धि करने की दिशा में होगा, के द्वारा बढ़ाया जाएगा"--

मैं नहीं सोचता कि सरकार द्वारा की गई यह प्रतिबद्धता भारत के भावी हितों की रक्षा कर सकेगी। मैं माननीय वित्तमंत्री से इस पहलू को स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूँ।

अब मैं दूसरे पहलू को लेता हूँ जो वस्त्रों के बारे में है और जो हमारे लिए चिन्ता का मुख्य क्षेत्र है। यह कहा गया है कि वस्त्र, मल्टी फाइबर समझौते के क्षेत्र में भारत को लाभ हो सकता था और इसी क्षेत्र में सरकार को प्रतिबद्ध होना चाहिए था और इस क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए था।

समय बचाने के लिए मैं वस्त्र समझौते से कुछ उद्धत नहीं करूंगा लेकिन मैं संसदीय समिति द्वारा वस्त्र समझाते की गई टिप्पणी को पढ़ूंगा।

श्री ए॰ चार्ल्स : क्या वह प्राधिकार है या समझौता ?

श्री जसवन्त सिंह : मैं समझौते से उद्धत नहीं कर रहा हूँ। मैं अब संसदीय समिति की रिपोर्ट से उद्धत कर रहा हूँ यह एक सर्वसम्मत रिपोर्ट है।

श्री ए॰ चार्ल्स : मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रामणिक बात क्या है ? यह मात्र सिफारिश है और मात्र एक टिप्पणी है। जिसका महत्व है, वह समझौता है। वह केवल समिति की टिप्पणी है।

श्री जसवन्त सिंह : मैं मानता हूँ। मेरे विचार से मानवीय सदस्य ने एक सही प्रश्न किया है। उनके विचार में समझौता महत्वपूर्ण है न कि जो समिति कहती है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। हमें परिणामों सहित अधिनियम की प्रतियां बांटी गई हैं। इस अधिनियम में 1994 सामान्य तटकर और व्यापार समझौता, 1994 को शामिल नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। सामान्य तटकर और व्यापार करार के विभिन्न अनुच्छेदों पर बहुत सी टिप्पणियां है। ये टिप्पणियां हमारे पास नहीं है। मैं सरकार से इन्हें उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करता हूँ। यद्यपि अब विलम्ब हो चुका है फिर भी हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है जिसे सरकार ने नोट कर लिया है। कृपया बैठ जाइए। श्री जसवन्त सिंह अपनी बात जारी रखें।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं सरकार का ध्यान समिति द्वारा मल्टी फाइबर समझौते या वस्त्रों के बारे में कही गई बातों की ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ूँगा जो वास्तव में सिफारिशों का सार है। इसके अनुसार डंकेल प्रस्ताव में प्रस्तावित 10 वर्षीय संक्रांति काल के दौरान, वस्त्र व्यापार शुरु होने से पहले पहले नौ वर्षों में, 51 प्रतिशत व्यापार और 10 वे वर्ष के अंत में शेष 49 प्रतिशत व्यापार का उदारीकरण होना था। इस मुद्दे पर समिति का विचार है कि भारत को वस्त्रों से संबंधित प्रस्ताव में सुधार के लिए संभावनाए तलाशनी चाहिएं।

यह एक क्षेत्र है जहाँ उदारीकृत व्यापार से देश के हित बिलकुल स्पष्ट हैं और यह सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिएं कि यह लाभ देश को प्राप्त हो। ऐसा अभी तक नहीं किया गया है।

दूसरे, समिति ने क्षेत्रीय समूहों जैसे एन. ए. एफ. टी. ए., के गठन की बात है जिसमें सदस्य देशों के लिए

इन अवरोधों को समाप्त कर दिया जाएगा जबकि गैट पद्धति में अन्य देशों के लिए कोटा और टेरिफ रिजीम बनाए रखे जाएंगे। इससे हमारे वस्त्र उद्योग पर बुरा असर पड़ने की संभावना है।

महोदय, मेरे पास समय का अभाव है और आज के वाद विवाद का उद्देश्य विस्तार से चर्चा करना भी नहीं है। पर इस बात को पुन: कहे जाने की आवश्यकता है कि सरकार के वस्त्रों के क्षेत्र में दृढ़ता दिखानी चाहिए थी जिससे राष्ट्रीय हितों की बेहतर ढंग से रक्षा हो सके और अन्य दस वर्षों में मल्टी फाइबर समझौते को बैकलोडिंग करने के बजाय इसको फ्रन्टलोड किए जाने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए थे ताकि हमारे कपास उत्पादक, वस्त्र उद्योग इत्यादि आज से ही लाभ उठा सकें। यदि क्षेत्रीय समूह बनते हैं और यदि समूहों के अन्तर्गत क्षेत्रीय समूह सूती वस्त्रों सहित व्यापार और समान के वेरोकटोक आवागमन की अनुमति देते हैं तो भारत जो कपास पैदा करने वाला बड़ा देश है, उस पर आज ही नही बल्कि आने वाले दस वर्षों में बुरा असर पड़ेगा। यह मेरा मानना है और अंतिम अधिनियम के संबंध में यह मेरी आपत्ति है।

अब मैं राज्यों के अधिकारों के प्रश्नों पर चर्चा करुंगा। मैं समझता हूँ कि सरकार द्वारा अंतिम अधिनियम पर स्वीकृति देने पर भाजपा को अपनी सहमति देने में कठिनाई होने का एक कारण यह भी है का यह भी एक कारण है। जहां तक राज्यों के अधिकारों का प्रश्न है मैं इस संबंध में सरकार से चाहूंगा कि वह एकाध बातें स्पष्ट करे।

पहली बात यह है कि क्या संघ सरकार को समझौता करने की प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के क्रम में संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II और III से राज्यों को प्राप्त होने वाले अधिकारों और शक्तियों को संबंधित राज्यों से सहमति अथवा समुचित परामर्श किए बिना, समाप्त, संशोधित अथवा सीमित किया जा सकता है या फिर उन्हें सूची III में डाला जा सकता है ?

दूसरी बात यह है कि क्या केंद्रीय सरकार को समझौता करने की प्राप्त शक्तियों के प्रयोग के क्रम में संविधान के अनुच्छेद 162 द्वारा राज्यों को मिलने वाली कार्यपालक शक्तियों को कभी किसी प्रकार समाप्त, संशोधित या सीमित किया जा सकता है ?

तीसरी बात यह है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 253 को उस भाग के अन्य अनुच्छेदों के साथ व्याख्या नही की जानी चाहिए ताकि अनुच्छेद में व्यापार कार्यविधियों और समर्थक सीमाओं का सुनिश्चित समावेश हो सके जिससे कि राज्यों की अपनी विधायी शक्तियां संघ संसद में समाहित न हो ?

चौथी बात यह है कि क्या समझौता करने की अपनी शक्ति के प्रयोग के समय भारत का संघ संविधान की राज्य नीति के दिशा निर्देशक सिद्धान्तों के तहत राज्य अपनी जनता के प्रति अपने कर्तव्यों के अनुपालन की क्षमता को प्रभावित कर सकता है ?

पांचवी बात यह है कि क्या समझौता करने की अपनी शक्ति के प्रयोग के समय भारत का संघ किसी राज्य के अपने नागरिकों के काम करने के अधिकार, जीवन यापन मजदूरी और अच्छे जीवन स्तर को सुनिश्चित करने संबंधी सांविधिक कर्तव्य और साथ ही सस्ता खाद्यान्न, दवाइयां और अन्य सुविधाओं के वितरण के उसके कर्तव्य को प्रभावित कर सकता है ?

छठी बात यह है कि क्या समझौता करने की अपनी शक्ति के प्रयोग के क्रम में क्या भारत का संघ किसी राज्य की उस शक्ति को वापस ले सकता है जिसके द्वारा राज्य अपने किसानों को बीजों के प्रयोग के अधिकार और जहां चाहे वहाँ फसल उगाने के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है, तथा राज्य के मवेशियों की सुरक्षा और उनके कल्याण सहित राज्य के सभी नागरिकों को पर्याप्त खाद्यान्न आपूर्ति और खाद्यान्न तक पहुंच सुनिश्चित करता है ?

सातवें, समझौते करने की शक्ति के प्रयोग में क्या केंद्रीय सरकार बौद्धिक सम्पदा कानूनों, निवेश उपायों और सेवा उद्योगों के विनियमन में परिवर्तन लाने के लिए ऐसे कदमों का वादा और इस संबन्ध में उपाय कर सकती है जो राज्य के अंदर व्यापार के संबंध में कानून बनाने की राज्यों की शक्ति का पूर्व क्रयाधिकार या विनियोग कर सकती है ?

मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वह इस बात को स्वीकार करेगी अथवा स्पष्ट करेगी कि राज्यों कि विधान सभाओं और उनके मुख्यमंत्रियों का दायित्व अपने नागरिकों को उन अंतरराष्ट्रीय समझौतों से अवगत रखना है जो उनके अधिकारों को प्रभावित करते हैं ? आप जो यह अत्यंत व्यापक प्रभाव लाने जा रहे हैं, इससे क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे वर्तमान सम्पूर्ण सांविधिक व्यवस्था को–संघीय स्वरूप को – पुन: बदलना पड़ेगा ? मैं राज्यों के अधिकारों के संबंध में सिवाय राज-सहायता, कृषि, पौधों, मवेशियों और सार्वजनिक वितरण तंत्र जैसे मुद्दों पर बल देने के अतिरिक्त राज्यों के अधिकारों के संबंध में आगे कुछ नहीं कहना चाहता।

राजसहायता के संबंध में सरकार और सत्ता पक्ष ने एक दलील पेश की है। यह दलील या तो इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि हमारे यहां ऋणात्मक राजसहायता है जिसके बारे में मैंने पूछा था या इस आधार पर पेश की गई है कि यदि भुगतान संतुलन की समस्या हो तो राजसहायता का प्रश्न नहीं उठता या लागू नही होगा क्योंकि यह उन्ही देशों पर लागू होगा जहां भुगतान संतुलन की स्थिति बहुत अच्छी है यदि आपके सामने भुगतान संतुलन की समस्या है, तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता। निस्संदेह माननीय वित्तमंत्री जी ने इस पर बार-बार जोर दिया है और उनकी एक सफलता भुगतान संतुलन स्थिति को संभालना है। परन्तु भुगतान संतुलन स्थिति सफलता का मानदंड है और भुगतान स्थिति लाभप्रद है। अत: सरकार दोनों तरीकों से दलीलें पेश नहीं कर सकती। या तो वित्त मंत्री की बात सही है और भुगतान संतुलन की स्थिति संतोषप्रद है, या माननीय वाणिज्य मंत्री की बात सही है और भुगतान संतुलन की स्थिति ठीक नहीं है। दोनों सही नहीं हो सकते। सरकार अपनी इच्छानुसार जब चाहे तब, इस दलील का प्रयोग नहीं कर सकती क्योंकि इससे राज्यों के अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ता है।

विश्व व्यापार संगठन की प्रस्तुत छवि का विस्त्रित विश्लेषण न करते हुए बेहतर यह है कि विश्व व्यापार संगठन समझौते की कुछ प्रमुख बातों पर नजर डाली जाए। प्रथमत:, यह विश्व व्यापार संगठन समझौता गैट को मंत्रि-स्तर तक ऊंचा करती है। यदि माननीय मंत्री जी मेरी गलती निकालें, तो मुझे प्रसन्नता होगी। मेरी व्याख्या सही है या गलत है, हमारा तो अनुभव यही रहा है कि गत काल के गैट समझौते टैरिफ और टैरिफ कम करने के सूत्रों तथा टैरिफ और टैरिफ कम करने के सूत्रों से उत्पन्न होने वाले विवादों की संकीर्णताओं में घिरे रहे हैं। गैट ने प्रमुखत: व्यापार विशेषज्ञों के तकनीकी स्तर पर काम किया। नया समझौता इसे राजनीतिक स्तर तक बढ़ा

देगा महत्वपूर्ण निर्णय, बल्कि सारे निर्णय, मंत्री स्तर पर लिए जाएंगें। व्यक्तिगत रूप से यह प्रगति की दिशा में कदम नहीं है। इस कदम से तो भारत के संप्रभु कार्यकरण का आयाम कम होगा इससे भारत की आर्थिक स्वतंत्रता सीमित होगी। यह मेरी पहली टिप्पणी है।

दूसरे, अंतर-प्रतिक्रिया के लिए आपसी विवाद हल करने की व्यवस्था की स्थापना के साथ सेवाओं पर समझौते और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर समझौते के प्रस्तावित एकीकरण से और साथ ही सुपर 301 जैसे राष्ट्रीय कानूनों के अस्तित्व से वह वीटो समाप्त हो जाएगा जो पहले गैट में सम्मिलित प्रत्येक पार्टी में निहित था। इसका अर्थ यह हुआ कि नई व्यवस्था के अंतर्गत सदस्यों पर नए दायित्व लगाने वाला नया समझौता दो-तिहाई बहुमत के निर्णय से सदस्यों पर लागू होगा। इस अंतिम अधिनियम के बाद जो भी सदस्य ऐसे निर्णय को मानने से इनकार करेगा, उसके सामने तीन चौथाई के बहुमत से निकाले जाने की सम्भावना रहेगी। ऐसी प्रगति गैर बराबर हिस्सेदारों की प्रगति हो सकती है। निश्चित रूप से इसे देश के राष्ट्रीय अधिकारों या आर्थिक संप्रभुता या आर्थिक क्षेत्र का विकास नहीं कहा जा सकता।

अब मैं कुछ सिफारिशों की बात करूँगा और उसके बाद दो तीन स्पष्टीकरण चाहूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा। सरकार से मेरा पहला आग्रह है कि वह अभी भी राजनीतिक रूप से प्रयास कर गरीब देशों की दबी आवाज ऊंची करे, वह दक्षिण को आकार और बोलने की शक्ति दे जिसका वह स्वाभाविक रूप से नेता हुआ करता था और जिसे आपने विश्वकरण के नए प्यार में झुका दिया है।

दूसरे, अभी गैट को उसके मूल लक्ष्य तक, जो निर्मित माल का व्यापार था, सीमित करने का प्रयास करें। आप कह सकते है," हम, अब पीछे कैसे जाएं ? 1986 में आपने एक निश्चित पथ चुना–इसे मेरे मित्र जार्ज फर्नान्डीज अच्छी तरह समझाएंगे–और 1989 में आपने उस मार्ग को छोड़ दिया। गैट के मूल उद्देश्य पर जाए जो निर्मित माल का व्यापार था इससे भारतीय राष्ट्रीय हितों की रक्षा होगी। आप कैसे करेंगे ?

तीसरे, मैं सरकार से अपील करता हूँ कि मारकेश में आप इस आशय का सरल संशोधन प्रस्तुत करें कि सेवाओं और 'ट्रिप्स" से संबंधित प्रावधान विश्व व्यापार संगठन के अंश नहीं होंगे। यदि आपने विश्व व्यापार संगठन के संविधान में संशोधन कराकर उसमें से सेवाओं और ट्रिप्स को निकलवा लिया तो वे भविष्य में बाध्यकारी नहीं रहेंगे। यदि आप इसमें भारत की यह घोषणा सम्मिलित कर दें कि हम केवल बहुपक्षीय अध्याय के अंतर्गत इनका पालन करेंगे, तो इस अंतिम अधिनियम से बहुत सारे क्षतिजनक परिणाम निकल जाएंगे। मैंने जो कुछ कहा, उस पर और विस्त्रित रूप से बोलने का समय मेरे पास नहीं है। पर मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी समझने का कष्ट करेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।

मेरे मित्र श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने जो बातें पूछी हैं, मुझे उनके अतिरिक्त तीन या चार बातों पर स्पष्टीकरण चाहिए। अंतिम अधिनियम के इस दस्तावेज में कतिपय अनुबंध ऐसे हैं जो पूरी तरह से खाली पड़े हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि वे क्या हैं। बहुपक्षीय व्यापार समझौते का अनुबंध-चार रिक्त पड़ा है। अनुबंध-चार (क) सिविल वायुयान के व्यापार संबंधी समझौते के बारे में है। इस समझौते के पाठ को बी. आई. एस. पी. आदि में पुनः प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में संशोधन पर बातचीत चल रही है। बातचीत किस विषय पर चल रही

है ? हमें यह भी पता नहीं है कि आप क्या बातचीत कर रहे हैं ? हम यह जानना चाहते हैं कि इसमें क्या है ? महोदय मुझे यह अपेक्षा थी कि सरकार हमारे पास कम से कम तो भेजेगी जिससे यह पता चल सकें कि किस तरह की बातचीत चल रही है। यही कारण है कि उस दृष्टि से यह वाद विवाद पूरा नहीं हो सका है। अगला अनुबंध-चार (ख) सरकारी खरीद संबंधी समझौते के बारे में है। हम यह जानना चाहते हैं कि आप जिस विषय पर फिलहाल बातचीत कर रहे हैं अर्थात सरकारी खरीद हेतु समझौते के भीतर क्या है। यदि सरकारी खरीद संबंधी समझौते में भारत की आर्थिक गतिविधियां आती हैं तो इस संसद को निश्चित रूप से इस समझौते के बारे में जानने का अधिकार है। एक समझौता अंतर्राष्ट्रीय डेरी समझौता भी है। मुझे यह बात बड़ी अद्भुत लगी कि इस समझौते को दी गई एस. जी. आदि में पुन: प्रस्तुत किया गया है। इस समझौते में क्या है ? इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है। डेरी समझौता राष्ट्रीय चिंता का बहुत ही महत्त्वपूर्ण पहलु है। भारत सम्भवत: विश्व का एक मात्र ऐसा देश है जहां पशुधन सबसे अधिक है। यह मात्र एक प्रश्न ही नहीं है। ....(व्यवधान)....

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या आप कृपया एक क्षण के लिए मेरी बात सुनेंगे ?

श्री जसवंत सिंह : हां, महोदय।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : तटकर तथा व्यापार संबंधी आय समझौता यहाँ दिया गया है। आप कृपया इस प्रातक में संदर्भ 2 को देखें। इसमें विभिन्न अनुच्छेद जिनके बारे में यह माना जाता है कि ये अनुच्छेद 35 का भाषान्तरण है। इस पुस्तक में अनुच्छेद 35 है ही नहीं। यह वही अनुच्छेद है जो भेजा ही नहीं गया है और इसी के कारण कई बातें पैदा हो रही हैं। इसी पर उन्हें उत्तर देना है। लगता है उन्हें सब बातों का पता है अब उन्हें इसका उत्तर देने दीजिए।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : महोदय, जो वह बता रहे हैं वह बहुत ही गम्भीर मामला है। हम इतने गम्भीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और सरकार इस पर जवाब नहीं देना चाहती है। जब उन्होंने यह मामला उठाया था तब मैंने सोचा था कि उनकी बात ठीक नहीं है। सरकार ने केवल कुछ समझौतों का भाषान्तरण ही प्रसतुत किया था और वास्तविक समझौता तो इस सभा में प्रस्तुत ही नहीं किया गया। यह बात ठीक नहीं है और राष्ट्रीय महत्त्व के ऐसे मामलों पर चर्चा करने का यह तरीका नहीं है। माननीय सभापति महोदय मेरा यह मानना है कि एक हद हो चुकी है हम दबाव डाले जाने की बात तो समझ सकते हैं किन्तु पूरी संसद में कुछ नियम तो होने ही चाहिएं। मुझे नहीं मालूम यदि इस मामले को श्री निर्मल कांति चटर्जी ने यहां पर नहीं उठाया होता तो शायद हम सभी अंधेरे में रहते और बाहर दुनियां की नजरों में हम मूर्ख समझे जाते कि ये हैं सांसद जो ऐसी बात पर चर्चा कर रहे हैं जिसकी इन्हें जानकारी ही नहीं है। अब इस चर्चा को कराने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा यह मानना है कि यह एक गम्भीर मामला है।

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ (मुजफ्फरपुर) : सभापति जी, हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहेंगे कि पहले इसकी सफाई दो। वरना जैसे चन्द्रशेखर जी ने अभी कहा कि हम दुनियां के सामने बिल्कुल मूर्ख साबित हो जाएंगे। अगर हमें एक किताब दी जाए और उनके हाथ में दूसरी चीज है और जिस चीज पर बहस हो रही

है। वह हमारे हाथों में नहीं है तो क्या होगा ....(व्यवधान).... यहां एक किताब के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर : सभापति महोदय यह किताब है। यह 'गैट' का प्रकाशन है। यह एक सरकारी प्रकाशन है। किन्तु इसे मंत्रालय द्वारा सभा को उपलब्ध नहीं कराया गया है। ....(व्यवधान)....

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : जब तक सब कुछ स्पष्ट नही किया जाता तब तक के लिए आप इस चर्चा को निलम्बित कर दें ....(व्यवधान)....

श्री चन्द्रशेखर : जब उन्होंने यह मामला उठाया था तभी उन्हें यह बात कहनी चाहिए थी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गान्धी नगर) : यह बात बिल्कुल सही है। इस सभा की परम्परा भी यही है। मान लीजिए किसी अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है अथवा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन किया जा रहा है, जब तक सभा को प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज में संशोधन किए जाने वाले पाठ को सम्मिलित नहीं किया जाता है तब तक उस पर चर्चा नहीं की जाती है। पहले भी ऐसे अवसर आए हैं जब इस चूक की ओर ध्यान दिलाया गया था और अध्यक्ष अथवा सभापति ने सरकार को इन्हें प्रस्तुत करने के लिए कहा था।

जैसा कि श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने कहा है कि कई दस्तावेजों को पृष्ठ पर पृष्ठ रिक्त छोड़ा गया है जिनका कि उल्लेख किया गया है और इनके बारे में यह कहा गया है कि इस समझौते के पाठ को बी. आई. एस. पी. 2678 में पुना प्रस्तुत किया गया है। हमें नहीं पता कि यह क्या है। हालांकि यह शुरु में ही देना चाहिए था किन्तु अभी भी अधिक देर नहीं हुई है। यदि चर्चा जारी रखनी है तो सरकार को ये सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।

श्री जसवंत सिंह : मैं जो कह रहा हूँ वह उसी प्रश्न के संबंध में है जो श्री चन्द्रशेखर जी द्वारा उठाया गया था। उदाहरण के लिए, यह इतना जरूरी क्यों है कि हमें इसका पूरा पाठ मिलना चाहिए ? इसमें एक अनुबंध-चार (घ) है। यह गौमांस के बारे में है। सरकार अब एक ऐसे समझौते पर दस्तखत करने जा रही है जिसमें राष्ट्र को नौमांस के संबंध में किसी व्यवस्था का वचन देना होगा। मुझे यही पता नहीं है कि वे किस चीज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं ? मुझे इस चीज की जानकारी नहीं मिल सकी है कि "गौमांस" शब्द का अर्थ क्या है। मैं इसके बारे में इसलिए जानना चाहूंगा क्योंकि गौमांस तो एक ऐसा विषय है जो संविधान के नीति निर्देश सिद्धान्तों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। मैं यहां पर गौहत्या के बारे में ही जिक्र नहीं कर रहा हूं जिसका संविधान में उल्लेख है यदि सरकार गौमांस से संबंधित किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रही है तो हमें तो इसकी जानकारी नहीं है और सरकार ने इसे रिक्त छोड़ रखा है इसी से इस शंका को बल मिलता है जो पहले की गई है। कोका कोला को ही लें, वह सऊदी अरब को अपना सूत्र नहीं देता है। यह कहा गया था कि ऐसा मानना था कि इसमें शराब की माजा भी हो सकती है। मुस्लिम देशों ने शराब के व्यापार के बारे में शोर मचा दिया। निस्संदेह ही मुझे यह कहने का अधिकार है कि यदि इसमें गाय आ जाती है 'बोविन' में गाय आती है–तो मैं सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते के ब्यौरों के बारे में जानना चाहता हूं।

अत: श्री चन्द्रशेखर और श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों पर स्पष्टीकरण दिया जाए। वे बहुत ही जायज प्रश्न हैं। माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि मेरे आगे बोलने से पूर्व वे उन मुद्दों का स्पष्टीकरण दें।

सभापति महोदय : सरकार को इन प्रश्नों पर जबाब देना चाहिए।

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : प्रथमत: तो इस अंतिम अधिनियम में बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के ऊरूग्वे दौर के परिणाम ही शामिल किए गए हैं। यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध गैट अनुच्छेदों और दस्तवेजों का संकलन नही है। इस दस्तवेज में ऊरुग्वे दौर की वार्ता के अंतिम दौर की बातें शामिल हैं और इसमें कुछ पृष्ठ खाली इसलिए रखे गए हैं क्योंकि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम उन समझौतों में पार्टी नहीं है। ....(व्यवधान).... हमारा इनसे कोई लेना-देना नहीं है। ....(व्यवधान)....

सभापति महोदय : कृपया पहले उन्हें सुन लीजिए। कृपया बैठ जाएं। पहले मंत्री महोदय को अपना स्पष्टीकरण पूरा करने दें।

श्री प्रणव मुखर्जी : उदाहरण के लिए हम अन्तर्राष्ट्रीय डेरी समझौते में पार्टी नहीं हैं। तब हम क्यों इसमें इसका उल्लेख करें।

श्री हरित पाठक (अहमदाबाद) : यदि आप उनमें पार्टी नहीं हैं तो आपने यहां पर उनका उल्लेख क्यों किया है ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम इनमें पार्टी क्यों नहीं हैं ? हमें इन सब बातों की जानकारी हासिल करने का अधिकार है। ....(व्यवधान)....

सभापति महोदय : पहले मंत्री महोदय को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री प्रणव मुखर्जी : ऐसा नहीं है कि हम प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के सदस्य हैं। गैट क्या है गैट एक ऐसी अंतराष्ट्रीय व्यवस्था है जहां हमारे हित के कतिपय मामलों पर अन्तराष्ट्रीय मंच पर द्विपक्षीय चर्चाएं होती हैं जो हमारे हित में होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनपर हमने कोई चर्चा नहीं की है और न ही कोई समझौता किया है क्योंकि उनमें हमारी किसी प्रकार की रुचि नहीं है। जिन क्षेत्रों में हमारी रूचि है और बातचीत के अंतिम दौर का परिणाम क्या रहा, उन्हें इस दस्तावेज में शामिल किया गया है। अगर माननीय सदस्यगण गैट के संबंध में सभी प्रकाशित दस्तावेज लेने में रूचि रखते हों तो ये ग्रन्थालय में उपलब्ध हैं। इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वाणिज्य मंत्री द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। कुछ समझौतों के हम समर्थक नहीं हैं। क्या हमारे पास यह चुनने का विकल्प है कौन सा समझौता करना चाहिए या कौन सा नहीं करना चाहिए ? मान लीजिए कि हम बीज या सेवाओं के लिए वार्ता में भाग नहीं लेना चाहते हों तो क्या हमारे पास यह विकल्प है ? उन्हें यह बात स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री प्रणव मुखर्जी : हम इन सभी मुद्दों पर प्रकाश डाल चुके हैं। ....(व्यवधान)....

श्री सैफुद्दीन चौधरी : नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे पास यह विकल्प है कि नहीं ? मंत्री जी को यह बात अवश्य स्पष्ट करनी चाहिए। ....(व्यवधान)....

सभापति महोदय : और लोगों को भी अपनी बात कहने दीजिए, अपने विचार व्यक्त करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, अभी मंत्री जी ने जो कुछ कहा, उसको लेकर मुझ आपत्ति है। यहां अनैक्सचर 4-ए : एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सिविल एयरक्राफ्ट : में जो कुछ लिखा है और मंत्री जी ने अभी जो कुछ कहा है, दोनों में अंतर्विरोध है। इसमें लिखा है –

(अनुवाद)

समझौते का पाठ बी. आई. एस. टी. 26 एस/162 और बाद के संशोधनों में उद्धृत किया गया है –

"इस पाठ के संशोधन पर वार्ता हो रही है।"

[हिन्दी]

आप यहां जो कह रहे हैं कि हमें उनसे कोई मतलब नही है, वह कुछ जंचता नहीं है क्योंकि आपने ही हमें यहां लिख कर दिया है कि यह अंडर नैगोसियेशन है।

उसी तरह की स्थिति एनैक्सचर 4-बी में भी है। हम चूंकि सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं इसलिये एक-एक शब्द के बारे में हमें यहां पूछना पड़ता है।

(अनुवाद)

अनुलग्नक IV ख- प्रभावी पाठ बी. आई. एस. टी. 26 एस/33 में निहित है।

" 1 जनवरी, 1996 को लागू किए जाने की संभावना वाला संशोधित पाठ 15 दिसम्बर, 1993 के दस्तावेज में निहित है।"

[हिन्दी]

मंत्री जी यहां जो कुछ कह रहे है, ऐसी अनेक चीजें हैं जिन्हें अलग-अलग जगहों पर हम लोगों ने रिप्रोड्यूस किया है, ऐसा यहां पर लिखा है। हम यहां जो कुछ पढ़ रहे हैं, मंत्री जी के कथन से उसमें हमें सीधा अंतर्विरोध दिखाई देता है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जरा स्थिति को स्पष्ट करके हमें बताये। ....(व्यवधान)....

(अनुवाद)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं आपका ध्यान किसी अन्य बात पर आकृष्ट करूंगा।

सभापति महोदय : श्री चटर्जी, कृपया अपनी सारी बातें एक साथ कहें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं कृषि संबंधी समझौते से उद्धृत कर रहा हूं। यह पृष्ठ 11 पर है। उसमें अनुच्छेद 13 भाग 7 है। इसमें कहा गया है–

"गैट 1994 के अनुच्छेद 16 पर आधारित कार्यवाही से छूट।"

गैट 1994 का अनुच्छेद 16 क्या है ? क्या यह हम लोगों को परिचालित किया गया है ? यही प्रश्न उठाया जा रहा है और वह कहते हैं कि "केवल वही चीजें परिचालित की जाती हैं जिनमें हमारी रुचि हो।" यहाँ यही उल्लखित है। लेकिन वह कहां है ?

इसी प्रकार आइये गैट 1994 का अनुच्छेद 2 देखें गैट 1994 के अनुच्छेद 23 (1) (ख) की ही भांति यह कृषि संबंधी समझौते का भाग है। ये रहस्यमय चीजें क्या हैं ? हम जानना चाहते हैं और ये हमें क्यों नहीं बांटी गईं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : ये ग्रन्थालय में उपलब्ध हैं, आप उन्हें ले सकते हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : जहां तक हम जानते हैं पहले दौर से हटकर इस आठवें दौर अर्थात् उरुग्वे दौर में पूरा समझौता (पैकेज) हस्ताक्षरकर्ता देशों पर बाध्यकारी है। इनमें से कुछ अनुलानक जो उरुग्वे दौर अर्थात् 15 दिसम्बर, 1993 को हुए समझौते का भाग नहीं है, उन्हें इस दस्तावेज में कैसे शामिल किया गया ? हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय इस मुद्दे को ठीक करें। जैसा कि उन्होंने कहा है यदि हमारी सरकार न चाहे या इनमें से कुछ प्रावधान हमारी सरकार को स्वीकार्य न हो तो क्या हमारे पास उन प्रावधानों से बाहर रहने का विकल्प चुनने की स्वतन्त्रता है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति महोदय, मैं पृष्ठ संख्या 1 से उद्धरण देता हूं जहां यह स्पष्ट लिखा है "अन्तिम अधिनियम"

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कौन सा "अन्तिम अधिनियम" उसमें तो अनेक "अन्तिम अधिनियम" हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : भाग 1 जिसे अन्तिम अधिनियम माना जाता है। पृष्ठ 1 पर स्पष्ट कहा गया है कि यह अन्तिम अधिनियम और निर्पिष्ट समझौते का मूलपाठ अनुलनक-उन्होंने 'एनेक्सर्स' के नये रूप 'एनेक्सेस' का प्रयोग किया है- में दिया गया है और यह नहीं समझ लेना चाहिए कि दस्तावेज का केवल चौथा मुख्य भाग ही हम पर लागू होता है और अनुलग्नक नहीं लागू होते हैं। इन सब पर हस्ताक्षर किया जाना है।

माननीय वाणिज्य मंत्री ने जो उत्तर दिया है उससे स्थिति और जटिल हो गई है। अन्यथा वे यह कह सकते थे कि उन सभी दस्तावेजों को देना संभव अथवा व्यावहारिक नहीं है। यह गैट के सभी अधिनियमों या गैट के सभी समझौतों का सार नहीं है। यह एक अन्तिम अधिनियम है जिसमें बहुपक्षीय व्यापार वार्ता वाले उरुग्के दौर के परिणाम शामिल हैं जब भारत सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है तो यह सारे अनुलग्नकों सहित इसपर हस्ताक्षर करेगा। जब तक हमें यह नहीं पता चलता कि अनुलग्नक में क्या है, इससे उनका क्या तात्पर्य है, तब तक हम इससे सहमत नहीं हो सकते हैं। जैसा कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने ठीक ही कहा है कि इनमें से कुछ अनुलग्नकों से पता चलता है कि उनपर अभी भी वार्ता चल रही है। बिना पर्याप्त जानकारी के इसका अनुसरण करना हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं है। इसलिए इस स्थिति में विनिर्णय अत्यन्त प्रासंगिक होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए यह विशेष सत्र बुलाया गया है।

सभापति महोदय : कृपया असली मुद्दे पर बोलिए।

....(व्यवधान)....

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं असली मुद्दे पर ही बोल रहा हूं। कृपया मुझे शुरु में ही मत टोकिए। .. ..(व्यवधान).... सभी देशवासियों के मन-मस्तिष्क को आन्दोलित करने वाले इस मुद्दे पर चर्चा के लिए ही लोकसभा का यह विशेष सत्र बुलाया गया है। ऐसा नहीं है कि हम केवल यहीं कह रहे हैं कि यह सरकार इस राष्ट्र की सम्प्रभुता गिरवी रखने जा रही है। हम यह बात मजाक में नहीं कह रहे हैं। मैं यह बात सदन की जानकारी में अवश्य लाऊंगा कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है और भारत के सभी लोग इस मामले पर उत्तेजित हैं। सरकार 15 अप्रैल को पूरे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेगी। सरकार पूरे गैट समझौते पर हस्ताक्षर करेगी और यह नहीं कहा जा सकता कि वह हमें आंशिक रूप से विश्वास में ले रहे हैं क्योंकि यही हमारी चिन्ता का विषय है तथा अन्य बातें हमारी चिन्ता का विषय नहीं है। यहाँ हम पूर्णरूप से बाध्य हो जायेंगे।

अब मैं आपको इससे अवगत कराऊंगा। माननीय कृषि मंत्री यहां बैठे हैं। उन्होंने कुछ संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाई थी तब हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। जो मुद्दा अब उठाया जा रहा है। मैंने स्वयं उठाया था कि वे यह कह रहे हैं कि वे किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष विधेयक ला रहे हैं। जहां तक बीज का सवाल है, उत्पाद के क्रय-विक्रय का सम्बन्ध है, इसे चुनौती दी जानी चाहिए। क्या गैट द्वारा स्थापित न्यायालय में इसे चुनौती दी जायेगी ? सरकार की ओर से वार्ता करने वाले विशेषज्ञ ने स्वीकार किया कि इसे चुनौती दी जा सकती है और इसे अप्रभावी किया जा सकता है। हमने कहा है कि यह हमारे देशवासियों पर शिष्टाचार रोकने के लिए लाया जा रहा है यह करने के लिए कि हमने इसका पालन नहीं किया। सब कुछ असंगत हो जायेगा। यदि एक बार हमने इस पर हस्ताक्षर कर दिये तो भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद भी असंयत हो जायेंगे। इस गम्भीर मुद्दे पर सरकार न तो हमें पूर्ण विश्वास में ले रही है और न ही सारे दस्तावेज उपलब्ध करा रही है जबकि श्री जसवन्त सिंह ने इस बात का उल्लेख किया है कि वार्तायें होने वाली हैं। परन्तु हमें उन अनुच्छेदों का पता नहीं है, उन प्रावधानों की जानकारी नहीं है फिर भी हम उसे स्वीकार करने जा रहे हैं। यह गम्भीर मुद्दा बन जायेगा और यह राष्ट्र को धोखा देने जैसा होगा। चूंकि आप पीठासीन हैं, इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूं कि राष्ट्र को धोखा खाने से बचायें।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : सभापति जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वाणिज्य मंत्री जी जब जवाब देने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने कैसे ताव में आ कर कह दिया कि गैट सम्बन्धी जितनी किताब हैं वे बाजार में मिलती है और जो मैम्बर चाहे इन्हें खरीद सकता है। यह उनके मुंह से शोभा नहीं देता। इसके लिए उनको सदन से माफी मांगनी चाहिए और गैट से सम्बन्धित जितने भी कागजात हैं, वे मंत्री महोदय को सदन के सभी सदस्यों को उपलब्ध करवाने चाहिए।

दूसरी चीज जो श्री सैफूदीन ने उठाई थी, मंत्री महोदय ने सदन को यह बताया कि जिसमें वे इनट्रस्टेड नही थे उसमें वे शामिल नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह कहने का उनको क्या अधिकार है। मान लीजिए

सीडस के सिलसिले में इनटलैकचुअल प्रॉपर्टी के सिलसिले में, चाहे हिन्दुस्तान को खतरे में डालें, चिन्ता नहीं है, कहते है कि औप्शन था। औप्शन था तो इनटलैकचुअल प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने उसे इस्तेमाल क्यों नही किया। वे जवाब देने में ज्यादा फंस गए। मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में वे पहले मांफी मांगें। .....व्यवधान...

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री पी. सी. चाक्को) : कृपया यह बात याद रखे कि हम एक सीमित मुद्दे, प्रक्रिया संबंधी मुद्दे पर चर्चा कर रहे है, किसी सामान्य मुद्दे पर नहीं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, जाने या अनजाने मंत्री जी ने जो कहा है, वह संसद से इस तरह छिपाया जा रहा है कि अब बहस निरर्थक हो गई है। हम निरर्थक बहस में हिस्सा ले जहां हमारी सार्वभौम सत्ता पर आघात का सवाल हो, किसान या विभिन्न पेशे के लोगों का सवाल हो, इससे पहले कृपया समबद्ध आर्टिकल्स और ऐग्रीमैंट उपलब्ध करवाएं जाएं, उसके बाद आगे बहस की शुरुआत हो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सभापति महोदय, चर्चा अच्छी चल रही थी लेकिन चर्चा में जो मुद्दा उठाया गया है, उसके बारे में सदन को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। सदन यह जानना चाहेगा, हम यह जानना चाहेंगे कि 15 अप्रैल को सरकार मोरक्को में जिस दस्तावेज पर दस्तखत करने जा रही है, वह दस्तावेज कौन से है। क्या वह यह दस्तावेज़ है जो सदस्यों को दिया गया है या इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें है जो उस दिन दस्तखत के लिए आएंगी मगर जिनके बारे में सदन को जानकारी नहीं दी गई है ? मंत्री महोदय यह कहकर नहीं बच सकते कि जो हमसे सम्बद्ध नहीं है और अभी दिखाया गया है कि जो मामले हमसे सम्बद्ध नहीं है, उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है।

श्री चन्द्र शेखर : माफ कीजिए, मंत्री जी का यह बयान सही नहीं है। पूरा मामला उनसे सम्बद्ध है और हम पूरे डौकुमैंट पर दस्तखत कर रहे हैं। हमें आश्चर्य होता है कि जो लिखा हुआ है, यहां तक लिखा हुआ है कि गैट में 1947 में जो मैम्बर नहीं थे, वे भी पहले उसपर दस्तखत करें। उसमें लिखा हुआ है और कहते हैं कि हम उससे सम्बद्ध नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बात भी एक से अधिक बार स्पष्ट की जा चुकी हैं कि गैट की संधि एक पूरा दस्तावेज़ है, उसे टुकड़ों में नहीं लिया जा सकता न ही उसे टुकड़ों में स्वीकार किया जा सकता है। कोई देश उससे या तो पूरी तरह से बंधा हुआ है या अलग है। हम किस स्थिति में हैं ? वे दस्तावेज़ कहां है ? क्या सारे दस्तावेज़ों के अभाव में सदन में अर्थपूर्ण चर्चा हो सकती है, कोई अर्थपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है ?

सभापति महोदय, मेरी आपसे अपील है, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसे आप अपने ऊपर मत लीजिए। मेरा सुझाव यह है कि आप सदन की बैठक स्थगित कीजिए। स्पीकर साहब सरकार के प्रतिनिणियों को बुलाएं, हमको भी चर्चा के लिए बुलाएं। एक बार सारे दस्तावेज़ सामने आ जाएं, पूरी तस्वीर सामने आ जाए, आपके पास तो ज्यादा वोट है, यह आपका दावा है कि चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। मगर अब सदन में यह भावना

पैदा हो रही है कि सारे दस्तावेज़ सदन के सामने नहीं रखे गए है, सारे तथ्य प्रकाश में नहीं लाए गए है। यदि यह भावना पनपने दी गई और श्री प्रणव मुखर्जी इस बात से सहमत होंगे कि यदि देश में यह भावना पनपी कि सदन को और देश को अंधेरे में रखकर सरकार कोई कदम उठा रही है तो उसके दुष्परिणाम होंगे। .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह तरीका नहीं है। इस समय हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रक्रिया संबंधी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जिसे उठाया गया है। हम उस पर निर्णय लेने जा रहे हैं।

4.00 म० प०

चर्चा में इस प्रकार व्यवधान न डालें।

....(व्यवधान)....

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं परिशिष्ट 1 क से पढ़ रहा हूँ। पहले ही वाक्य में कहा गया है :

"यदि टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार 1994 को कोई उपबन्ध परिशिष्ट 1 क में अन्य किसी समझौते के उपबन्ध के प्रतिकूल है तो ऐसे में अन्य समझौते के उपबंध को प्रधानता हासिल होगी।"

तो, इसका अर्थ है कि टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 नाम की कोई चीज है। मेरा अभिप्राय था कि वह ग्रन्थालय में उपलब्ध है। वह हमें उपलब्ध है। समस्या यह है कि हमने इसे देखा नहीं है। यह इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि इसकी कोई धारा उसके किसी नियम के प्रतिकूल है तो प्रधानता उसकी ही होगी और उसके बारे में हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। उन्हें इसी बात का उत्तर देना है।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : मंत्री महोदय ने अभी-अभी कहा है कि परिचालित दस्तावेजों के उन उन भागों में हमारी दिलचस्पी नहीं है जिन्हें उद्धृत नहीं किया गया है। जब तक मंत्री महोदय के पास वे भाग नहीं है जिन्हें इस दस्तावेज में उद्धृत नहीं किया गया है तब तक वह ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वे भाग हमारे मतलब के नहीं हैं ?

सभापति महोदय : धनंजय कुमार जी इसे पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि उनके पास पूरा मूल-पाठ नहीं है। आप बैठ जायें। कृपया इस बात को समझें।

....(व्यवधान)....

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं एम० टी० ओ, एम० एन० एन/एफ० ए० II पृष्ठ 1 के अनुच्छेद II के पैरा 2 से 4 तक पढ़ रहा हूँ :–

"परिशिष्ट 1, 2 तथा 3 में शामिल समझौते तथा सम्बद्ध विधिक पत्र (जिनका उल्लेख इसके आगे "बहुपक्षीय व्यापार समझौतों" के रूप में किया गया है) इस समझौते के अभिन्न अंग हैं और सभी सदस्यों पर बाध्यकारी हैं। परिशिष्ट 4 में शामिल समझौते तथा सम्बद्ध विधिक पत्र (जिनका उल्लेख इसके आगे "अनेकपक्षीय व्यापार समझौतों" के रूप में किया गया है) भी इन्हें स्वीकार कर चुके सदस्यों के लिये इस समझौते का भाग हैं और

उन सदस्यों पर बाध्यकारी है। अनेक पक्षीय व्यापार समझौते उन सदस्यों के लिये दायित्वों अथवा अधिकारों का सृजन नहीं करते जिन्होंने इन्हें स्वीकार नहीं किया है। परिशिष्ट 1 क में टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार जिसका उल्लेख इसके आगे "गैट 1994" के रूप में किया गया है। टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार से विधिक रूप से भिन्न है.....")

अत:, यहाँ पर प्रकाशित किये गये सभी दस्तावेज – सभी 117 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं – इस प्रलेख में ही उद्धृत कर दिये गये हैं। मेरा विचार है कि कुछ विभ्रम उत्पन्न हो गया है मानो कि किसी चीज पर हस्ताक्षर किये जाने वाले हैं, जैसे कि ऐसा गत वर्ष 15 दिसंबर को किया गया था अथवा 15 अप्रैल को कहीं हस्ताक्षर किये जाने वाले हैं। मैं स्थिति स्पष्ट-स्पष्ट करना चाहूँगा। जब मंत्रि मंडलीय समूह ने अपना प्रथम अधिवेशन पुंटा डेल एस्टे में आयोजित किया था उन्होंने एक रूपरेखा तैयार की थी जिसके आधार पर वार्ता सम्पन्न की गयी थी। बहुपक्षीय व्यापार वार्त्ता समिति की नियुक्ति की गयी थी जिसने सितंबर, 1986 से दिसंबर, 1993 तक बातचीत की थी। 15 अप्रैल, 1994 को मारकेश में क्या होने जा रहा है ? बहुपक्षीय व्यापार वार्त्ता समिति द्वारा सम्पन्न किये गये उरुग्वे वार्त्ता दौर को मंत्री महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा। मंत्रिगण अपने-अपने देशों से यह सिफारिश करेंगे कि यह उरुग्वे वार्त्ता दौर का यह अधिप्रमाणित निष्कर्ष है। तत्पश्चात प्रत्येक देश को अपनी-अपनी कानूनी प्रक्रियाओं तथा संवैधानिक प्रणालियों के अनुसार उसकी अभिपुष्टि करने हेतु एक वर्ष का समय दिया जायेगा। सही स्थिति यही है।

सभापति महोदय : मानवीय सदस्य याद करें कि यह पाठ जो आज की चर्चा का आधार है, का परिचालन 11 फरवरी को प्रकाशन पटल के माध्यम से किया गया था। सभी सदस्यों को ज्ञात है कि इस पाठ में क्या है और क्या नहीं है, और उस आधार पर हमने चर्चा शुरु की थी। अत: हम चर्चा जारी रखें तथा माननीय सदस्यों को इसके आगे जो भी ब्यौरा अथवा लुप्त अध्याय चाहियें उन्हें सरकार ने नोट कर लिया है और उन्हें उपलब्ध भी किया जा सकता है। अत: उससे हमारी आज की चर्चा किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं होनी चाहिये।

श्री पवन कुमार बंसल : उसमें कोई भी चीज लुप्त नहीं है।

सभापति महोदय : लुप्त होने से मेरा अभिप्राय उन चीजों से है जिन्हें इसमें लिखा नहीं गया है.....

....(व्यवधान)....

सभापति महोदय : मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। हमने यह चर्चा उपलब्ध सूचना के आधार पर शुरु की थी और माननीय सदस्यों इस बात का ध्यान ही बीच में आ गया। इसलिये हम लोग चर्चा में व्यवधान न पड़ने दें और इसे जारी रखें। जसवंत सिंह जी आप अपनी बात जारी रखें।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं केवल यह निवेदन कर रहा हूँ कि सार्वजनिक प्रलेख के संबंध में यह माना जाना चाहिये कि वह सदस्यों को उपलब्ध है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी, यह बात अटपटी है। यहां एक बात उठी, उसका जवाब हुआ। उसके

बाद फिर एक माननीय सदस्य यहां से बोल रहें कि पब्लिक डाक्यूमेंट है और मंत्री जी ने भी कहा कि लाइब्रेरी में अवेलेबल है, उसको देख लें। तो यह डाक्यूमेंट सर्कुलेट करने की क्या जरूरत थी, यह भी लाइब्रेरी में रख देते। आखिर दाल में कुछ काला तो जरूर है। यह डाक्यूमेंट क्यों सर्कुलेट किया, यह भी आप लाइब्रेरी में रख सकते थे। यह कोई बात नहीं है कि इसको कह रहे हैं कि पब्लिक डाक्यूमेंट है,

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे लम्बा न खींचें। हम इस पर काफी चर्चा कर चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यह बात तो हाउस में हो रही है, आप अपनी रूलिंग भी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं, यह अवेलेबल है। यहां अवेलेबल इन्फोर्मेशन पर बहस हो रही है और कोई मिसिंग इन्फोर्मेशन है तो उसको देना सरकार का काम है, यह पोजीशन क्लैरीफाई करना सरकार का काम है, इस हालत में यह इन्फोर्मेशन सर्कुलेट नहीं की गई। अब बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी में अवेलेबल है। अगर यह तर्क दिया जायेगा तो लाइब्रेरी में तो इसको भी अवेलेबल कराया जा सकता था। कोई कारण है कि कुछ चीजों को लाइब्रेरी में रखकर मैम्बरों को नहीं बांटा गया और कुछ चीजों को मैम्बरों को बांटा गया ?

[अनुवाद]

उन बातों पर अपना मत व्यक्त न करें जो दूसरे सदस्यों ने कही हैं। हम इस पर अनन्त चर्चा नहीं कर सकते। यह सूचना न देने की बात नहीं है। केवल कुछ बातों को यहाँ पर उद्धृत नहीं किया गया है। बल्कि मामले पर काफी स्पष्टीकरण दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : सभापति जी, मैं समझता हूं कि तीन स्पेसिफिक चीजें जसवन्त सिंह जी ने ध्यान में लाई और वह तीन चीजें ऐसी हैं, जिनका कण्टेंट अगर मुझे पता नहीं है कि सिविल एयरक्राफ्ट के बारे में क्या एग्रीमेंट है, जिसका उसमें रैफरेंस है, डेयरिंग के बारे में क्या है, जिसको कि निगोसिएट किया जा रहा है, बोवाई मीट के बारे में क्या रैफरेंस है,

[अनुवाद]

इन चीजों को जाने बिना कोई चर्चा नहीं हो सकती। इसलिये उठायी गयी बात महज तकनीकी नहीं है। तकनीकी रूप से भी हमारी बात में दम है। तकनीकी बातों के अतिरिक्त, इन तीनों मुद्दों में से किसी एक मुद्दे पर भी ठोस चर्चा भी बिल्कुल संभव है ....(व्यवधान)....

सभापति महोदय : आडवाणी जी, हमने पहले ही कहा है कि जसवंत सिंह जी द्वारा उठाये गये मुद्दों पर सरकार द्वारा उत्तर उस समय दिये जायेंगे जब मंत्रिगण बोलेंगे। आपने जो कहा वह ठीक है माननीय सदस्यगण इन तीन अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर पहले ही बोल चुके हैं और सरकार इन पर उत्तर देगी.....

....(व्यवधान)....

सभापति महोदय : मेरे विचार से इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। यह बहुत प्रासंगिक है और संदर्भ को भली भाँति समझा भी गया है। जसवंत सिंह जी, अपनी बात जारी रखें।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, गैट 1947 भी उपलब्ध नहीं है। वह न तो ग्रन्थालय में है और न ही सरकार के पास है। मैं इन सब मामलों को उठाना नहीं चाहता। वाणिज्य मंत्रालय गैट 1947 की प्रति जारी नहीं कर रहा है। वह ग्रन्थालय में उपलब्ध नहीं है। आप अपनी भद्द क्यों पिटवाते हैं और प्रत्येक बात में अपने आपको हास्यास्पद क्यों बनाते हैं ?....(व्यवधान)....

सभापति महोदय : श्री चन्द्रशेखर जी, इस बात को हम न उठायें।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर : सभापति महोदय, मैंने ग्रन्थालय से 1947 के दस्तावेज की एकप्रति मुझे उपलब्ध कराने के लिए कहा था। अब तीन बार मंत्री महोदय ने मुझे ग्रन्थालय जाने को कहा है। मैंने केवल एक वहीं ग्रन्थालय देख हुआ था। यदि कोई अन्य लाइब्रेरी है तो मैं वहाँ जाऊँगा। ....(व्यवधान)....

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : सभापति महोदय, राज्यसभा में भी मंत्री जी ने कहा है कि जानकारी लायब्रेरी में उपलब्ध है, यह रिकार्ड में है, मैं पढ़ कर सुना सकता हूं।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर : वह सभा में मंत्री जी हमें ग्रन्थालय में जाने की सलाह दे रहे हैं। हम ग्रन्थालय जाते हैं परन्तु हमें प्रति नहीं मिलती। एक सज्जन खड़े होकर कहते हैं कि वह एक सार्वजनिक प्रलेख है तथा वह सदस्यों को उपलब्ध माना जाना चाहिये। इस कानूनी व्यवसाय से सम्बन्धि नहीं है। आपको उसके बारे में नहीं पता।

सभापति महोदय : श्री चन्दशेखर जी, भावुक न बनें।

श्री चन्द्रशेखर : मैं भावुक नहीं हुआ हूँ परन्तु मैं जो यह कहा रहा हूँ कि जब देश को बेचा जा रहा है, तो मुझे भावुक होने का पूरा अधिकार है। ....(व्यवधान).... जी हाँ, देश को बेचा जा रहा है। यह मेरी पक्की धारणा है कि देश को बेचा जा रहा है। ....(व्यवधान)....

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, लोगों के मन में भ्रम पैदा करने के लिये इस तरह की बातें की जा रही हैं। क्या माननीय सदस्य को इन बातों का पता नहीं है ?

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर : सभापति महोदय, मैं इस मुद्दे पर भावुक हूँ। मैं बहुत सपाट आदमी हूँ।

....(व्यवधान)....

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, उन्हें इस संबंध में बिल्कुल जानकारी नहीं हूँ।

....(व्यवधान)....

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : सभपति महोदय, हम लोग तो अपनी बुद्धि से बोलेंगे, इनकी बुद्धि से बोलेंगे। इनके पास तो बहुत नॉलेज है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : मैं किसी बात का दावा नहीं करता मैं पूरी विनम्रता से यह कहना चाहता हूँ। पिछले एक वर्ष अथवा 16-18 महीनों में देश में जितना प्रचार हुआ है, हम यह मान कर चल रहे हैं कि दूसरे पक्ष में बैठे हमारे मित्रों को वस्तु स्थिति की पूरी जानकारी होगी। ....(व्यवधान)....

सभापति महोदय : श्री बंसल, ब्यौरे में न जायें।

....(व्यवधान)....

श्री पवन कुमार बंसल : मान लीजिये यदि मंत्री जी कहते हैं....

श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : आपको अब अपनी गलती समझ आयी

....(व्यवधान)....

सभापति महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया बैठ जायें। श्री बंसल, अब आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बंसल, अब आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसमें से प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं को अभिव्यक्त करने का अपना ढंग है। कृपया इस पर चर्चा न करें कि कोई व्यक्ति अपनी बात को किस प्रकार अभिव्यक्त करे तथा क्या गलत है आदि। सदस्य महोदय एक बुनियादी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, हमें माननीय बंसल जी की बात पर घोर आपत्ति है। ....(व्यवधान)....

श्री पवन कुमार बंसल : सभापति महोदय, क्या माननीय सदस्य को इन चीजों की जानकारी नहीं है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह क्या है ? कृपया बैठ जायें।

कृपया यह समझें कि हमने आज यह चर्चा 11.30 म० प० पर शुरु की थी। पाँच माननीय सदस्यों द्वारा अपनी बातें कह लेने के पश्चात, प्रत्येक माननीय सदस्य ने लगभग एक घंटा लिया, इस बीच माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में केवल यही बात आयी है। यही यह दर्शाता है कि किसी भी माननीय सदस्य की ओर से सरकार से यह शिकायत नहीं की गयी कि इस मूल-पाठ का कोई विशेष भाग उपलब्ध नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जायें। आप मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें।

यह माँग अचानक की गयी है। हमारे द्वारा चर्चा आरंभ करने से पहले कोई भी सदस्य यह माँग कर लेते कि कागजात उपलब्ध नहीं हैं, या कि पूरा मूल-पाठ उपलब्ध नहीं है इसलिये हम चर्चा नहीं कर सकते। प्रक्रिया संबंधी कोई भी आपत्ति शुरु में नहीं उठायी गयी। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इस कारण इसे आगे भी नहीं कोई उठा सकता। परन्तु बात यह है कि असल में यह केवल एक प्रक्रियागत मामला ही है। सरकार की यह मंशा स्पष्ट की जाती है कि किसी भी माननीय सदस्य को कागजात नहीं देने का कोई दरादा नहीं था। परन्तु यह माँग पहले नहीं की गयी।

अत: हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सदस्यगण कुछ चीजों के बारे में जानना चाहते हैं और कुछ बातों का ब्यौरा चाहते हैं। भाषणों के दौरान वे इसे उठा सकते हैं तथा सरकार इन सब बातों का उपयुक्त उत्तर दे सकती है। यदि वे उत्तर पर्याप्त नहीं हैं तो हमारे पास अन्य विकल्प भी हैं।

अत: हम यह चर्चा जारी रखें। इस मुद्दे को अब हम छोड़ दें और मैं श्री जसवन्त सिंह से अपना भाषण जारी रखने का अनुरोध करता हूँ

....(व्यवधान)....

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया मैंने परिशिष्ट से उद्धरण दिया है

सभापति महोदय : हम इस प्रकार सभा का कार्य नहीं चला सकते। निर्मल जी, कृपया आप यह समझें कि आपको कितनी बार इसका खुलासा करने का समय दिया गया। एक सदस्य इस मुद्दे को कितनी बार उठा सकता है और इसे दोहराते रह सकता है ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं दोहरा नहीं रहा हूँ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूँ कि हमने इस मुद्दे पर पर्याप्त चर्चा की है और सरकार तथा सभा के सभी पक्षों ने इसे भली भाँति समझ लिया है। इसकी गंभीरता को भी समझ लिया गया है। अत:, श्री जसवंत सिंह से अपनी चर्चा जारी करने का अनुरोध करता हूँ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं आपके सामने एक समस्या रख रहा हूँ। वह समस्या बहुत साधारण है।

सभापति महोदय : मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जब मूल-पाठ को पढ़ते हैं तो कहा जाता है कोई अन्य मूल-पाठ इसकी अपेक्षा प्रधान होगा। ....(व्यवधान)....

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

किसी भी बात को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाये।

....(व्यवधान)....**

सभापति महोदय : चर्चा के दौरान, सदस्य अपने मत व्यक्त कर सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्हें बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। इसमें लिखा है, "अन्य मूल-पाठ को इस पर प्रधानता दी जायेगी।" हम जानना चाहेंगे कि अन्य मूल-पाठ क्या है।

सभापति महोदय : जब आप बोलने खड़े हो, तब इस मुद्दे को उठायें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह मुद्दे का प्रश्न नहीं है। एक ऐसा मूल-पाठ है जिसे इस पर प्रधानता दी जायेगी। वह मूल-पाठ क्या है ?

सभापति महोदय : आप सरकार का उत्तर सुनें और तत्पश्चात निष्कर्ष निकालें। वह मूल-पाठ कहाँ है ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप हमारा बचाव नहीं कर रहे हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि वह मूल-पाठ हमें उपलब्ध नहीं है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय उत्तर देते समय इस संबंध में उत्तर देंगे।

....(व्यवधान)....

सभापति महोदय : आप इसे दोहराते क्यों हैं ?

पिछले एक घंटे से सभा इसी प्रश्न पर चर्चा कर रहा है। सभी सदस्य इस मुद्दे पर अपना मत व्यक्त काफी स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : सभापति जी मैं बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं, उसको आप सुन लीजिए।

[अनुवाद]

"सामान्य टैरिफ और व्यापार करार 1994 के किसी उपबंध तथा परिशिष्ट-1 ए में अन्य समझौते के किसी उपबन्ध में परस्पर-विरोध होने की स्थिति में अन्य समझौते के उपबंध को प्रतिकूलता की सीमा तक प्रधानता प्राप्त होगी।"

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अन्य समझौता उसमें नहीं दिया गया है। अन्य समझौते को इस समझौते पर प्रधानता दी जायेगी। जब तक हमारे पास उस रिपोर्ट की एक प्रति न हो, जिसे इस पर प्रधानता प्राप्त होगी, तब तक हम इस चर्चा के साथ न्याय नहीं कर सकते। सही रूप से मेरा मुद्दा यही है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

यह एक प्रक्रियागत मामला नहीं है। हमारे पास वह मसाला होना चाहिये जिसे इस गैट 1994 पर प्रधानता प्राप्त होगी।

सभापति महोदय : अभी आप निष्कर्ष नही निकाल सकते। कृपया सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा कीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : यह प्रश्न प्रतीक्षा करने का नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाईए। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप इसे गलत रूप में ले रहे हैं।

सभापति महोदय : क्या आप कृपया अपना आसन ग्रहण करेंगे ?

श्री चन्द्रजीत यादव : आप इस प्रकार से इस सदन की कार्यवाही नहीं चला सकते।

सभापति महोदय : क्या आप कृपया अपना आसन ग्रहण करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : जब तक आप वह दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराते, आप यह चर्चा जारी रहने के लिए कैसे कह सकते हैं ?

सभापति महोदय : क्या आप कृपया अपना आसन ग्रहण करेंगे ?

श्री चन्द्रजीत यादव : आपको मेरी बात भी सुननी चाहिए।

सभापति महोदय : इस तरह के रवैये की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप इस तरह से इस सभा को नहीं चला सकते।

सभापति महोदय : आप कितनी बार यह बात उठा चुके हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : कई बार इसे उठाया है।

सभापति महोदय : क्या आपने यह बात उठाई है।

....(व्यवधान)....

सभापति महोदय : एक ही समय में कितने लोग बोल सकते है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं यह अनुरोध आप द्वारा दिए गए विनिर्णय के परिणाम स्वरूप कह रहा हूँ।

सभापति महोदय : आप वही बात दोहरा रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : जब तक हमें उत्तर नहीं मिलता, यह चर्चा अर्थहीन हो जाती है। यदि उक्त दस्तावेज से पूर्व कोई दूसरा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो सारी चर्चा ही अप्रासंगिक हो जाती है। कृपया किसी व्यक्ति को यह दस्तावेज ग्रन्थालय से लाने के लिए भेजिए। मंत्री महोदय इसकी प्रति प्रस्तुत कर दें। कृपया उन्हें सभा में यह रखने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : पहले तो इस प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय द्वारा दे दिया गया था मैंने यह विनिर्णय दिया था कि सदस्यगण अब जिस दस्तावेज की मांग कर रहे हैं, उसके बारे में पहले कोई मांग नही की गई। यह बात तो अभी ही उठाई गई है। इस तरह से, सरकार को समय दिया जाना चाहिए ....(व्यवधान).... यह सभी सदस्यों का परिचालित कर दिया गया था। आज हम सभी ने इस दस्तावेज को पढ़ा है। यदि इस सभा में प्रभावी और लाभप्रद चर्चा हेतु किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता है तो हम यह चर्चा शुरु होने से पूर्व ही सरकार से इसे मंगा सकते थे। इसे नहीं मंगाया गया। मैंने यह विनिर्णय दिया है कि आपको इस चर्चा को जारी रखना चाहिए। यदि आप संतुष्ट नही हैं, तो सरकार जब उत्तर दे रही हों, तब आप सभी विकल्प अपना सकते हैं। ....(व्यवधान).... हमने इसपर पर्याप्त चर्चा कर ली है। हमें अब चर्चा को जारी रखना चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) पूरा विपक्ष इस एक मुद्दे पर उत्तेजित हैं। उस मुद्दे को स्पष्ट करना होगा और इसे अभी तक सही तरह से स्पष्ट नही किया गया है।

सभापति महोदय : इसे पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।

श्री श्रीकान्त जेना : मुद्दा यह है कि दस्तावेज सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उस दस्तावेज के आधार पर आज प्रात: यह चर्चा शुरु हुई है। इसी दौरान श्री निर्मल कांति चटर्जी ने सभा के ध्यान में यह बात लाई कि अन्य दस्तावेज भी हैं जोकि इस दस्तावेज से पहले लाए जाएं और इस दस्तावेज की कोई प्रासंगिकता नही है। विपक्ष के नेता सहित अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने एक सुझाव सही ही दिया था उन्होंने सुझाव दिया था कि या तो इसका सभा में ही समाधान किया जाना चाहिए अथवा आप कुछ समय के लिए सभा को स्थागित कर दें; अध्यक्ष-कक्ष में हम इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं और इस का समाधान कर सकते हैं तथा पुन: इस पर चर्चा आरम्भ कर सकेंगे।

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे एक बात स्पष्ट करनी होगी। ....(व्यवधान)....

सभापति महोदय : मैंने मंत्री महोदय को बोलने की पहले ही अनुमति दे दी है। कृपया बैठ जाईए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मंत्री जी के बोलने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी हाउस क्या डिस्कस कर रहा है ? ....(व्यवधान).... मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि हाउस क्या डिस्कस कर रहा है ? ....(व्यवधान).... सभापति महोदय हाउस चलाना आपका काम है। सभापति महोदय, यह हाउस किस चीज को डिस्कस कर रहा है ? जो ऐजेण्डा सर्कुलेट किया गया है उसके मुताबिक

[अनुवाद]

बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के उरुग्वे दौर के परिणामों को समाहित करने वाले अंतिम रूप से तैयार अधिनियम

[हिन्दी]

अब इस फाइनल ऐक्ट का पार्ट गैट 94 है या नहीं ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्होंने जो कुछ कहा है, उसके संबंध में वाणिज्य मंत्री अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं।

....(व्यवधान)....

श्री जसवंत सिंह : मेरा अनुरोध है कि इससे पहले कि माननीय मंत्री महोदय अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, मुझ हम सभी की चिंता सामूहिक रूप से रखने का अवसर दें। जब अनुबंध चार (क), (ख) (ग) और (घ) के बारे में मूल गैट पाठ के संबंध में पहली बार जब मुद्दा उठाया गया था, तो अनुबंध चार के बारे में मंत्री महोदय ने जो स्पष्टीकरण दिया, वह यह है कि यह बहुपक्षीय संधि है और कोई बाध्यकारी स्वरूप की नहीं है, इसलिए पाठ का अंग नहीं हैं अत: अनुबंध चार (क), (ख), (ग) और (घ) इसमें शामिल नहीं हैं। ये इस अंतिम रूप से तैयार दस्तावेज में सम्मिलित हैं और यही अंतिम पाठ है और मात्र अनुबंध चार आदि ही कतिपय चीजें नहीं हैं। हमारी चिंता तो थी अनुबंध चार (क), (ख), (ग) और (घ) के संबंध में। एक व्यक्ति की चिंता तो डेयरी उद्योग के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के बारे में है। यह एक अत्यधिक अफसोस की बात है। दूसरा व्यक्ति विमानों से व्यापार के बारे में चिंतित है। माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि हम इसमें शामिल नहीं है। स्पष्टीकरण देना होगा कि हम किस में शामिल हैं। फिर तीसरा व्यक्ति गौमास के बारे में परेशान है। यह भारत के लिए एक गम्भीर चिंता का विषय है।

श्री उमराव सिंह (जालन्धर) : महोदय वह इसे राजनीतिक रूप दे रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह : मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। मैं उस पहले से ही राजनैतिक पाठ को राजनैतिक रूप नहीं दे रहा हूँ।

सभापति महोदय : आपने ये तीन बातें पहले ही कह दी हैं।

श्री जसवंत सिंह : यह दस्तावेज कोई धार्मिक पाठ्य सामग्री नहीं है। यह तो एक राजनैतिक दस्तावेज हैं। मैं उस दस्तावेज को कोई राजनैतिक रूप नहीं दे रहा हूँ जो पहले ही राजनैतिक हैं। मैं तो यह कह रहा हूँ कि इस दस्तावेज में न केवल अनुबंध-चार (क), (ख), (ग) और (घ) ही सम्मिलित है, बल्कि हस्ताक्षरकर्ता देशों की पूरी सूची भी दी गई है। जब सरकार ने ये बातें रखी तो यह हस्ताक्षर करने से बच सकती थी और कह सकती थी कि हस्ताक्षर बातचीत के अन्तर्गत नही हैं। इसी दस्तावेज में वित्तीय सेवाओं से संबंधित वचनबद्धताओं के बारे में करार और समझौते भी हैं और ये हस्ताक्षर के पश्चात ही आते हैं। उसके बाद व्यावसायिक सेवाओं के बारे में निर्णय हैं। वे भी हस्ताक्षर के पश्चात आते हैं। जब मैंने यह बात उठाई थी, तो इसे वास्तविक चिंता के रूप में ही उठाया गया था, क्योंकि बकाया पृष्ठ खाली रखे गए थे। माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि पृष्ठ खाली हैं क्योंकि हम इसमें शामिल नहीं हैं। मुझे यही अनुरोध करना है। इसके बावजूद इस सभा को यह जानने का अधिकार है कि हम किस में शामिल नहीं हैं। उदाहरणार्थ, सरकार अन्तर्राष्ट्रीय डेयरी उद्योग अथवा सिविल विमानों में व्यापार संबंधी करारों में शामिल क्यों नहीं हुई ? गौमास संबंधी करार में ऐसा क्या है, जिससे सरकार इसमें शामिल नहीं हुई ? अत: सरकार के लिए यह कहना पर्याप्त नहीं है कि ये बाध्यताएं नहीं हैं। हम इनपर सहमत

नहीं हुए है। पूरे तथ्य यहाँ रखे जाने चाहिए और पूरे तथ्यों संबंधी ठीक यही बात, जिससे सभा उत्तेजित है, उठाई गई है।

श्री प्रणव मुखर्जी : पहले तो, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जब मैंने अनुच्छेद 2, जिसमें हम शामिल नही हैं, के बारे में उल्लेख करते हुए कहा कि अनुबंध 1, 2 और 3 (जिन्हें अब से बहुपक्षीय व्यापार करार कहा जाएगा) में सम्मिलित करार और सहबद्ध कानूनी उपाय इस करार का अभिन्न अंग है जोकि हमारे सहित सभी पर लागू होता है। उसके बाद मैंने पैरा 3 का उल्लेख किया था जिसे मैं दोहराऊंगा नहीं। हम इसके सदस्य नहीं हैं। जो देश इस करार सदस्य हैं, वहीं इससे बंधे होंगे अब दो अन्य मुद्दे उठे हैं। गैट-1994 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूँ। समस्या यह है कि यदि आप देखें, तो यह एक सतत शृंखला में नहीं है। प्रत्येक अनुच्छेद का अलग पृष्ठ अलग डॉकेट संख्या और अलग खंड संख्या है। इसी कारण से सीधे सपाट अध्ययन से यह कठिन बन जाता है। मैं शीर्षक एम॰ टी॰ एन॰ एफ॰ ए॰ II-ए॰ आई॰ ए॰-1 (ख) टैरिफ और व्यापार संबंधी आम समझौता 1994 के अनुच्छेद 18 के व्याख्या समझौते वाले पृष्ठ 1 की ओर आपका ध्यानाकृष्ट कर रहा हूँ, और इससे पूर्व एक खाली पृष्ठ है। वह अग्रेषण-पृष्ठ के रूप में है। यही 'गैट-1994' है। शीर्षक "टैरिफ और व्यापार संबंधी समझौता 1991" से शुरू होता है।

अत: उसका प्रत्येक अनुच्छेद टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, व्यापार संबंधी आसूचना मामलों के बारे में करार; व्यापार संबंधी निवेश मामलों के बारे में करार ही है। यदि माननीय सदस्यों ने प्रथम पृष्ठ को पढ़ने का का कष्ट किया हो, तो उसमें यह घोषणा है कि इस पर 15 अप्रैल को मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे। यह उन्होंने ही बताया है, मैं तो केवल उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह उल्लेख किया गया है :

यह समझौता (.....) बजे दिनांक (.....) (माह) ..... उन्नीस सौ चौरानबे को अंग्रजी, फ्रैंच और स्पेनिश भाषाओं की एक-एक प्रति, जिनमें से प्रत्येक प्रति मूल पाठ के रूप में प्राधिकृत है, किया गवा। अत: यह प्रारूप है। हमने इसे उसी तरह उद्धृत किया है, जिस रूप में इसे मंत्रिमंडलीय बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। सभी समझौते, जो अनुलग्नक में दिये गये हैं वे गैट, 1994 के ही भाग हैं, जिसके हम सदस्य हैं और यह हमारे लिए बाध्यकारी है। इसका स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 2 में किया गया है और जिसके हम सदस्य नहीं हैं उसका उल्लेख अनुच्देद 3 में है। अनुच्छेद 4 में यह बताया गया है कि गैट, 1994 और गैट, 47 में क्या संबंध है। मेरे पहले के भाषण में भी, जब मैंने हस्तक्षेप किया था, मैने यह बताया था कि इससे अवधि की गड़बड़ हो जाएगी। इसे सही घटना क्रम के अनुसार होना चाहिए। यदि इस बात पर सहमत होते हैं कि गैट पहली जनवरी 1995 से अथवा पहली जून 1995 से लागू होगा, तो बीच की अवधि अंतरकाल होगी। उस अंतरकाल की अवधि के दौरान गैट 1994 के लागू होने तक गैट 47 लागू रहेगा। अत: मुझे नहीं पता चल रहा है कि यह गंभीर भ्रम किस के बारे में है। मै यह नम्रता पूर्वक कहता हूं। वास्तव में यह सच है कि गैट 47 की प्रति उपलब्ध नहीं है। मैंने इसके बारे में कहा था कि यह गंथालय में उपलब्ध है। और श्री चन्द्रशेखर जी ने मुझे बताया कि यह वहां उपलब्ध नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह आपके मंत्रालय में उपलब्ध है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं वहां इसे खोजूँगा। ....(व्यवधान)....

श्री चन्द्रशेखर : उन्हें इसका उपहास नहीं करना चाहिए। यह मंत्रालय में उपलब्ध नही है। मैंने स्वयं संपर्क नहीं किया है। मैं किसी अन्य व्यक्ति को मंत्रालय भेजा था और मुझे यह प्रति प्राप्त नहीं हुई। मैं इन मामलों को नहीं उठाना चाहता। मैं देश को नीचा नहीं दिखाना चाहता। और आप भी मुझ से कह रहे हैं, "मैंने इस मामले को पहले क्यों नहीं उठाया मेरा यह कहना है कि मैंने किसी व्यक्ति को मंत्रालय भेजा था और वहां उसे इसकी प्रति नहीं दी गई। और स्वयं मैं ग्रंथालय गया था और मुझे भी अब तक इसकी प्रति नहीं मिली है।

प्रणव मुखर्जी : मै नहीं जानता कि क्या गैट 47 उपलब्ध है या नहीं। ....(व्यवधान)....

श्री चन्द्रशेखर : यह बात तो सरकार की गंभीरता को दर्शाती है और आप मुझ पर अत्यधिक नाराज और गुस्सा हो रहे हैं। ....(व्यवधान)....

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। ....(व्यवधान)....

श्री चन्द्रशेखर : भावुक होना ही पर्याप्त नहीं है। ....(व्यवधान)....

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, जी जसवंत सिंह ने अब तक अपनी बात पूरी नहीं की है; उन्हें पूरा करने दें। यह विषयांतर होगा। आप इन बात में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्री चन्द्रशेखर : मुझे खेद है परंतु सभापति महोदय, मैं केवल अपना यही दोष बता रहा था कि मैं भावुक हो गया था। भावुक होना ही पर्याप्त नहीं होता है। महोदय, मंत्री जी ने यह कहा है कि वह यह पता लगाएंगे कि गैट 1947 मंत्रालय में उपलब्ध है अथवा नहीं। इसका प्रसारण पूरे विश्व में हो रहा है। इतनी गंभीरता के साथ यह सरकार कार्य कर रही है। भावुक होने का मुझे खेद है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मैं इस मामले में भावुक हूं और मैं श्री प्रणब मुखर्जी को यह बता देता हूं कि वह और हम नहीं रहेंगे लेकिन भारत हमेशा रहेगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, मैं यह हमेशा याद रखता हूं, हम रहे या नही भारत हमेशा रहेगा, यह याद दिलाने के लिए हम आभारी हैं। लेकिन मैं अभी उस पहलु पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मेरा यह कहना है कि यदि माननीय सदस्य मुझ से कहते हैं कि वह गैट 1947 की प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं उसकी व्यवस्था करने का प्रयास करता। ....(व्यवधान).... सभापति महोदय, मैं उनकी बात नहीं मानता। ये दस्तावेज फरवरी में उपलब्ध करा दिए गए थे। यदि कोई सदस्य इसे मेरी जानकारी में लाता अथवा मुझसे इस पर स्पष्टीकरण मांगता, तो मैं सहमत होता। माननीय सदस्यों को ये दस्तावेज ग्यारह फरवरी को उपलब्ध करा दिए गए थे।

महोदय, मुझे यह बताया गया कि जो हमें पता चला उसके आधार पर हमारे नाम में भी परिवर्तन कर दिया गया है। एक माननीय सदस्य ने पटना में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे। अब केवल डंकल मुखर्जी रह गए हैं और हमने देश को गिरवी रख दिया है।

ये सभी बातें इस दस्तावेज को पढ़ने पर सामने आ रही हैं। बाद में हमें इस चर्चा में पता चला कि गैट 1947 उपलब्ध नहीं है। मेरा यह कहना कि यदि कोई भी माननीय सदस्य मुझे याद दिलाते अथवा मुझसे निवेदन करते कि वे गैट 1947 की प्रति अथवा कोई अन्य दस्तावेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उसे प्राप्त करने का

प्रयास करते। यह संभव नहीं है कि कोई चर्चा के बीच में एक ऐसे दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराने के लिए कहें, जो 45 या 50 वर्ष पुरानी है। यह एक दम असंभव है। ....(व्यवधान)....

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : सभापति महोदय, अदर हाउस में मंत्री महोदय ने डिबेटिंग के पाइंट को स्कोर करने के लिए कह दिया कि लाइब्रेरी में उपलब्ध है। वास्तविकता यह है कि यह वहां भी नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री पी. सी. चाक्को) : हम चर्चा जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, मंत्री जी, कुछ बातों को बिना जानकारी के बोलते हैं। इन्होंने दूसरे सदन में कहा है कि यह पार्लियामेंट की लायब्रेरी में लोगों को पढ़ने के लिए मौजूद है। ये इतने सीनियर मैम्बर हैं, इनको इतना भी पता नही है कि 1947 का यह कानून सरकार के पास भी है या नही ? ....(व्यवधान)....

[अनुवाद]

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति महोदय, भारत वर्तमान में गैट 1947 का सदस्य है। हम इससे बाहर नहीं हैं। लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि उसकी एक प्रति उपलब्ध है अथवा नहीं यद्यपि हम अब भी इसके सदस्य हैं। वह कहते हैं कि गैट 1947 की प्रति उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि इसकी प्रति उपलब्ध नहीं है तो वे उसे छपवा सकते हैं। इसकी प्रति प्राप्त करने के बाद हम इस पर चर्चा करें। ....(व्यवधान)....

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : सभापति महोदय, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है।

मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा था कि 15 अप्रैल को हम हस्ताक्षर कर देंगे, परन्तु उसका प्रभाव एक साल तक के लिए रुका रहेगा। एक साल का समय दिया जाएगा कि आप अपने देश के कानून बदल लें। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यदि हमने कानून नहीं बदले, तो क्या होगा ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप ऐसे मामलों को व्यवस्था का प्रश्न के तौर पर नहीं उठा सकते हैं। श्री जसवंत सिंह को अपना भाषण जारी रखने दें।

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है, इसका जवाब तो आना

चाहिए कि यदि एक साल के अंदर भी हमने अपने देश के कानून उसके अनुसार नही बदले, तो क्या पोजीशन होगी ?

सभापति महोदय : आपने जो मामला उठाया है उसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नही है। कृपया बैठ जाइये।

....(व्यवधान)....

सभापति महोदय : श्री जसवंत सिंह अब अपना भाषण जारी रख सकते हैं। श्री जसवंत सिंह, आप और कितना समय लेंगे ?

श्री जसवंत सिंह : महोदय मैं एक दो मिनट और लूंगा। मैंने पहले ही उन महत्वपूर्ण अंशों का उल्लेख कर दिया है, जिसे मुझे कहना था। मैंने लगभग समाप्त कर दिया है। महोदय, जो कुछ भी मैंने पहले अपने विचार रखे हैं उन पर वास्तव में फिर से बल दिया गया है।

मुझे यह कहना है कि वास्तव में मैं अनुलग्नक 4 (क), (ख), (ग) और (घ) के प्रश्नों पर संतुष्ट नहीं हूं। ये अनुलग्नक सरकारी खरीद, नागरिक विमानों की खरीद, अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध समझौता एवं गोमांस के व्यापार के संबंध में हैं। मैंने कहा था कि ये कोरे कागज थे। लेकिन माननीय मंत्री कहते हैं कि यह बहुपक्षीय समझौते का भाग है; हम उनके पक्ष नहीं है। मैं इस बात के प्रति आश्वास्त नहीं हो पाया कि क्या यही पूरी व्यवस्था है। मैं अब भी उस मूल पाठ को निश्चित तौर पर यह देखना चाहूंगा कि जिसमें हमें शामिल नहीं किया गया है। उसका यहां उल्लेख नहीं है।

क्या हम नागर विमान व्यापार समझौते के पक्ष कार नहीं हैं ? क्या उस पर साथ-साथ कार्यवाही नहीं की जा रही है ? क्या उस पर बातचीत नहीं हो रही है ? क्या सरकारी खरीद के संबंध में वार्ता नहीं चल रही है? क्या हम इन समझौतों और वार्ताओं में भाग नहीं ले रहे हैं ? क्या हम अन्तर्राष्ट्रीय डेरी समझौते के किसी पहलू के पक्षकार नहीं हैं ? जहाँ तक गौमांस व्यापार का संबंध है, क्या हम इसके पक्षकार नहीं हैं ? हम सरकार से इसके बारे में निश्चित रूप से जानना चाहते हैं क्योंकि इसका इस दस्तावेज और सरकार के उत्तर में कोई उल्लेख नहीं है ?

इससे इस बात को और बल मिलता है जिसे मैं सुझाव के रूप में सरकार पर छोड़ता हूँ कि अब बातचीत करने वाले पक्षकारों को अपने राष्ट्रों अथवा अपने विधानमंडलों से प्राधिकरण, अभिपुष्टि आदि, जो भी अपेक्षित हो, प्राप्त करने के लिए अपने देश वापस जाने के लिए 15 अप्रैल से 1 जुलाई, 1995 तक का अन्तर्काल प्रदान किया जाएगा। ....(व्यवधान)....

4.42 म० प०

[श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : प्राथमिकता के प्रश्न को अभी तक नहीं निपटाया गया है। इस पर आपको अपना विचार बताना है। हमने इसका विशेष रूप से उल्लेख किया था कि अनुलग्नक 1 क को क्या प्राथमिकता

दी जा रही है परन्तु मंत्री महोदय ने अभी तक इसका उत्तर नहीं दिया है। वह अभी भी इसका उत्तर दे सकते हैं। ....(व्यवधान)....

श्री जसवंत सिंह : हम जो कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी इस सिफारिश पर, जो मैं सरकार से कर रहा हूँ, जोर देना चाहता हूँ कि 15 अप्रैल से पहले आपने निर्णय किया था कि आप इस संबंध में कुछ कार्यवाही करने जा रहे हैं। विपक्ष के नेता के रुप में मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया था। आपने इस पर मतदान कराया और आपको सभा के अपेक्षित सदस्यों का समर्थन मिला। परन्तु प्रश्न यथावत रहा। इस प्रकार 15 अप्रैल के बाद जब यह सम्बद्ध सरकारों के पास अभिपुष्टि के लिए जाएगा तो फिर संसद के समक्ष आएगा आपको हर बार इसकी अभिपुष्टि करनी है। यह हर बार संसद के समक्ष आएगा और संसद का अनुसमर्थन प्राप्त करना होगा बेशक ऐसी कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है कि संसद से संधि का अनुसमर्थन कराया जाए। मैं यही सिफारिश करना चाहता हूँ।

श्री चन्द्रशेखर : आप सतत अशावादी प्रतीत होते हैं।

श्री जसवंत सिंह : मैं और क्या कर सकता हूँ। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस स्थिति में भी अपने हाथ मजबूत करे। इससे असमान व्यवस्था में समानता प्राप्त करने संबंधी हमारे सामूहिक प्रयास मजबूत होंगे।

इस सिफारिश के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करुंगा। मैं सरकार से कुछ शब्द सावधानी बरतने के लिए कहना चाहता हूँ। मैं सरकार को इस बात के लिए सचेत करना चाहता हूँ कि वे देश में नई परन्तु असमान गुलामी की ओर ले जाने वाले विश्व व्यवस्था शुरु करना चाहते हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इससे हमें अनेक हमलों का सामना करना पड़ेगा। हमें गैर-टैरिफ कठिनाइयों का जिनका वाणिज्यमंत्री ने स्वयं उल्लेख किया है, सामना करना पड़ेगा। हमें मानवधिकार अथवा पर्यावरण के नाम पर गैर-टैरिफ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, साथ ही एम टी. सी. आर. अथवा एम. आर. टी. पी. के नाम पर प्रौधोगिकी के दरवाजे बंद होने की भी सम्भावना है। अभी हमारे समक्ष ट्रोइका के रुप में वास्तविक संकट है जो कि राष्ट्र को कमजोर करता है। इस ट्रोइका में विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और 'गैट' समझौता शामिल हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : गैट 1994।

श्री जसवंत सिंह : 'गैट' 1994, जैसाकि मेरे मित्र कहते हैं।

सरकार को सचेत करना और बताना मेरे लिए आवश्यक है कि इस समय जो कुछ किया जा रहा है उससे ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसमें राष्ट्र दशकों तक असमान व्यवस्थाओं में बँधा रहेगा और राष्ट्र को समान लाभ नहीं मिलेगा तथा भारत को हानि ही होगी।

यही कारण है कि हम, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उरुग्वे दौर के इस अन्तिम अधिनियम का विरोध करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा॰ देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : ड्रंकेल प्रारुप और अधिनियम के अन्तिम प्रारुप से अनेक विवाद पैदा हो गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तिम रुप में तैयार अधिनियम का उद्देश्यपूर्ण ढंग से

आकलन किए बगैर ही, मैं श्री जसवंत सिंह को उद्धृत कर रहा हूँ, दलगत राजनीति के आधार पर चर्चा की जा रही है।

इसलिए सभा के सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की बातों का, जिनमें राष्ट्र का हित निहित है, हम स्थिति का उद्देश्यपूर्ण ढंग से आकलन करें।

प्रारुप और अन्तिम रुप से तैयार अधिनियम पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब उरुग्वे चक्र की वार्ता शुरु हुई थी तो शुरु में इसके संबंध में मंत्रिमंडलीय स्तर पर विचार-विमर्श किया गया था। उसके बाद एक समिति का गठन किया गया था और अन्त में लम्बी वार्ता के बाद कुछ मुद्दों पर समझौता किया गया था।

समय कम होने के कारण मैं अधिनियम के सभी पहलुओं का विस्तार से उल्लेख नहीं करूँगा। परन्तु चार-पांच क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर विचार किए जाने की जरुरत है। कृषि, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों तथा वस्त्र पर अन्तिम रूप से तैयार अधिनियम के प्रभाव पर ध्यान दिया जाए क्योंकि ये तीन ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें विवाद बहुत ही महत्वपूर्ण रूप लेता जा रहा है।

जहाँ तक कृषि का संबंध है, इसमें चार ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। ये चर्चाएं किस लिए की जा रही हैं ? इन चर्चाओ-'गैट' योजना तथा उरुग्वे चक्र की वार्ता का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है और इसकी गड़बड़ियों को दूर करना है जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक देश अपने कृषि उत्पादों के लिए भारी निर्यात राजसहायता दे रहे हैं तथा देशों विशेषत: विकासशील क्षेत्रों में भारी मात्रा में अपने माल को उपलब्ध करा रहे हैं। इसका कारण यह था कि जब सितम्बर 1986 में यह वार्ता शुरु हुई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी॰ पी॰ सिंह ने, जिनके नेतृत्व में भारत ने इसमें भाग लिया था, कहा था कि उरुग्वे चक्र की वार्ता में कृषि के सम्बन्ध में भी चर्चा की जानी चाहिए। वर्तमान सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गये उन्हीं कदमों का अनुसरण कर रही है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उस समय वह गलत थे क्यों कि कृषि के क्षेत्र में यह अनुभव किया गया है कि अमरीका और अन्य औद्योगिक देश भारी मात्रा में निर्यात राजसहायता दे रहे थे जिसके फलस्वरूप उनके कृषि उत्पादों के निर्यात बाजार थे। यही कारण था कि कृषि व्यापार करने वाले विकासशील देशों ने, जो इस वार्ता में भाग ले रहे थे, आग्रह किया था कि निर्यात राजसहायता में कटौती की जाए और कृषि में आयात प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। इन्हीं बातों का इस अधिनियम में उल्लेख किया जा रहा है। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जिनका अध्ययन और विश्लेषण एक साथ किया जाना चाहिए। जैसा कि प्रतीत होता है कि अन्तिम रूप में तैयार अधिनियम में इन दो क्षेत्रों में निर्यात राजसहायता अर्थात् गैर-विशिष्ट उत्पाद राजसहायता तथा उत्पाद राजसहायता कम कर दी गई है। उत्पाद राजसहायता के क्षेत्र में हमारी राजसहायता नकरात्मक है। गैर विशिष्ट उत्पाद राजसहायता के क्षेत्र में हम नि:स्संदेह, राजसहायता दे रहे हैं परन्तु अन्मि रूप से तैयार अधिनियम के आधार पर यदि इन राजसहायताओं का योग किया जए तो यह 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया है कि यदि उत्पाद और गैर विशिष्ट उत्पाद राजसहायता को जोड़ दिया जाए तो राजसहायता का एक कोटा 30,000 करोड़ रुपये तक होगा। अधिनियम में इतनी ही सीमा की व्यवस्था है। अपने कृषि निर्यात

के फलस्वरूप हम 11000 करोड़ रुपये और इससे अधिक राजसहायता दे सकते हैं और नकारात्मक राजसहायता से हम 19,000 करोड़ रुपये की राजसहायता दे सकते हैं। इसप्रकार हम अपने कृषि क्षेत्र को 30,000 करोड़ रुपये की राजसहायता दे सकते हैं बशर्ते कि हमारे पास पर्याप्त वित्त हो। जिस ढंग से राजसहायता दी जा रही है वह तो इसका एक छोटा सा भी अंश नहीं है। इसलिए इस बात को कोई खतरा नहीं है कि राजसहायता में कटौती का हमारे किसानों पर कोई प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत निर्यात राजसहायता में कटौती करने से कृषि उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी आएगी। इसके परिणामस्वरूप भारत जैसे विकासशील देशों की अपनी कृषि, विशेषत: चावल, गेहूँ और अन्य अनेक वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने की अधिक सम्भावना रहेगी।

हमारे यहां जिन उत्पादों को सहायता दिए जाने की आवश्यकता है, उनकी संख्या 20 के लगभग है। इन 20 में से गन्ना, मूंगफली और तम्बाकू तीन उत्पादों को ही समर्थन दिए जाने की जरुरत है। किन्तु इन पर दी जाने वाली राजसहायता 5000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। बाकि के सत्रह उत्पादों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत ही ऊँचे हैं। इसलिए उनके लिए निर्यात के उद्देश्य हेतु कोई विशेष राजसहायता दिए जाने की जरूरत नहीं है। अत: इन परिणामों के साथ यदि निर्यात राजसहायता में कुल राशि के 20 प्रतिशत तक कमी कर दी जाती है, तो इससे भारत जैसे विकासशील देशों में इसका लाभ कृषकों और किसानों को ही पहुंचेगा क्योंकि विकसित देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अत्यधिक निर्यात राजसहायता प्रदान करके बनावटी तौर पर ऊँचे रखे जाते हैं। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि इस पहलुओं पर विपक्षी सदस्यों द्वारा की गई आलोचना और इस पर व्यक्त की गई आशंका बिलकुल निर्मूल है और तथ्यों से इसका कुछ भी लेना-देना नहीं है। आयात प्रतिबंधों के मामले में हम इस बात पर गौर करें कि भारत की आज क्या स्थिति है। यदि भुगतान संतुलन की स्थिति ठीक नहीं है तो भारत जैसे देश में आयात पर प्रतिबंधों का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाल में हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति ठीक नहीं है। यह बात सत्य है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का भण्डार बढ़कर 14 मिलियन डालर हो गया है। किन्तु भुगतान संतुलन की स्थिति के बारे में वास्तविकता यह है कि यह स्थिति अभी कुछ और वर्षों तक चलेगी। यदि ऐसा होता है, तो आयात पर यह मात्रा प्रतिबंध की बात लागू नहीं होगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कृषि के क्षेत्र में यह अधिनियम केवल छ: वर्षों तक प्रभावी रहेगा। छ: वर्षों के पश्चात स्थिति की समीक्षा की जा सकती है और इस अवधि के दौरान हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति के सही होने के कम ही अवसर हैं। यदि मात्र 3.24 प्रतिशत पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो मैं नहीं समझता कि हमारे देश पर इसका किसी प्रकार का भी प्रभाव होगा। जो भी हो इस प्रकार के निर्यात प्रतिबंधों के आने वाले कुछ वर्षों तक प्रभावी होने की संभावना नहीं है।

विपक्षी सदस्यों द्वारा की गई आलोचना में अधिक शंका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में व्यक्त की गई है। यदि सरकार द्वारा कृषि उत्पादों की खरीद बाजार मूल्यों पर की जाती है और फिर बिक्री भी बाजार मूल्यों पर ही की जाती है, तो इससे किसानों को ही लाभ मिलेगा। यदि सरकार द्वारा ये उत्पाद कम आय वाले उपभोक्ताओं अथवा जिनकी आय एक हजार डालर के निर्धारित मानक से बहुत ही कम है, उन में वितरित किए जाते हैं, तो उपभोक्ताओं को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्य को किसी प्रकार से भी राजसहायता नहीं माना जाएगा।

यह तो गरीब उपभोक्ताओं के लाभार्थ सरकार द्वारा किया गया अंशदान मात्र ही है। इसलिए, इस अंतिम अधिनियम के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने का कोई खतरा नहीं है। यद्यपि श्री जसवंतजी इस बारे में कम ही चिंतित थे, फिर भी मेरे विचार में पाद टिप्पण से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि यदि कम आय वाले लोगों को आवश्यक वस्तुएं भी सरकारी मूल्यों पर वितरित की जाती हैं तो उसे राजसहायता बिल्कुल नहीं माना जाएगा क्योंकि यह उत्पादक अथवा किसान को दी जाने वाले किस प्रकार की राजसहायता नहीं है।

अब जिस दूसरे पहलू पर विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा चिंता व्यक्त की गई है वह इस अधिनियम के पेटेंटीकृत बीजों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के बारे में है। यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि जहां तक अब तक पेटेंट किए गए बीजों का संबंध है, वर्तमान अधिनियम का पहले से विद्यमान बीजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5.00 बजे म. प.

अधिनियम के प्रभावी हो जाने की तिथि और उसके बाद पेटेंट किए जाने योग्य बीजों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। किन्तु इसके साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि इससे बीजों को भण्डारण करने के मामले में किसानों के अधिकारों को संरक्षण मिलता है। इससे किसानों द्वारा गांवों में बीजों के वितरण और बिक्री के अधिकारों को संरक्षण मिलता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रतिबंध का किसानों द्वारा अपने बीजों के भंडारण अथवा उन बीजों के पुन: प्रयोग अथवा गांवों में उनकी बिक्री संबंधी अधिकारों पर कोई प्रभाव न पड़े। इन पेटेंट किए जाने योग्य बीजों से अनुसंधानकर्त्ताओं के अधिकारों पर भी काई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अत: मैं इस सभा के समक्ष आदरपूर्वक यह कहना चाहूंगा कि इस अधिनियम का भारतीय कृषि अथवा किसानों पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ेगा जबकि दूसरी ओर इससे कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा है कि औद्योगिकीकृत देशों द्वारा निर्यात राजसहायता में कमी करने के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है। भारत को औधोगिकीकृत देशों के अंदर अपने कृषि निर्यात को बढ़ाने का सुअवसर प्राप्त होगा। माननीय सदस्य द्वारा जिस अन्य क्षेत्र में चिंता व्यक्त की गई है वह "ट्रिप्स" अथवा व्यापार से संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के बारे में है। हम यह भूल जाते हैं कि बौद्धिक सम्पदा अधिकारों में ट्रेडमार्क और प्रतिलिप्यधिकार जैसी सात बातें अंतर्ग्रस्त हैं। इन सात बातों में छ: पर कोई विवाद नहीं है। क्योंकि भारतीय कानून प्रारूप अधिनियम के अंतर्गत बनाए जाने वाले कानूनों के न्यूनाधिक रूप से समान ही हैं ट्रेडमार्कों, प्रतिलिप्यधिकारों और बौद्धिक सम्पदा संबंधी अन्य अधिकारों के संबंध में हमारा भारतीय पेटेंट कानून उन्हीं सिद्धानतों तथा मानदंडों पर आधारित है। भारतीय पेटेंट कानून के अंतर्गत दिए जाने वाले संरक्षण की पद्धति भी न्यूनाधिक उन्हीं मानकों के अनुरुप है जिनका प्रावधान डंकल अधिनियम में किया गया है। इन अधिकारों में से किसी पर भी किसी किस्म का विवाद नहीं होता। यह तो भाग पेटेंट कानून और वह भी फैथजिक क्षेत्र में ही ऐसा है जिसके बारे में चिन्ता और आशंका व्यक्त की गई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन अधिकारों का पेटेंटीकरण इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि अनुसंधान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बारम्बार चोरी होती रहती है। नई खोजों के विकास पर भारी धनराशि खर्च करने वाले देश, अनवरत ढंग से चोरी जारी रहने की अवस्था में, स्वाभाविक है कि प्रौद्योगिकी

के विकास को प्रोत्साहन नहीं देंगे। इसलिए पेटेंटीकरण अवाधित चीज नहीं है। हमारे भारतीय पेटेंट अधिनियम में प्रक्रियाधीन अधिकारों के पेटेंटीकरण की भी व्यवस्था है जबकि डंकल अधिनियम में उत्पादों का भी पेटेंटीकरण किए जाने की व्यवस्था है। भैषजिक उत्पादों के बारे में यह कहा गया है कि इससे मूल्य अत्यधिक ऊँचे हो जाएंगे और अधिकतर जीवन रक्षक दवांए आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह कहा गया था कि आज 260 जीवनरक्षक दवाइयों में से केवल 10 को ही पेटेंटीकृत किया गया है। इसलिये, यदि कुल जीवन-रक्षक दवाओं में से केवल दस का ही पेटेंट किया जाता है तो मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इसका दवा उद्योग पर इतना व्यापक प्रभाव पड़ेगा और केवल इतना ही नहीं बल्कि चिकित्सा-विज्ञान में ऐसी कई औषधियां और भेषज विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं जिनका पेटेंटीकरण नहीं किया गया है।

और भारत ने औषध उद्योग को इस प्रकार से संगठित ढंग से विकसित किया है कि आज इस उद्योग से निर्यात के द्वारा 1800 करोड़ से भी अधिक की आय हो रही है। इसलिए यदि इन क्षेत्रों में अनुसंधान किया जाता है और औषध उद्योग के भेषज पेटेंटीकृत भेषजों के विकल्प के रूप में समाने आते हैं, तो दवाओं के मूल्यों में वृद्धि पर तुरन्त रोक लग जाएगी जिसके बारे में विपक्षी सदस्यों ने आशंका व्यक्त की थी। इतना ही नहीं सरकार के पास इस अधिनियम के अंतर्गत पेटेंटीकृत भेषजों के मूल्यों को भी नियंत्रित करने का अधिकार है क्योंकि यदि पेटेंट किए गए भेषज भारतीय बाजार में आते हैं तो सरकार के पास अपने भेषज मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत मूल्यों पर नियंत्रण करने का पूरा अधिकार है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि सरकार पर भी जोर दे सकती है कि एकाधिकार प्राप्त जिन देशों में अपने उत्पादों को पेटेंट करवाया है, उन्हें प्रतियोगिता के तौर पर ऊँचे मूल्यों पर भारतीय बाजार में घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण को बनाए रखने के आधारों पर भी यह अधिकार होगा कि वह उन पर अपना नियंत्रण रखे और उत्पादों की बिक्री भी कर सके। अत: इस प्रकार से, मूल्यों को उपयुक्त स्तर तक आसानी से नीचे लाया जा सकता है।

आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए दिए गए मामलों में 10 वर्ष की अवधि इसलिए दी गई है जिससे कि इस अवधि के भीतर पेटेंट किए गए ये उत्पाद भारत जैसे देश में लागू नहीं होंगे और यह अपेक्षा की जाती है कि इस वर्ष की इस अवधि के दौरान हमारे उद्योग वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अपना स्थान बना लेंगे और यह भी अपेक्षा है कि दस वर्षों के भीतर उत्पाद का यह पेटेंट भारत जैसे देश पर लागू नहीं होगा। हम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई प्राधोगिकी और नई प्रणाली विकसित कर सकते हैं। इसलिए जैसा कि हम आशंका कर रहे हैं, निराश होने का कोई कारण नहीं है। अब दवा उत्पादों के क्षेत्र में हमने यही चिन्ता व्यक्त की है अन्यथा यह पेटेंट नियम न्यूनाधिक उसी प्रकार का है। एकमात्र बात यह है कि पेटेंट का अधिकार 20 वर्षों तक लागू रहेगा हालांकि भारतीय पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत यह अधिकार 14 वर्षों तक बना रहता है। परन्तु इस तथ्य को देखते हुए कि दस वर्ष की अवधि के लिए छूट की अनुमति दी गई है यह अधिनियम लागू नहीं होगा, मेरा यह विचार है कि हमारा देश दस वर्षों के अन्दर इस क्षेत्र में पर्याप्त रुप से विकसित हो जायेगा; और इस पेटेंटीकृत उत्पाद से परेशान होने का कोई कारण नहीं है।

औद्योगिक देशों का वस्त्र उद्योग पर एकाधिकार चला आ रहा है और इस समय लागू बहु-रेशों संबंधी समझौता इस क्षेत्र में विकासशील देशों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना है; और हमेशा ही अन्य विकासशील देशों के साथ भारत इस बात पर बल देता रहा कि बहुरेशों संबंधी समझौता (मल्टी फाइबर एग्रीमेंट) हटा दिया जाए ताकि वस्त्र एवं कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में विकासशील देश प्रवेश कर सकें क्योंकि इसमें भारत जैसे विकासशील देश पर्याप्त उन्नति कर रहे हैं और इस क्षेत्र में निर्यात सम्भावनायें और विकसित की जानी चाहिए। दीर्घावधिक समझौते के परिणामस्वरूप बहु रेशों संबंधी समझौता (मल्टी फाइबर एग्रीमेंट) इस क्षेत्र में इतने लम्बे समय तक लागू रहा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उरुग्वे दौर की वार्ता में केवल विकसित देश ही नहीं अपितु विकासशील देश भी भाग ले रहे हैं। गैट समझौते की शुरुआत के समय इसमें केवल 23 देश ही शामिल थे। वर्ष 1948 में गैट समझौते की शुरुआत में भारत इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में से एक देश था आज गैट समझौते को 117 देश स्वीकार कर रहे हैं और इसे स्वीकार करने वाले छोटे देशों और लगभग विश्व के सभी देशों, जो इसमें शामिल हैं के साथ व्यापार कर रहे हैं और चीन जैसे देशों ने गैट में शामिल होने के लिए पहले से ही आवेदन भी कर दिया है। अत: यह कथन गलत है, जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है, कि इस अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार देश की आर्थिक स्वतत्रंता छीन जायेगी।

वस्त्र उद्योग में क्या व्यापक व्यवस्था की गई है ? दस वर्षों के चरण के अन्दर ऐसे प्रतिबंधों के 51 प्रतिशत का उदारीकरण किया जायेगा। इसमें पहला चरण तीन वर्षों का, दूसरा चरण चार वर्षों का, और तीसरा चरण तीन वर्षों का होगा। पहले चरण में 16 प्रतिशत शर्तों में, दूसरे चरण में 18 प्रतिशत शर्तों में और तीसरे चरण में 17 प्रतिशत शर्तों को उदार बनाया जायेगा। कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्रोत में इस समय लागू 51 प्रतिशत की शर्तों से 2000 ई॰ तक और उदार बनाया जायेगा और 2003 अथवा 2005 ई॰ तक शेष शर्तों को हटा दिया जायेगा।

यह सही है कि चरणवार योजना दीर्घवधिक है परन्तु मेरे विचार से अन्य विकासशील देशों के साथ हमारी सरकार भी वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में इन शर्तों को चरणबद्ध ढंग से शीघ्र हटाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। यह एक विशेष उपलब्धि है कि बहु रेशों संबंधी समझौता, (मल्टी फाइबर एग्रीमेंट) जिसके आधार पर वस्त्र और परिधान उद्योग के क्षेत्र में विकासशील देशों का शोषण किया जाता रहा, की काफी अधिक शर्तों को दस वर्षों की अवधि के अंदर हटा दिया जायेगा। अब इस अधिनियम द्वारा कुछ क्षेत्रों में कतिपय उपाय किये गये हैं। इसका उद्देश्य विश्व व्यापार में उदारता लाना है। इसका प्रमुख उद्देश्य उन अड़चनों को हटाना है जिससे विकासशील देश प्रभावित हुए हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आये परिवर्तन की बाध्यताओं और आर्थिक आवश्यकताओं से हमारे लिए बहुपक्षीय व्यापार समझौता करना अनिवार्य हो गया है और इसके बिना भारत जैसा विकासशील देश अथवा कोई अन्य विकासशील देश केवल द्विपक्षीय समझौतों के भरोसे अपनी स्थिति बनाये नहीं रख सकता है। इसी कारण भारत न केवल इसका सदस्य बना अपितु इन परिस्थितियों में अपनी स्थिति को सुधारने और सर्वोत्तम बनाने के लिए यथा सम्भव प्रयास भी किया है।

यह एक मुश्त करार है। इस एक मुश्त करार में यह व्यवस्था है कि आप ही समग्र सौदा करेंगे। यह नहीं कि आप एक हिस्से को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं और आप दूसरे हिस्से को स्वीकार नहीं कर सकते

हैं। उरुग्वे दौर के समझौते का आधार वही है। यदि हमें बहुपक्षीय व्यापार करना है तो हमें अपनी नई आर्थिक नीति द्वारा एक नई व्यापार नीति बनानी होगी इसी कारण से हमें शर्तें हटानी होंगी और देश की नीति को उदार बनाना होगा ताकि यह देश अपने वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। अत:, मैं यह समझाता हूं कि यह अधिनियम मात्र विकासशील देशों के हितार्थ एक सार्थक कदम है बल्कि इस अधिनियम के उपबंधों से भारत जैसा देश भी सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से लाभान्वित होगा।

यह सही है कि हमने कतिपय मामलों में सुधार के लिए कुछ और प्रयास किए हैं परन्तु इस एक मुश्त उपाय को समग्र रूप से देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि यह अधिनियम मूल प्रस्तावों में उल्लेखनीय सुधार करता है और मेरे विचार से सभा द्वारा इस अंतिम अधिनियम को स्वीकार किया जाना चाहिए। क्योंकि हम केवल इसी के द्वारा विश्व के देशों के साथ समझौता और बहुपक्षीय व्यापार कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंतिम अधिनियम का समर्थन करता हूं और इसे स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति जी, अभी हमने यहां कांग्रेस के दो माननीय सदस्यों के भाषण सुने। उनमें से एक ने कुछ इस तरह की बातें कहकर खुशखबरी देने का काम किया जैसे हमारी बहुत बड़ी विजय हो गयी हो और दूसरे माननीय सदस्य ने इसे लैंड-मार्क समझौते की संज्ञा दी और कहा कि इस गैट के समझौते के जरिये हम लोगों को काफी कुछ मिला है, ऐसी बात उन्होंने यहां कही, लेकिन लगता है कि आज सुबह के अखबारों को किसी ने पढ़ने का काम नहीं किया क्योंकि बहस में आज कही भी सुबह की अखबारों का जिक्र नहीं आया। हमारे वाणिज्य मंत्री जी ने कल जी-15 के सम्मेलन में न तो कोई विजय की बात कहीं और न लैंड-मार्क की बात की बल्कि उन्होंने वहां प्रलाप किया और इतनी दयनीय हालत में कल भारत वहां पेश आया कि बहस शुरू होने के पहले, मेरी इच्छा थी कि वाणिज्य मंत्री जी की ओर से हम यहां कुछ बातें सुनें कि कल उन्होंने वहां जो कुछ कहा, वह किस राष्ट्र को लेकर कहा, या किन राष्ट्रों को मन में रखकर कहा और इस समझौते पर हस्ताक्षर होने में अभी भी 15-17 दिन का समय बाकी है, यदि हस्ताक्षर होने से पहले ही उन्हें किसी का नाम लेने में शर्म महसूस होती हो कि अमेरिका की ओर से ये सारी हरकतें आ रही हैं तो इस दस्तावेज पर, जिसे आम तौर पर इस देश में गुलामी का दस्तावेज समझा जाता है, जब वे हस्ताक्षर करेंगे तो उसके बाद आपकी क्या औकात अमेरिका के सामने या दुनिया के सामने बनी रहेगी, हम वाणिज्य मंत्री जी से इसका स्पष्टीकरण अवश्य चाहेंगे।

चूंकि उन्होंने जो बातें कही हैं, एक तरफ वे कहते हैं–

[अनुवाद]

"उरुग्वे दौर की वार्ता के अंत में हुई आम सहमति को बिगाड़ने के लिए कतिपय दृष्टिकोण से किए जा रहे प्रयासों को जी-15 देशों द्वारा सम्मिलित रूप से कतिपय बाहरी क्षेत्रों को शामिल करते हुए विफल किया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

लेकिन एक एक्सट्रेनीयस ईश्यू को तो आपने कबूल किया ही है, इंटिलैक्चुअल प्रोपर्टी राइट को आपने इस समझौते के अंदर लाने की बात कबूल की है तो उससे बढ़कर दूसरा कौन सा एक्सट्रेनीयस ईश्यू इस समझौते में आ सकता है ? जब अपने एक बार इंटिलैक्चुअल प्रोपर्टी राइट को इसमें जोड़ना कबूल कर लिया तो आज आप अमेरिका को कैसे रोक पायेंगे, श्रमिकों की बात यदि वह उठायेगा, मानवधिकारों की बात यदि वह उठायेगा, एन्वायरनमेंट के प्रश्न को यदि वह उठायेगा क्योंकि अमेरिका की इस समझौते को लेकर

5.19 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जो दृष्टि है, हमारी सरकार क्यों अपनी आंखें बंद करके, उस अंधेपन को स्वीकार करके, क्यों उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। या तो हो सकता है कि हमारी सरकार अमेरिका के सामने इतनी डरी हुई है कि उसको बोलने की हिम्मत नहीं कर रही है और इसीलिये कल वाणिज्य मंत्री जी नाम लेने से हिचकिचाए या अमेरिका के इशारे पर ही बहुत सी चीजें आज हो रही हैं जिसमें गैट उसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी 25 जनवरी 1994 को, गैट की स्वीकृति होने के ठीक एक महीने दस दिन बाद अमरीका के राष्ट्रपति ने अपने राष्ट्र को, स्टेट्स ऑफ यूनियन को एड्रैस करते हुए जो, कहा, मैं वह आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ये प्रेसीडेंट क्लिंटन का वाक्य है :

[अनुवाद]

"हमारी आर्थिक योजना से भी हमें बल मिलता है–अमेरीका को बल मिलता है–दुनिया में हमारी विश्वसनीयता कायम होती है एकबार जब हमने घाटे को कम कर लिया, तब हम पुनः प्रतियोगिता में आ गए तथा पूरी दुनियां में व्यापार बाधाएं समाप्त होनी शुरु हो गईं"

[हिन्दी]

और अब उपाध्यक्ष जी, वाणिज्य मंत्री और विशेषकर वित्त मंत्री जी भी सुने, यहां प्रधान मंत्री जी नहीं है, वैसे मैं उनको इस सबका कर्त्ताधर्ता समझता हूँ, वे सुनते तो और भी अच्छा रहता –

[अनुवाद]

हमारे प्रयास से एशिया में नाफ्था, गैट के संबंध में एक वर्ष में ----------

[हिन्दी]

और एशिया का मतलब यहां भारत होगा, यह मानें तो कोई नुकसान नहीं होगा समझने के लिए

[अनुवाद]

"एक साल में हमने नाफ्था, गैट, अपने प्रयासों से एशिया तथा राष्ट्रीय निर्यात नीति के साथ अमरीकी उत्पादों के लिए इतना अधिक बाजार खोल दिया है जैसा कि गत दो पीढ़ियों में कभी भी नहीं हो पाया था।"

[हिन्दी]

भारी विजय हो गई आप लोगों की, जिनीवा में इतनी बड़ी विजय लेकर आए हैं और यहां कोई फटाके नहीं चलाता, यही आपकी नाराजगी है। वह कह रहा है कि हमने एक साल में वह काम कर के दिखा दिया जो पिछली दो पीढ़ियों में नहीं हुआ नैफटा और गैट और एशिया के साथ हमने जो व्यवहार किया, तो उसको लेकर हमारे लिए आज सारी दुनियां खुल गई। वह वही नही रूकता है, आगे बोलता है–

[अनुवाद]

"इसका मतलब नाफथा, गैट तथा उनके प्रयासों द्वारा एशिया के बाजारों को खोलना है इसका मतलब अमरीकियों का जीवन-स्तर उठाना तथा उनके लिए अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है "कम घाटा, कम मुद्रास्फीति कम ब्याजदर, कम व्यापार बाधाएं तथा अधिक निवेश-इसी में हमारी आर्थिक पुर्नसंरचना निहित है।"

[हिन्दी]

हम लोग पता नहीं किस दुनियां में रह रहे हैं और अमरीका के राष्ट्रपति ने जो बात कही उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह, मार्च महीने में, वह यह है–

[अनुवाद]

एक अमेरीकी व्यापार अधिकारी ज्यौफरी कार्टन ने वाशिंगटन ने कहा था "अमरीकी व्यापार तथा निवेश तेजी से बढ़ रहा है। गत वर्षों में भारत को होने वाले निर्यात में 44 प्रतिशत तथा निवेश में 135 प्रतिशत वृद्धि हुई जो कि 1.1 "बिलियन अमरीकी डालर के बराबर है।"

(व्यवधान)

वित्तमंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : हम अमरीका को निर्धारित लक्ष्य से अधिक निर्यात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : जी हां और आगे दिखए, यहीं मत रुकिए,

[अनुवाद]

मि॰ कार्टन ने भविष्य के बारे में कहा "शायद वर्तमान तथा शताब्दी के अंत तक अवसंरचना संबंधी वस्तुओं पर 100 बिलियन डालर खर्च होगा तब तक एक बिलियन भारतीय अमरीकी वस्तुओं को खरीदेंगे।"

[हिन्दी]

अमरीका इस पर क्या सोच रहा रहा है अगर यह जानना चाहे वित्त मंत्री जी,

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : आप जो उल्लेख कर रहे हैं उसका यथार्थ से कोई संबंध नही है इन वर्षों में हमारा आयात व्यय आपकी पार्टी के शासनकाल की तुलना में कम होगा हम अमरीका को निर्धारित लक्ष्य से बहुत ज्यादा निर्यात करा रहे हैं। और आपने जो कुछ अभी-अभी कहा है वह यथार्थ से परे है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज मुजफ्फरपुर) : खैर अब अवर गवर्नमेंट और यौर गवर्नमेंट में जाने का सवाल नहीं है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट में भी मनमोहन सिंह जी आप ही हमें सलाह देने का काम कर रहे थे। इसलिए आपको तो कम से कम यह कहना चाहिए।

इसलिए कम से कम खादी पहनने के दूसरे दिन से आपको गवर्नमेंट, यौर गवर्नमेंट नहीं बोलना चाहिए, यह आपको शोभा नहीं देता। आपने 25 साल सारी गवर्नमैंड को सलाह देने काम किया और एक दिन खड़े होकर पूरी राय बदल दी। कोई तो सीमा होनी चाहिए आप गवर्नर रहे, प्लानिंग कमीशन में डिप्टी चेयरमैन थे फाइनैंस सैक्रेटरी होकर

[हिन्दी]

नीतियां बनाई और अब कहते हैं यौर गवर्नमैंट, माई गवर्नमैंट।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : आप यथार्थ नही कह रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वित्त मंत्री महोदय, आप राजनीति कर रहे हैं।

श्री मनमोहन सिंह : आपका कोई भी शब्द यथार्थ पर आधारित नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम आज गैट को यदि बहुत बड़ी विजय मानते हैं तो दुनिया के और लोग विशेषकर अमरीका जो आज फिर आपके माथे पर सवार है, मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं, आपकी विजय नहीं मान रहा है, उनकी विजय मान रहा है। इसलिए हमको परेशानी होगी।

वॉल स्ट्रीट जरनल में 15 दिसम्बर को आपने स्वीकृति दी और 16 दिसम्बर को अपने अग्रलेख में क्या किया

[अनुवाद]

"गैट, यदि इसका अनुमोदन हो जाए, तो सरकारों द्वारा अर्थ के संचालन की बात खतरे में पड़ जाएगी। गैट का मुख्य उद्देश्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में कम्पनियों का प्रवेश कराना तथा सरकार संबंधित मामलों में उसका दखल करना है।"

[हिन्दी]

वॉल स्ट्रीट जरनल वहीं नहीं रूक जाता आगे जाता है।

[अनुवाद]

गैट की वजह से व्यापार ब्लाक नहीं उभर पाऐंगे।

[हिन्दी]

नाप्था है, अपैक है और भी कई चीजें बनाने के प्रयास में अमरीका है।

[अनुवाद]

"देश की सीमाऐं बाधा नहीं बनेंगी।"

[हिन्दी]

अमरीका जब चाहं तब बनाएगा, आपको नहीं बनाने देगा। आप अपने कस्टम को गिरा देंगे, एक्साइज़ को बढ़ाएंगे, विदेश से चीज़े मंगाना आसान करके हिन्दुस्तान की चीजें मंहगी करेंगे।

[अनुवाद]

"निगमों में इतसे सारे वकीलों तथा सलाहकारों की आवश्यकता नहीं होंगी। यदि सरकार किसी उद्योग की स्थापना करती है, तो इसकी रक्षा भी उसे करनी है गैट प्रावधानों के तहत उद्योग स्थापित करना मुश्किल होगा।"

[हिन्दी]

यह मकसद है

अन्त में वह कहता है :

[अनुवाद]

"गैट पश्चिम के बाजारों में विकासशील देशों, विशेषकर पूर्वी यूरोप के देशों को पहुंचने में मदद करेगा। दुनिया के सभी देशों की सरकारों को विश्व प्रतिस्पद्धा के आधार पर कल्याण नीतियों के प्रभावों को आंकना पड़ेगा।"

इसमें खुशी होनी चाहिए लेकिन नहीं होगी क्योंकि

(व्यवधान)

[हिन्दी]

हम लोगों की कोई बात नहीं है, यदि हम लोगों की बात हो तो इस देश में हम कैसे घुस सकते हैं, कितनी पूंजी लेकर जा सते हैं, इसी पर सोच रही है क्योंकि हिन्दुस्तान में अभी हम बड़ी मात्रा में पूंजी लेकर जा सकते हैं, यहां पर हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है, आम तौर पर आज दुनिया को यह सदेश देने का काम आपने किया है। इसलिए हम इस बहस में सबसे पहले वाणिज्य मंत्री के कल के भाषण का खुलासा चाहेंगे और एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी ने कल कहा था और मैं उसे उद्धृत करता हूँ :–"भारत में बचत की वर्तमान दर 21.6 प्रतिशत थी जिसे ज्यादा से ज्यादा 22-23 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता था" यदि देश 7 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करना चाहता है तो उसे सकल घरेलु उत्पाद का 27 प्रतिशत विदेशी निवेश करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

उसमें 22-23 प्रतिशत अपना निकाल सकते हैं और हमें जरूरत है आपके कहने के अनुसार 27 प्रतिशत की यानी 4 प्रतिशत और आपको चाहिये। 4 प्रतिशत के लिये इस देश को इस तरह से मिटाने का काम मत करिये। अगर उपाय दिखायी नहीं देता है तो वित्तमंत्री जी से पूछिये। चूंकि वित्त मंत्री जी राय बदलने में बहुत तेज हैं, ऐसा हम मानते हैं। वह सुबह से शाम तक अपनी राय को जरूर बदलते हैं। 1990 में आपने जो रिपोर्ट लिखी थी साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल के नाते, उसमें उन्होंने पूरा रास्ता दिखाया था। मैं इसका जिक्र इसलिये कर रहा हूं कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने ग्रुप-15 को यह सलाह देने और उपदेश देने का काम किया कि हम लोगों को मिल कर कोई आवाज उठानी चाहिये, हम को मिल कर सामना करना चाहिये, चूंकि एक राक्षस हम पर सवार होने जा रहा है, उसका सामना करने के लिये आपस में एक होना चाहिये, लेकिन आप आपस में एक नहीं हो। आज अगर यह स्थिति ग्रुप-15, ग्रुप-77 और तीसरी दुनिया के देशों के सामने आई है तो इसकी जिम्मेदारी इस सरकार के ऊपर है, इस दल के ऊपर है।

आज सुबह यहां वी. पी. सिंह जी और चन्द्रशेखर जी का नाम लिया गया। वी. पी. सिंह जी के भाषण को क्वोट किया गया। अच्छा हुआ कि गैट से जुड़े दस्तावेजों की चर्चा इस सदन में लोगों ने की है। मेरी प्रार्थना है कि 1983 से लेकर 1989 तक के पूरे दस्तावेजों को सदन और देश के सामने रखा जाये। चूंकि 1983 में यह सिलसिला शुरु हुआ था और उरुग्वे राऊंड 1986 में शुरु हुआ जबकि इसके पहले शुरु होना था। अमरीका तैयार नहीं था, इसलिये इसमें देर हुई अमरीका को गैट की तब तक की सीमाओं को बढ़ाना था, अमरीका को गैट के अन्तर्गत इंटीलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लाना था अमरीका को गैट के अंतर्गत सर्विसेज सैक्टर को लाना था और जब सारे राष्ट्रों के साथ अमरीका ने बातचीत करना शुरु किया, तब जाकर उसने यह सिलसिला शुरु किया। इसलिये हम भारत सरकार से जानना चाहेंगे कि 1983-84 से 1986 के सितम्बर महीने में गैट के उरुग्वे राउंड शुरु होने तक जो भी औपचारिक या अनौपचारिक बातें अमरीका ने भारत के साथ की, उनकी जानकारी सरकार की तरफ से, वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से राष्ट्र और सदन के सामने रखने का काम होना चाहिये। वी. पी. सिंह जी के भाषण को इधर-उधर छांटने का काम मत करिये। चन्द्रशेखर जी ने किस को क्या सलाह दी या नहीं दी, इसके बारे में कोई बात छेड़ने की बात न करें। आप दस्तावेजों को देश और दुनिया के सामने रखिये। फिर यह बताइये कि 1986 में वी. पी. सिंह के नेतृत्व में सरकारी प्रतिनिधिमंडल जब वहां गया तो वी. पी. सिंह, वी. पी. सिंह करके वहां नहीं गये, राजीव गांधी जी की सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर सरकार का ब्रीफ लेकर पूंटाडैलेस तक पहुंचे थे। कौन सी ब्रीफ दी गई, वह भी सदन के सामने आ जाये ताकि राष्ट्र और हम को एक बार मालूम हो जाये कि कहां से और कब फिसलन शुरु हो गई ? क्या यह सही नहीं है कि 1986 में पूंटाडैलेस की उस मिनिस्ट्रियल लैवल की मीटिंग में जो 7-8 दिन तक चली थी, उसमें भारत सरकार ने बड़ी मजबूती से यह नहीं कहा था कि नहीं ये दोनों चीजें आ सकती हैं

[अनुवाद]

गैट रहेगा। गैट प्रावधानों में परिवर्तन नहीं हो सकता।

क्या वहां से आपने शुरु नहीं किया था ? क्या वहां से अंत में आपका समझौता नहीं हुआ।

कि गैट के अन्तर्गत जो गैट का अपना चार्टर है, उससे बाहर बहस नहीं होगी। लेकिन अमेरिका ने जो सवाल छेड़ा है, इसपर अलग से बहस होगी। उसके बाद दो साल तक अफसरों के स्तर पर बैठकें चली। जिनेवा में चली और जहां-जहां होनी थीं, वहां चली। उस सारी बातचीत में भारत सरकार की क्या भूमिका रही, उसकी यहां पर जानकारी रखिये, उसकी मिनट्स रखिये कि भारत सरकार की ओर से क्या ब्रीफ थी, अपने अफसरों को, 1986 के अन्त से दिसम्बर, 1988 तक, वह यहां पर रखिये।

वी. पी. सिंह 1988 में तो सरकार में नहीं थे, 1988 में राजीव गांधी अभी प्रधान मंत्री थे। 1988 में मांट्रियल, कनाडा में बैठक हो गई, मिड टर्म मिनिस्ट्रियल बैठक हो गई, पुंटाडेलएस्टे के बाद पहली बैठक थी, उस बैठक में भारत सरकार की क्या भूमिका रही, यह बताइये ? क्या यह सही नही है कि 1988 के दिसम्बर महीने तक भारत सरकार की तरफ से यह बात कही गई कि इण्टलैक्चुअल प्रापर्टी राइड नहीं आ सकता है, न ही गैट की बहस में आ सकता है, सर्विसेज का मामला और जो गैट की सीमा है, वही पर सारी बातें रहेंगी। हम वाणिज्य मंत्री से आज यह भी मांगेगे कि 1989 के अप्रैल महीने में जब जिनेवा में फिर अफसरों के स्तर पर बैठक हो गई तो उस बैठक में आपके प्रतिनिधि कौन थे ? कौन उस आफिशियल डैलीगेशन के नेता थे, कौन सी ब्रीफ वह लेकर यहां से जिनेवा चले गये थे ? क्या उनकी ब्रीफ थी ? अमेरिका के सामने घुटने टेकने की ब्रीफ थी ? 1983, 1986, 1988 मांट्रियल तक की जो भूमिका थी, उसको बदलने की ब्रीफ थी या वहां जाने के बाद यहां से जो भी संदेश, जो भी सलाह ?, जो भी ब्रीफिंग लेकर यहां से जाना था, यहां से जिनेवा जाने के बाद संसद् को विश्वास में न लेते हुए, यहां तक कि कैबिनेट का विश्वास में न लेते हुए, एकाएक यहां से संदेश जाता है कि अमेरिका ने जो शर्तें लगाई हैं, उनको कबूल करो, वहां पर शरण में आने का काम हुआ था। जो आप G-15 के सामने रोना रोया जा रहा है, इनमें से 1-1 को पूछिये कि इन लोगों की क्या भूमिका रही ? क्या इन लोगों ने शिकायत नहीं की, हमने अपना नेतृत्व भारत के हाथ में दिया था, यह सोचकर दिया था कि आप हम लोग, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और आपने हम लोगों से बात भी न करते हुए, आप हमसे एक शब्द पूछते भी नहीं, इतना भी नहीं कहते कि हम आपको छोड़कर जा रहे हैं, कुछ भी न करते हुए आप हमें छोड़कर चले गये।

फिर यहां खड़े होकर वी. पी. सिंह का नाम लेना, चन्द्रशेखर जी का नाम लेना और आपकी सरकार थी, किसकी सरकार थी, यह बहस करते हुए जो हमारे वित्त मंत्री को आज चार साल हो गये लेकिन अभी भी वही बात उनकी चल रही है कि जब मौका मिले, बजट आये या कोई भाषण हो कि आपकी सरकार थी।

मैं आज इस सदन के सामने यह मांग कर रहा हूं...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल चटर्जी : लेकिन वह यह स्वीकार करते है कि या तो वह भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर थे या एक मंत्री।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: वह तो कोन्सटेंट फैक्टर केवल यहां तक नहीं रहे, वह साउथ कमीशन में भी कोन्सटेंट फैक्टर रहे। वहां भी वही कोन्सटेंट फैक्टर थे, सारे साउथ के राष्ट्रों को यह कहने के लिए कि हिम्मत मत हारो, एक हो जाओ। त्याग के लिए तैयार हो जाओ, यह उनके शब्द हैं, कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ, त्याग के लिए तैयार हो जाओ, भारी प्रवास करने होंगे, भारी संघर्ष करना होगा, एक-एक शब्द उनका है, मेरा नहीं है। अंग्रेजी में वह शब्द इससे सख्त नजर आता है, हिन्दी में इतनी सख्ती नहीं आती है। तो वाणिज्य मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि जो 4 प्रतिशत के लिए आप रो रहे हैं, कल आपने यह बात कही कि 4 प्रतिशत हम कहां से लायेंगे तो 4 प्रतिशत के लिए इन सारी चीजों को खत्म करने की बात आप मत करिये।

मैं फिर से सरकार से यह मांग करता हूं कि सारे दस्तावेज सदन में रखने का काम करें। क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि एकाएक भारत सरकार शरण में क्यों चली गई। क्या अमरीका ने ब्लैकमेल किया, अमरीका ने कोई दबाव डाला, अमरीका ने कोई एक्स्ट्रेनियस बात वहां उठा दी या दिल्ली में उठा दी ?

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : मालूम है तो बता दीजिए, भूमिका क्यों बांध रहे है।

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : कोई बोफोर्स से संबंध तो नही था ? ....(व्यवधान)....

श्री जार्ज फर्नान्डीज : बोफोर्स से संबंध है या सबमेरिन से संबंध है, यह तो मंत्री महोदय बता सकते हैं, क्योंकि इसका जवाब मुझ नही मिल रहा है ....(व्यवधान)....

उपाध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान में सभी लोग परेशान हैं, चाहे वे गैट के पक्ष में है या विपक्ष में, सब पूछते हैं कि क्या हुआ। 1983 से लेकर 1986 तक, फिर 1986 से लेकर 1988 तक और 1988 दिसंबर से लेकर 1989 अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक आप दूसरी बात कर रहे थे और फिर एकाएक शरण में आ जाते हैं। तो कम से कम एक बात बता दीजिए कि अमरीका ने आपको क्या कहा, कौनसी बातों को ले कर उसने दबाव डालने का काम किया, जिसके चलते न संसद, न केबीनेट, न साउथ के सदस्य, किसी से बात न करते हुए आपने इस चीज को कुबूल कर दिया।

श्री नीतिश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक नया एंगल है, इसका स्पष्टीकरण मिलना चाहिए। . ...(व्यवधान)....

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हां यह नई बात है और मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय उत्तर देते समय इसके बारे में अवश्य बताएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बार-बार किया जाता है कि गैट में तो प्रथम प्रधान मंत्री से लेकर वर्तमान प्रधान मंत्री तक रहे है, इस बारे में मैं बताना चाहते हैं कि हमने कभी गैट का विरोध नहीं किया, लेकिन 15 तारीख को जब आप दस्तखत कर देंगे, उस दिन से गैट तो मर जाएगा, फिर से वह वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन, डब्ल्यू टी ओ हो जाएगा। हमारा पुराना समझौता गेट से जुड़ा हुआ है। उससे हमारा विरोध नहीं है, हमारा विरोध डब्ल्यू टी ओ से है। डब्ल्यू टी ओ बनने से जो खतरे है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। आप जानते हैं कि सदन के भीतर और बाहर एक अरसे से इस बात पर बहस चल रही है कि इस समझौते से हमारी संप्रभुता को खतरा

ही नहीं बल्कि उस पर सीधा हमला है। डब्ल्यू टी ओ एक ऐसे संगठन के तौर पर हम लोगों के सामने आ रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर है, जो यूनाइटेड नेशंस को अपने बाजू में रखता है और इंटर नेशनल मानेटरिंग फंड तथा वर्ल्ड बैंक, इन दो संस्थाओं को अपने साथ लेकर चल रहा है। ....(व्यवधान)....

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : उन्होंने नाटो का उल्लेख नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नाटो भी बाद में इसमें आ जाएगा, जिस दिशा में ये लोग जा रहे हैं उसको देखते हुए निश्चित रूप से आ जाएगा।

[अनुवाद]

"विश्व अर्थव्यवस्था में अधिक सामंजस्य बनाने के उद्देश्य से एम. टी. ओ. अंतर्राष्ट्रीय बैंक तथा इससे जुड़ी एजेन्सियों के साथ पुनर्निर्माण तथा विकास हेतु सहायता प्रदान करेगा।"

यह विश्व व्यापार संगठन के समझौते के धारा-3 पैरा-5 में उल्लिखित है।

एम. टी. ओ.. का कार्य धारा-3 में उल्लिखित हैं।

एम. टी. ओ. के कार्यान्वयनप्रशासन संचालन तथा इस बहुपक्षीय व्यापार समझौतों से संबंधित इस समझौते के उद्देश्यों को बढ़ाने सहायता प्रदान करेगा।

[हिन्दी]

जिनको लेकर आज यहां सुबह से विवाद चल रहा है ?

[अनुवाद]

एम टी. ओ. सदस्यों इत्यादि के बीच वार्ता के लिए मंच का काम भी करेगा। एम. टी. ओ. विवादों के निपटारे को शासित करने वालों नियमों या प्रक्रियाओं की व्यवस्था करेगा। इस समझौते का अनुलग्नक-2

[हिन्दी]

आज सुबह एक प्रश्न आया कि क्रास रिटेलिएशन होगा या नहीं होगा तो यहां पर यह बात कही गई कि क्रास रिटेलिएशन नहीं होगा।

[अनुवाद]

मैं धारा 22.3 से उद्धृत करता हूँ :-

[अनुवाद]

22.3 रियायतें अथवा अन्य दायित्वों को स्थगित करने पर विचार करते समय शिकायत करने वाला पक्ष निम्नलिखित सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं को अपनाएगा : (a) सामान्य सिद्धान्त यह है कि शिकायत करने वाली पक्ष पहले उन्ही क्षेत्रों से संबंधित रियायतों तथा अन्य दायित्वों को स्थागित की मांग करेगा जिससे अंतिम अथवा अपीलीय निकाय ने किसी तरह का उलयन या अन्य नियप्रभाविकरण अथवा विकृति पाई हो।

[हिन्दी]

जहां आपने मुझे तकलीफ दी है तो मैं वहां आपको तकलीफ दूंगा।

[अनुवाद]

"(b) यदि वह पक्ष यह समझता है कि उन क्षेत्रों में रियायतों अथवा अन्य दायित्वों को स्थागित किया जाना व्यवहारिक तथा प्रभावी नही होगा तो वह उसी समझौते के अन्तर्गत दूसरे क्षेत्रों की रियायतों अथवा अन्य दायित्वों की स्थागित करने की मांग कर सकेगा।"

[हिन्दी]

इस सदन में कहा गया है कि क्रास रिटेलिएशन नही होगा। हम लोगों को जहां मारना संभव है, वहां अमेरिका मारेगा। वाणिज्य मंत्री जी को याद होगा कि अभी-अभी राबिन रफेल आई थी और उन्होंने प्रैस कान्फ्रैंस में कहा कि काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग नही है। जिस दिन उन्होंने वाशिंगटन में स्टेट डिपार्टमेंट में कहा था, उसी दिन

[अनुवाद]

"(c) यदि वह पक्ष यह समझता है कि दूसरे क्षेत्रों में रियायतों अथवा अन्य दायित्वों का स्थागित किया जाना व्यवहारिक तथा प्रभावी नही होगा तथा स्थिति पर्याप्त गंभीर है तो वह समझौते के दूसरे प्रावधान के अन्तर्गत रियायतों अथवा अन्य दायित्वो को स्थागित कर सकता है"

कुल प्रथम प्रतिदेय द्वितीय प्रतिदेय उसी क्रेडिट और अन्तत: सकल प्रतिकार में।

[हिन्दी]

क्लिंटन के मंत्रिमंडल का है या सेक्रेटरी है, यह पता नहीं है तो लारेंस समर ने उसी दिन प्रैस कान्फ्रैंस बुलाकर कहा था-अगर भारत हमारे लिए तत्काल फाइनेशियल सर्विस के सैक्टर को पूर्णत: खोलने का काम नहीं करेगा तो हम सुपर-301 को इस्तेमाल भारत पर करेंगे। एक ही दिन दो प्रैस कान्फ्रैंस हुई जैसे-एक स्टेट डिपार्टमेंट में और एक ट्रेड डिपाटमेंट में। हम यहां पर कह रहे हैं कि रिटेलिएशन नही होगा तो हम लोग कहां रिटेलिएट कर सकते हैं। क्रास रिटेलिएशन किसी पर होना है तो हम पर ही होना। यूरोप और अमेरिका तथा जापान और अमेरिका के बीच में जब रिटेलिएशन की बात आ जाती है तो एक ही सैक्टर में हो सकता है। वे उन्ही चीजों को देने वाले औद्योगिक विकसित राष्ट्र है। हम लोगों को जो मारना है तो ऐसी जगहों पर मारेंगे जहां पर अमेरिका की बराबरी का किसी भी क्षेत्र में हम लोग सामना नही कर पायेंगे। हम लोग जितना कहें, हम लोगों का औद्योगिक क्षेत्र में भारी कंपीटिटिव होना और कितना कंपीटिटिव हम हो सकते हैं और कितनी संभावना है हम लोगों के कंपीटिटिव होने की ? एक उदाहरण देना चाहता हूं– अमेरिका की इंडस्ट्री कहां तक है और कितनी मजबूत है ? केमिकल सैक्टर में हम निर्यात करने में काफी मेहनत कर रहे हैं।

[अनुवाद]

मि. लारेन्स सोमा रस विश्व बैंक के वित्तीय आर्थिक सलाहकार हैं तथा अभी वह अमरीकी सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के सदस्य हैं।

[हिन्दी]

"अमरीकी उद्योग विभाग ने 1993 में रसायन उद्योग के क्षेत्र में शोध तथा विकास पर 38 बिलियन खर्च किया। 38 बिलियन अमरीकी डालर्स का मतलब है एक लाख बीस हजार करोड़ रुपया। 1993 के साल खर्च किया। में एक लाख बीस हजार करोड़ रुपया अकेले केमिकल इंडस्ट्री की रिसर्च एंड डवलपमेंट पर खर्च होता है।

[अनुवाद]

"यह सर्वाधिक निवेश उन्मुख अमरीकी उद्योग है।"

[हिन्दी]

हम लोग चाहे जो कहें। हम अपने देश की शक्ति भी जानते हैं और कमजोरी भी जानते हैं जिस देश की एक केमिकल सेक्टर की कम्पनी एक लाख बीस हजार करोड़ रुपया रिसर्च और डवलपमेंट पर खर्च कर सकती है, तो हम अमरीका का सामना किस प्रकार करेंगे, दुनिया में कैसे पहुंच पायेंगे, मेरी समझ में नहीं आता, आप जो चाहे वह कहें।

पिछले दो-चार दिनों में अखबारों में पता नहीं वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री या किसी और की सम्मति से एक बात आ रही है, एक ऐलान हो रहा है कि विदेश से सेकंड हैंड मशीनरी को लाना चाहते हैं। इसका भी जवाब मंत्रीजी दें। क्या हम वास्तव में प्लांट एंड मशीनरी हिन्दुस्तान में लाने की बात कर रहे हैं। मुझे परेशानी यह है कि अमरीका की सोच यह है कि उसे हिन्दुस्तान में आना है और अगले छः सालों में यानि सन् 2000 तक भारत में उसे घुसना है। यहां पर एक बिलियन की मार्केट है। करोड़ों नहीं लाखों करोड़ रुपया वह लाना चाहते हैं। उनकी एक कम्पनी जनरल इलेक्ट्रिकल का एक आदमी कहता है:

[अनुवाद]

"जेनरल इलेक्ट्रिक्स इण्डियन आपरेशनस के उत्साही प्रमुख स्टाक बेमन कहते हैं: मुझे लगता है कि अगले वर्ष के मध्य दशक तक हम सभी जी. ई. व्यापार कर पायेंगे मैं 2000 ई. तक 2 बिलियन अमरीकी डालर की वार्षिक बिक्री का अनुमान करता हूँ।"

[हिन्दी]

आज से छः साल में अकेले जनरल इलेक्ट्रिकल कम्पनी जो अभी-अभी हिन्दुस्तान में आई है, 166 हजार करोड़ रुपये उठाने का काम करेगी। उनको तो यहां बड़ी मार्केट दिखाई दे रही है। नई मशीनरी हिन्दुस्तान में लाने के लिए पहले हिन्दुस्तान में वे अपना जंक भेजेंगे। आप उसके लिए कानून बदलेंगे और फिर जो आपको चाहिए वह करेंगे। यह सब किसलिए कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कोई आपमें से खड़ा होकर बीजू पटनायक का नाम लेते हो कि उसकी तरफ से प्रस्ताव आया है, तो उसको अमल में लाना या नहीं लाना वह तो आपके ही हाथ में है। हिन्दुस्तान में नियम बन रहा है कि अगर सेकंड हैंड मशीनरी लानी है तो सात साल से अधिक पुरानी न हो। उसमें भी यह सुझाव है कि कम से कम पांच साल उसकी जिन्दगी हो। हम यह जानना चाहेंगे

कि क्या आज हम लोगों की तरफ से एक-एक कदम जो उठ रहा है, यह विदेशी कम्पनीज को मदद करने के लिए उनको बनाने के लिए नहीं उठ रहा है ? आज समस्या गैट की नहीं है, समस्या वर्ल्ड ट्रेडिंग आर्गेनाइजेशन की है। उसको हिन्दुस्तान स्वीकार नहीं कर सकता है।

खेती के बारे में यहां काफी चर्चा हुई है। पिछले एक अर्से से कांग्रेस पार्टी की ओर से बाहर प्रचार हो रहा है और सरकार की तरफ से जो भूमिका आनी है उससे हम बहुत परेशान हैं।

चूंकि एक तरफ हम लोगों को कहा जा रहा है कि निर्यात हमारे लिए खुल जाएगा, दुनिया का बाजार हमारे लिए खुल जाएगा। किस चीज का निर्यात आप करेंगे ? खेती में किसका निर्यात करेंगे ? कपास का ? ये आपका इकनॉमिक रेव्यू है 1993-94 का जो आपने अभी सदन में रखा है। 1951 से 1993 तक के समय में हमने मात्र 8 सालों में ही विदेश से अनाज नहीं खरीदा। पिछले साल 1993 में हमने 2.4 मिलियन टन अनाज खरीदा।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : आपकी कृपा से।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी, हमारी कृपा से ही तो आप वहां बैठे हैं।

1951 से लेकर आज तक हम लोगों के यहां अनाज भले गोदामों में खूब भरा हुआ है, खाद्य मंत्री जरूर हमें बताएंगे लेकिन ये इंकार कर सकते हैं इस बात से कि रोज 11 हजार लोग मर रहे हैं ?

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : इनके मंत्री ने हाउस में मेरे सवाल के जवाब में इंकार किया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : फिर गलत किया है। आप इन पर प्रिविलेज लाइए। हम आप को अभी लाइब्रेरी से सुबूत कर देंगे।

हिन्दुस्तान के लोगों के पास कितना अनाज जाता है क्यों इनको नहीं मालूम ? आमदनी कितनी है हमारे गरीब लोगों की क्या इनको नही मालूम ? 10 रुपए, 12 में काम करने वाले लाखों मजदूर हिन्दुस्तान में हैं क्या इनको मालूम नहीं है ? और 10-12 रुपए रोज़ पाने वाले मजदूर कितना अनाज खाते हैं और उनके परिवार के सदस्य के पेट में कितना अनाज जाएगा क्या हम लोग हिसाब नही लगा सकते हैं ? आपके पेट मे जाने वाले अनाज की शक्ति प्रति वर्ष कम हो रही है यह आपकी ही रिपोर्ट है। कितना जा रहा है ? 1951 से लेकर 1960 तक के दशक में 60-75 ग्राम पल्सॅज़ प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेट में जा रही थीं और 1993 में यह घट कर सब से कम 36.6 ग्राम हो गई। लगभग आधा हो गया। कौन सी चीज का निर्यात आप कर रहे हैं ? इसलिए देश को गुमराह करने के लिए आप हर बार इस चीज़ को चला रहे हैं कि भारी निर्यात होगा जबकि हर साल हम लोग आयात कर रहे हैं। इसलिए अनाज के बारे में किसान की समस्याओं को लेकर जब ये बातें कहेंगे तो मैं सबसे पहले यह कहूंगा कि आपका जो भारी तर्क है कि दुनिया का बाज़ार हम लोगों के लिए खुल जाएगा तो दुनिया का बाजार हम लोगों के लिए खुलने वाला है।

फिर मैं अमेरिकियों का ही हवाला दे कर वाणिज्य मंत्री को कहना चाहूंगा।

[अनुवाद]

वालस्ट्रीट पत्रिका कहती है :

"इस प्रकार उरुग्वे तथा एशिया में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों कृषि, पर प्रभाव पड़ेगा, उत्तरी अमरीका तथा यूरोप में कृषि पर राजसहायता में कमी आएगी जिससे अधिशेष समाप्त होगा जिससे वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे। एशिया के खाद्यानों को निर्यात करने वाले देश यथा इण्डोनेशिया मलेशिया थाईलैण्ड तथा फिलीपिन्स को फायदा होगा।'

6.00 म० प०

[हिन्दी]

यह वॉल स्ट्रीट जनरल चार एशियाई देशों का नाम ले रहा है कि जिनका अनाज यूरोप और अमेरिका को जा सकता है।

[अनुवाद]

खाद्यानों के मामले में हम नुकसान में रहेंगे।

[हिन्दी]

चूंकि हमें तो वह अधिक दाम देकर खरीदना होगा जो हर साल आप खरीदते आए हैं। 1951 से लेकर आज तक 45 सालों में मात्र 8 साल आपने विदेश से अनाज नहीं मंगाया। 37 साल आप बाहर से अनाज लाए हैं। आपको अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए लोगों को इस तरह से गुमराह करने का काम मत करें। कपास की बात आपके दिमाग में है जिसके लिए आप महाराष्ट्र के एक किसान नेता को लेकर खूब घूम रहे हैं कि कपास का निर्यात होगा। हां, कपास का निर्यात हो सकता है लेकिन उसका दूसरा अर्थ भी कम लोग समझ रहे हैं। आज हिन्दुस्तान की सूती कपड़ा मिलें बंद होती जा रही हैं और एक बार कपास का निर्यात बड़ी मात्रा में आप करना शुरू करेंगे तो विदेशी लोग कपास को आप से खरीदेंगे और उसका सूती कपड़ा बनाएंगे और दुनिया के बाज़ार में जा कर अपना ही कपड़ा खरीदने की हमारी नौबत आ जाएगी। आप कितना ही सिर हिलाएं मगर अपनी राय को फिर अगले साल वित्त मंत्री जी बदल देंगे। फिर भी आप अपनी गलती नहीं मानेंगे और हमसे कहेंगे कि आपको और अधिक ज़ोर दे कर इस बात को कहना चाहिए था।

खेती के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है जिनके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बीज के मामले में स्वी जॅनरिस पर यहां खूब चर्चा हो गई। उपोह पर चर्चा हो गई और 1978 तथा 1991 पर भी चर्चा हो गई लेकिन जब यह समूचा बीज का मामला उपोह कनवेन्शन से लेकर स्वी जॅनरिस से इफेक्टिव स्वी जॅनरिस तक रेव्यू के लिए आएगा तो वाणिज्य मंत्री जी कल से ले कर आप तो चिल्ला रहे हैं तो आपका चिल्लाना यहां कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी परेशानियों को सुनने वाला कोई नहीं होगा। चूंकि यह मान कर मत चलें कि अमेरिका हिन्दुस्तान को मज़बूत करने के लिए यह सारा काम कर रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति की बात स्पष्ट है। उसके एक एक अधिकारी की बात स्पष्ट है। उनकी भारत के ऊपर किस प्रकार की नज़र है यह बहुत स्पष्ट है। यू एस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का एक "इंडस्ट्रियल आउटलुक फॉर 1994" किताब है। आपके मंत्रालय में नहीं आई है तो उसे मंगा कर पढ़ लें। उस रिपोर्ट में यह लिखा है कि –

[अनुवाद]

"अमरीकीयों को आगामी वर्षों में कम्प्यूटरों, उपकरणों, गृह साजसज्जा का सामान, चिकित्सा उपकरण, पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी और अन्तरिक्ष उद्योग औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी होने की आशा है। मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना इण्डोनेशिया और भारत के बड़े बाजारों के सहयोग से विकास क्षेत्र विश्व व्यापार के उदारीकरण के लाभों का फायदा उठायेंगे।"

[हिन्दी]

वित्तमंत्री महोदय, यह अमरीका का औद्योगिक दृष्टिकोण 1994 है।

मेडिकल इक्विपमेंट की बात जब मैंने यहां पढ़ी तो आपके बजट की याद मुझे आई। चूंकि आपने ही मेडिकल इक्विपमेंट जो भी है उन पर 28% या जितनी भी ऐक्साइज़ ड्यूटी लगा दी है वह अभी तक नहीं थी। आप वित्त मंत्री जी मुझे क्षमा करेंगे लेकिन जब हमने यह दस्तावेज़ पढ़ा और जब आपके बजट की याद हमें आई तो मन में निश्चित यह बात आई की हमारे देश में बने हुए मेडिकल इक्विमेंट महंगे हो गए। अमेरिका कहता है कि हम इस क्षेत्र में लीटर हैं। हमारी दुनिया में मार्केट है जिसमे हिन्दुस्तान का नाम उन्होंने लिया है।

[अनुवाद]

वित्तमंत्री : मैं बजट पर उत्तर देने के समय इस सबका उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : यह ठीक है रिप्लाई तो आना ही है। लेकिन हम अपनी परेशानी बता रहे है। चूंकि हमें अमेरिकियों पर तो रती भर विश्वास नहीं हो सकता है लेकिन आप लोगों पर भी कोई विश्वास बचने की स्थिति नही है। ड्यूटी तो लगायी है। कस्टम्स ड्यूटी कम की है और ऐक्साइज़ ड्यूटी बढ़ायी है। अमेरिका कहता है कि इस क्षेत्र में हम नेता हैं और हमारे लोग चिल्ला चिल्ला कर सबको चिट्ठियां भेज रहे हैं और आपको भी चिट्ठी आई है और कह रहे हैं कि बचाइए। इस पर हम चाहेंगे कि इस विषय की जो बहस इस सदन में आज हो रही है इसमे केवल हम लोग अपनी सूची को यहां तक ही सीमित न रखे। एक प्रयास सरकार का जो चला है उन्हें उम्मीद है कि देश में उठाव है और वह उठाव आज गांव-गांव तक पहुंच गया है, उसकी उनको जानकारी है।

इसलिये इस बहस में जिस तरह की उनकी कोशिश है, जिस तरह के प्रचार का वे प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह आज देश के लोगों को बताया जा रहा है और विशेषकर किसानों से कहा जा रहा है कि तुम चिन्ता मत करो, हम इन सारी चीजों पर पूरा सोच-विचार करके, तुम्हारा इंतजाम कर रहे हैं, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिये क्योंकि ये लोग तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में सर्विस सैक्टर पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, फाइनैंशयल सैक्टर के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं कि कितने कमिटमेंट आपने इन सैक्टर्स में किये हैं, फाइनैंशयल सैक्टर के बारे में तो हमारा अंदाज है, कल्पना है। आपने कहा है –

[अनुवाद]

"वित्तीय क्षेत्र में प्रतिबद्धता पर स्पष्टदारी। प्रत्येक सदस्य किसी अन्य सदस्य के वित्तीय सेवा सप्लायर को विद्यमान वाणिज्यिक महत्व के उद्यमो सहित अपने क्षेत्र में स्थापित करने या विस्तार करने का अधिकार देगा।"

[हिन्दी]

हम लोग इस बात को लेकर फाइनैंस कमेटी में लड़ रहे हैं और यहां आपने एक्वीजीशन का शब्द लिखा है, यानी यहां भी सैक्शन 5 में छूट की बात है। उसके आगे आपने कहा है –

[अनुवाद]

"प्रत्येक सदस्य एकाधिकारों को स्वीकारते हुए वित्तीय सेवाओं से संबंधित सारणी में सूचीबद्ध करेंगे और उनको समाप्त या उनके क्षेत्र को कम करने का प्रयास करेंगे।"

फिर आगे कहा है।

प्रत्येक सदस्य वित्तीय सेवाओं की गैर स्थानीय आपूर्ति को बिचोलिये के द्वारा या बिचोलिये के रूप में प्रमुख के रूप में, अग्रयी के रूप में आपूर्ति करने की अनुमति देगा और नियमों और शर्तों के तहत निम्नलिखित सेवाओं को स्वाभाविक व्यवहार देता है :

यह भी आपने कहा है–

"बीमा, जहाजरानी, सामान, अन्तरराष्ट्रीय पारगमन, पुन: बीमा, जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा, बैंकिंग और अन्यसूची बद्ध वित्तीय सेवाएं।"

कितने ? लगभग एकदर्शन श्रेणियां। जो बात मैं वित्तमंत्री महोदय कह रहा हूँ वह है:

[हिन्दी]

मेरा कहना है कि आप इस गैट के माध्यम से आज हिन्दुसतान को अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र के महान नेताओं के सामने बेचने का काम कर रहे हैं। यदि इस बात को हम नहीं समझते हैं तो फिर हम इस देश को बचा नहीं पायेंगे क्योंकि आज आपकी बात उस स्टेज तक जा पहुंची है जब कि विदेशी कम्पनियां यह कह रही हैं कि आज भारत ही सबसे बड़ी हमारे लिये मार्केट है और विदेशी कम्पनियों का मतलब है अमेरिकी कम्पनियां ऐसा कह रही है, जिनमें कोका कोला, पैप्सी कोला शामिल है और बाटा तो है ही। चाय, कॉफी और यहां तक कि आइस क्रीम बनाने वाली कम्पनियां भी भारत में आकर अब ये सब चीजें बनायेंगी। चन्क फूड्स यहां आ जायेंगे, हम लोगों को केंटकी फ्राईड चिकन खिलाने के लिये अमेरिकी कम्पनियां आ जायेंगी, फिर कौन सा क्षेत्र बचा रह गया है ?

उपाध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन हमें जो परेशानी है वह इसी बात को लेकर नही है कि आर्थिक क्षेत्र में आपने हमें कहां तक पहुंचा दिया है ....(व्यवधान).... सर्विसेज का मतलब अनेक प्रकार की सर्विसेज है जिसकी डैफिनीशन इन्हें समझाना बहुत जरूरी है कि अमेरीकियों ने सर्विसेज का क्या अर्थ लिया है, जिस पर हमारे वाणिज्य मंत्री जी दस्तखत करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

"सेवा में सरकारी प्राधिकार के प्रयोग में दी गई सेवा के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में कोई भी सेवा शामिल है।"

और यह भी कहा है–

"सरकारी प्राधिकार को प्रयोग करते समय दी गई सेवा का अर्थ है कोई सेवा जो न तो वाणिज्यिक आधार पर दी जाती है न एक या अधिक सेवा आपूर्तियों की प्रतिस्पर्धा में दी जाती है।"

[हिन्दी]

और आपने हस्ताक्षर करने की कबूली दे दी। कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा। अमरीका की बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, विश्व की बहुराष्ट्रीय कम्पनियां किसी भी क्षेत्र में आ सकती है यह है। आप पेज 161, पैरा 3 आर्टीकल 1 देखिए, कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा है। इस पर आप कहीं नहीं बोल रहे है और केवल खेती-खेती, केवल एक ही बात को चला रहे हैं। बैंक्स खत्म, बीमा खत्म और आपकी सरकार को चलाने का जो सीमित काम है, उसको छोड़कर बाकी सब कामों की आपने कबूली दे दी।

[अनुवाद]

इस समझौते के उद्देश्य के लिए सदस्यों के आय का अर्थ है केन्द्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों और आधिकारियों द्वारा किए गए उपाय।

[हिन्दी]

यानी ग्राम पंचायत के अधिकार को भी आपने गिरवी रखने का काम किया है। यानी वह भी अगर यह कहे कि हमारे यहां बाहरी कम्पनी आ कर वह काम नही करेगी, तो एम. टी. ओ. और डब्ल्यू. टी. ओ. आपको खींच लेगी और उसके सामने आपको जाकर खड़े होना पड़ेगा और एक पंचायत की रक्षा आपको वहां करनी होगी। इसलिए बात को आपने कहां तक ले जाने का काम किया है, इसको आप क्यों नहीं समझते हो ?

आकाशवाणी और दूरदर्शन का इस्तेमाल करना एक चीज है, लेकिन इसको तो आप इरेज नही कर सकते हो, यहां तो ब्लैंक शीट नहीं है, हालांकि हमें आपने इसमें कई ब्लैंक शीट देने का काम किया है। इसलिए जब हम सम्प्रभुता की बात करते हैं, हमारे संविधान पर कैसे आक्रमण हो रहा है, यह इस बात का सुबूत है और एक नहीं अनेक सबूत हो सकते हैं।

विदेशी कम्पनियां हिन्दुस्तान आकर किसी प्रकार का गुन्नाह करें, तो हिन्दुस्तान की अदालतें मुकदमा ही चला सकती है। डब्ल्यू. टी. ओ. मुकदमा चलाएगा।

श्री नीतिश कुमार : कहीं बूटा सिंह वाला काम न करना पड़े। इसलिए सचेत हो जाइए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तो इसलिए उपाध्यक्ष जी, देश के एक-एक आर्थिक विकास के क्षेत्र को इस गैट के समझौते ने तबाह करने का एक एजेंडा बनाया है और इसके सिवाय दूसरी इसमें कोई बात नही है।

वाणिज्य मंत्री और सरकार के अन्य प्रवक्ताओं ने, शायद प्रधान मंत्री ने भी एक बात बार-बार इस देश

के भीतर और बाहर कही थी, आजकल वे इस बात को नहीं कह रहे हैं, वह बात यह है कि हमारे पास कोई दूसरा उपाय नही था और जहां से आपने शुरू किया, यानी लाचारी से हम वहां जा रहे थे और आज उसको भूलकर, हमारी विजय हो रही है और विपक्ष के लोग हमको खामखां बदनाम करने का काम कर रहे हैं, यह कहना शुरू कर दिया है। किस के लिए कर रहे हैं ? आपके ही भाषण में है, जब आपने कहा कि हमारे पास क्या उपाय है। मैं कहता हूं कि उपाय है, आप उन 4 प्रतिशत अय्याशी का जीवन व्यतीत करने वाले लोगों से कहिए कि वे अय्याशी को छोड़े। आप 10 साल के लिए एक कसम खाइए, उसको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी,

आप बार-बार चीन का नाम लेते है। चीन ने अपने को किस तरह से खड़ा किया, वह इस सदन को क्यों नहीं बताते। आज चीन क्या कर रहा है, यह बता रहे हैं। चीन को इस समझौते से कितना फायदा होना है, क्या आपको इसकी कल्पना है ? इस समझौते से सबसे अधिक फायदा पाने वाले जो राष्ट्र है, उनमें चीन लगभग पहले नम्बर पर आता है। 37 बिलियन डॉलर उसके हिस्से में आना है। हमारे हिस्से में क्या आना है। आपके अनुसार हमारे हिस्से में एक बिलियन डॉलर आना है। आज चीनी 37 बिलियन डॉलर पाएगा और हम एक बिलियन डॉलर, यूरोप के राष्ट्र 94 बिलियन डॉलर पाएंगे और हम एक बिलियन डॉलर। हम यह क्यों नहीं सोचते कि चीन ने अपने को गैट से बाहर रखकर यहां तक पहुंचने का काम किया है, किसी की शरण में रहकर नही।

अमरीका के विदेश मंत्री वहां गए, यहां उन्होंने अपना छोटा सा ग्वाइंट सैक्रेटरी भेज दिया। वहां विदेश मंत्री स्वयं गए और जो सुनाना था चीन में सुनाकर वापिस भेज दिया। यह कहा कि यदि हमारे साथ किसी तरह का विवाद करेंगे तो आपके देश में कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उसकी चिन्ता कीजिए, हमारी हम देख लेंगे। तो क्यों आप हिन्दुस्तान की तरफ से यही हिम्मत करके नही कहते कि खेती के मामले में, दवाई के मामले में, बैंक, इंश्योरैंस, औद्योगिक क्षेत्र के मामले में हम सौदा नहीं करेंगे। 4 प्रतिशत के लिए हम सबको कहेंगे।

मैं फिर डा. मनमोहन सिंह को गवाही करके लाता हूं। उन्हीं के शब्दों में, क्यों नहीं हम यह कहें कि मुश्किलें हैं लेकिन उनका सामना करने के लिए राष्ट्र को जुट जाना चाहिए और तीसरी दुनिया को अपने साथ लेकर आगे चलना चाहिए। यह कहने की हिम्मत आप क्यों नहीं करते। भारत से तो यह अपेक्षा है। दुनिया यह बात सुनना चाहती है, दुनिया आपका रोना नही सुनना चाहती। जी-77 के सामने रोने से आपको नेतृत्व नहीं मिलेगा, आप खड़े हो जाइए।

कल बैठक है, उनके बीच में खड़े हो जाइए और कहिए कि हमने अपनी राय बदली है, हम सब मिलकर गैट के समझौते में सुधार के लिए लड़ाई को तैयार है। 1989 में की हुई गलती को हम छोड़ देंगे और एक बार फिर अमरीका और दूसरे राष्ट्रों का सामना करने के लिए खड़े हो जाएंगे। राष्ट्र में पुरूषार्थ की भावना है, राष्ट्र की जवानी में शक्ति है, उसका आह्वान कीजिए, अगले वोट में इस सवाल से अपने को होने वाले नुकसान से कैसे रोकेंगे, इस बात को मत सोचिए, इससे आप कहीं पर भी नही जा पाएंगे।

सबसे बड़ी परेशानी इस बात को लेकर है कि सारा ढांचा जो आज सरकार ने कबूल किया है, वह हिन्दुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को मिटाने का काम करेगा। यह गैट में नहीं लिखा जाएगा, डब्लू. टी. ओ. में चर्चा के लिए नही आएगा और वाणिज्य मंत्री इसे एक्सट्रेनिअस करके भी नही बोल पाएंगे। आज जो हमारी सभ्यता और

संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है वह इतना जबरदस्त है कि इसकी कल्पना करना मुश्किल है। हम मानते हैं कि टी.वी और रेडियों का प्रभाव है लेकिन सभ्यता और संस्कृति पर हमला रेडियो और टी.वी. से इसलिए हो सकता है क्योंकि उनपर लोगों का विश्वास नहीं है। उन विश्वास को फिर पुनर्स्थापित करना होगा। लेकिन सभ्यता और संस्कृति केवल वही तक सीमित नहीं है, हिन्दुस्तान का मध्यम वर्ग बिगड़ चुका है, उसे हर चीज विदेशी चाहिए और विदेशी के पीछे जो पागलपन और पैसा है, उस कौंसटीटूएंसी को लेकर आपकी जो परेशानी है,

चूंकि आज सारा खेल चुनाव तक ही सीमित हो जायेगा, फिर 3 प्रतिशत लोगों को खुश रखना, उनके ईद-गिर्द के 7 प्रतिशत लोगों को बनाये रखना और अन्य लोग हार भी जाये लेकिन रुपयों से सब को खरीद सकते हैं, सभ्यता को चलाये रखा जायेगा तो कुछ नहीं बचेगा क्योंकि मैं यह मानता हूं कि अन्तगोगत्वा हम लोग अपनी जड़ से कट गये तो फिर इस राष्ट्र के सामने आज की चुनौतियां है, उनका सामना करने के लिए यह राष्ट्र शक्तिवान नहीं रहेगा। इसलिये मैं इस समझौते का विरोध करता हूं। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि आप इस पर हस्ताक्षर मत करिये। जी-15 की मीटिंग का फायदा उठाइये। देश को विश्वास में लीजिये, देश के सामने सच्चाई को रखिये। जो कमजोरी हम लोगों में है वह भी रखिये कि 4 प्रतिशत चाहिये। देश को कहिये कि सभी मिल कर देश को खड़ा करने का काम करें। इससे देश को अमरीका के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी सभ्यता व संस्कृति पर हमला नहीं होगा और हम दुनिया को महान राष्ट्र को तौर पर बना पायेंगे। यह विश्वास लोगों में पैदा करके आप आगे बढ़िये।

इन शब्दों के साथ मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। सरकार इस पर हस्ताक्षर न करे, एक बार फिर यह आग्रह करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, आजादी के बाद आज का दिन हमारे लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण दिनों में से है। आज जिस समझौते पर हम संसद में बहस कर रहे हैं, नियमों के अनुसार उस पर मतदान नहीं होगा। हम नियम 193 के अन्तर्गत इस पर बहस कर रहे हैं। देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भविष्य के लिये, आत्म सम्मान के लिये और सर्वांगीण हितों के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है।

जिस समझौते पर विचार करने के लिये हम यहां बैठे हैं, उसको मानने का दिमाग सरकार बना चुकी है। मैं ऐसा समझता हूं कि इसके पहले के जो वाणिज्य मंत्री थे, उन्होंने 1992 में सदन में आश्वासन दिया था ....(व्यवधान)....

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, श्री भोगेन्द्र झा अपने पैरों पर खड़े हैं। कल वे अपना भाषण जारी रख सकते हैं और आज कृपया सदन को स्थागित कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : उसके माननीय सदस्य हैं जो चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

श्री बलराम जाखड़ : उन्हें बोलने दें। वे अपना भाषण आज समाप्त कर लें। महोदय, आज हम सात बजे तक बैठ सकते हैं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मन्दसौर) : भोगेन्द्र झा जी अपना बाकी का भाषण कल भी दे सकते हैं। ....(व्यवधान)....

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, आपकी इजाजत हो तो हम भी बोल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका यह अर्थ नहीं है कि क्योंकि जार्ज फर्नांडीज बोल चुके हैं तो सभी बातें समाप्त हो चुकी है। श्री झा के पास कुछ नए बिन्दु होंगे। हमें श्री जार्ज का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने एक घण्टे में अपनी बात कह दी।

[हिन्दी]

श्री भोग्रन्द्र झा : उपाध्यक्ष जी, जिस समझौते के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि सरकार कहती नही है, मगर दिमाग के पीछे कोई बड़ी बात है कि पहले हम कुछ अड़ते थे लेकिन अब अड़ने में अपने को कमजोर पा रहे हैं क्योंकि, संसार में कुछ परिवर्तन हो गया है, उसको देखते हुए साहस की कमी हो जाती है।

बेलग्रद में गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीया इन्दिरा जी ने कहा था, उन्होंने नई आर्थिक विश्व व्यवस्था का निर्माण करने का नारा दिया था और इस नारे को संसार के निर्गुट आन्दोलन ने एक मत से स्वीकार कर लिया था। नई आर्थिक व्यवस्था की ओर यह सरकार बढ़ रही है, मगर उल्टी दिशा में बढ़ रही है। निर्गुट सम्मेलन के उस एकमत से निर्णय का दाह संस्कार करने का भार नरसिंह राव की सरकार ने अपने माथे पर लिया है, चाहे उत्तर दक्षिण के सम्बन्धों का मामला था, दक्षिण-दक्षिण के सम्बन्धों को और दृढतर बनाने का मामला था और नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करने का मामला था, सबों के ऊपर आघात करके एक नव उपनिवेशवादी व्यवस्था में स्वेच्छा से हम अपनी गरदन दे रहे हैं।

मालूम पड़ रहा है कि उसके जुए में हम अपनी गरदन दे रहे हैं और इस गरदन देने में संसार की मजबूरियां हैं, हमारे प्रचार माध्यम और बहुत से राजनेता भी कहते हैं कि शीत युद्ध का अन्त हो गया, जब तक समाजवादी जगत एक ताकत के रूप में था, विश्व शान्ति सुरक्षित थी और इसलिए आम तौर से लोग अभी युद्ध का खतरा नहीं देख रहे हैं, मगर संसार का प्रथम विश्व युद्ध जिस समय हुआ, उस समय तक किसी समाजवादी देश का अस्तित्व भी नही था, समाजवाद अभी पैदा भी नहीं हुआ था तब 1914 का प्रथम विश्व युद्ध बाजार के लिए हुआ था। 1939 का विश्व युद्ध भी संसार के पूंजीवादी सामाज्यवादी देशों में बाजार के लिए हुआ था। जो आज अमेरिका है, उसका पता लगाने की जरूरत व्यापार के लिए, बाजार के लिए ही हुई थी। भारत की ओर भी वास्कोडिगामा और पहले अनेकों लोग आये थे, वह भी बाजार ढूंढने के लिए आये थे। आज संसार का विकसित पूंजीवाद बाजार के लिए व्याकुल है। उसका अमेरिका के बाजार से पेट भरने वाला नहीं है। वहां की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का जापान के बाजार से पेट भरने वाला नही है और इसलिए सब मिल जुलकर 7 देशों के गुट के जरिये बाकी संसार को बाजार बनाने पर तुले हुए हैं।

यह जो गेट का एक हथियार है, अभी उनका वह सामूहिक हथियार है लेकिन यह सामूहिक हथियार नहीं रहेगा। टकराव उनमे होगा। अभी-अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन टोकियो गये थे लेकिन मेल नही हुआ। बाजार के प्रश्न पर जापान के साथ उनकी एक समझ नही है। अभी मैं चाहूंगा, मंत्री जी इसको स्पष्ट करें कि अभी जिस करार पर हम दस्तखत कर रहे हैं, 1947 में जो गैट के सदस्य देश है और यूरोपियन समुदाय सामूहिक रूप से,

उपाध्यक्ष महोदय, अगर निर्गुट समुदाय के लोग अपना कोई समुदाय बनाकर चलें, तो उसमें हमारी सदस्यता होगी, लेकिन ये योरोपियन समुदाय के देश, जहां से सारे विश्व युद्ध भड़के हैं, जिनसे संसार झुलसा है, उन देशों का यह समुदाय है।

[अनुवाद]

उरुग्वे दौर की बहुपक्षीय व्यापार बातचीत को समाप्त करने हेतु, सरकार और यूरोपियन समुदाय के प्रतिनिधि....

[हिन्दी]

योरोपियन कम्युनिटीज, सभी सरकारों के अलावा और इसका जब मतदान होगा, इसको भी स्पष्ट किया गया है कि अन्य देश मत देंगे तो उनका प्रत्येक का एक मत रहेगा और योरोपियन समुदाय के एक देश का मत--

[अनुवाद]

जब यूरोपीय समुदाय में अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, तो उसके मत उसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या जो बहुपक्षीय व्यापार संगठन के सदस्य भी हैं, के बराबर होगी।

[हिन्दी]

तो एक देश भी अगर मत देगा तो संपूर्ण सदस्य संख्या का मत एक साथ माना जाएगा। आज हम जिन बातों को लेकर समान-अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन यह कौन सी चीज होने जा रही है। इसी तरह की भयंकर बात सदस्यता में है, हस्ताक्षर होंगे, उसमें भी यही बात है, मतदान की प्रक्रिया में भी यही बात है, कुल मिला कर उनका मत उसी हिसाब से जोड़ा जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो वाणिज्य युद्ध है, बाजार का युद्ध शुरु हुआ है, यह कोई आज का नहीं है। आज हम देखते हैं कि एफ-16 युद्धक विमान सारे एशिया को तबाह करने के लिए हमारे पड़ोस में भेजे जा रहे हैं। यह कोई पेंटागन के पाकिस्तान के प्रति स्नेह की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि यदि आप कुछ कहेंगे तो आपको भी कहा जाएगा कि आप भी लीजिए और लड़िए, मरिए। इस तरह से उनका युद्धक विमान का कारखाना चलाता रहेगा, अन्य संस्थाएं चलती रहेंगी। आज इन विमानों से भारत का इतना खतरा नहीं है, क्योंकि पिछले 3 हमलों में पाकिस्तान अनुभव कर चुका है कि साम्राज्यवादी जगत के सामूहिक समर्थन के बावजूद भारत पर हमला आसान काम नहीं है, इन विमानों से खाड़ी के देशों को खतरा हो सकता है, विपत्ति में फंसे हुए अफगानिस्तान के खिलाफ इस शक्ति का उपयोग हो सकता है। तो इस तरह से बाजार आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यदि शीत युद्ध

समाप्ति के भ्रम में पड़ कर देश युद्ध की तैयारियां बंद कर देंगे तो युद्धक औजार, घातक अस्त्र बनाने वाले अरबों-खरबों के कारखाने कंगाल हो जाएंगे, उनके लिए साम्यवाद से भी बुरी स्थिति आ जाएगी। इस तरह की स्थिति पैदा न हो, उनकी बरबादी न हो, संसार भले ही बरबाद हो जाए, उनका इससे क्या बिगड़ता है। इस तरह से एक नई स्थिति पैदा हो रही है। इन सात देशों का बाकी संसार को अपनी लपेट में लेने का यह एक हथियार है, नागपाश है, जिसके अंदर ये सब को समेटना चाहते हैं, सबको बटोरना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि फ्रांस के किसानों ने इसके लिए विद्रोह कर दिया। फ्रांस के किसान हमारे किसानों की तरह नहीं हैं, जिनके पैर में जूता नही है और तन में कुर्ता नहीं है। आस्ट्रेलिया सरकार ने इसका विरोध किया। इसके अलावा जो नई दुनिया के पुराने निवासी हैं, जिन्हें हम योरोपियन लाल भारतीय कहते हैं, जिनको कोलंबस ने असली भारतीय समझा था, उनका पूर्णत: संहार कर दिए जाने के बाद, शारीरिक रूप से संहार कर दिए जाने के बाद अजायबघर में रखने के लिए अमरीका में कुछ हजार लोगों को छोड़ दिया गया है, कुछ लोग मेक्सिको में हैं, वे भी बगावत के रूप में विद्रोह कर रहे हैं।

यह जो परिस्थिति संसार की हो रही है तो उसमें बाजार के लिए कोई कर्म करने से बाज नहीं आए। उसी का लगभग एक सफल प्रयास ये बाजार के भूखे बहुराष्ट्रीय करोड़पति कर रहे हैं। हमारे शासक दल के लोग कहते हैं कि विकल्प क्या है ? आजादी की लड़ाई के समय मेरे जैसा आदमी उसमें पूरी ताकत से कूद पड़ा था। यह कहा जाता था कि अंग्रेज चला जाएगा तो राज कैसे चलेगा ? रेल गाड़ी अंग्रेज ही लाए हैं। यह विकास उन्हीं के चलते हुआ है। हमारे बहुत से बुद्धी-बेची में बुद्धिजीवी कहने में हिचक रहा हूं, वे अभी भी कहते हैं कि अंग्रेजों की गुलामी के बाद हमें आजादी मिली है। जब जवाहर नेहरू जेल में थे तो इंगलैंड की श्रीमती ब्राबोर ने कहा था कि विलायत की संस्कृति सीखकर आप आदमी बने हैं और जब विलायत के युद्ध में तेजी आई तो तब आंदोलन कर रहे हैं। जब जवाहर लाल जी जेल में थे तो रविन्द्र नाथ टैगोर ने अपने माथे पर भार डाल लिया था कि नेहरू जी जेल में हैं इसलिए जवाब दे रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा था कि अंग्रेजो शिक्षा और संस्कृति चीन और रूस में नहीं गई है फिर भी वे आगे बढ़े हैं और टिके है। जहां तक भारत का सवाल है तो उसकी संस्कृति और सभ्यता पुरानी है और जितनी पुरानी खोजेंगे तो और पुरानी मिलेगी। ऐसी स्थिति में संसार के सामने एक नया खतरा आया है और हमारे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने अभी कहा है कि भारत की ओर पूरा निर्गुट आंदोलन देख रहा था कि भारत कौन सा कदम उठाता है ? हमने अपने साथ, इतिहास के साथ और अपने भविष्य के साथ इस सदन के जरिए दगा का काम करना शुरू कर दिया है। संसार के विश्वास के साथ हम दगा करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन अभी वह अध्याय पूरा नहीं हुआ है। विकल्प क्या है ? गुलामी का विकल्प आजादी और न मिली तो आजादी के लिए संघर्ष और वह बात हमारे मित्रों को समझ न आए। अभी मणि शंकर जी ने मार्क्स की बात कही थी। उनकी आवाज मरी नही है, वह अमर रहेगी ....(व्यवधान).... उन्होंने कहा था कि जादू सिर चढ़कर बोलता है ....(व्यवधान).... हमारे पूर्वजों ने आत्मा को अमर इसी मायने में कहा था, कही से आने-जाने वाली नहीं है। हो सकता है कि मैं मरूं तो एक पैसा इनके रूप में और दो पैसा उनके रूप में रहूं। हमारा इतना प्राचीनतम भंडार है जिसको जितना पीयेंगे तो उतना ही फायदा होगा ....(व्यवधान).... आजादी की लड़ाई के वक्त भी बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था। लोकमान्य तिलक को जिन्होंने स्वदेशी

आंदोलन के विरोध का नारा दिया था तो उनको राजद्रोह के अभियोग में सात बरस के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने निष्कासन किया था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था:

क्लैब्यं मास्मगमःपार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते।

क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप।।

हम सब छोटे आदमी हो सकते हैं, लेकिन देश महान है और इसके भाग्य का निर्माण करने का भार हमारे माथे पर इतिहास ने सौंपा है। एक प्राचीन गौरवशाली परम्परा को आगे बढ़ाने का भार हमारे माथे पर है। दिक्कतें आई है, परेशानियां आई हैं, हम गिरे हैं, चोट भी लगी है, लेकिन हम मिटे नही हैं। पूरा समर्पण कभी नहीं किया। ऐसी स्थिति में एक ही विकल्प है कि अभी हम चेतें। 90 करोड़ की आबादी का यह देश है। कैसे निर्यात से हम विदेशी मुद्रा का भण्डार बढ़ा सकते हैं और कैसे हमने इसको बढ़ाया है, क्या यही हमारी उपलब्धि है ? कुछ मित्रों को अपच भी होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जब हम गुलाम थे, हमारा पाउंड विलायत में जमा हो गया था। विदेशी मुद्रा का संकट नहीं था। उस समय डालर तो एक नन्हा सा बच्चा था। पाउंड दुनिया के अर्थ-बाजार में शासन कर रहा था। उस समय हमारा स्टर्लिंग पाउंड बैलेंस्ड था। क्या वही हमारी तरक्की का सबूत है ? हमारा बाहर माल गया, लेकिन हम नहीं मंगा सके या वह नहीं दे सके, क्योंकि उस समय अंग्रेजी सरकार की मर्जी होती थी।

मैं आज भी यही कहता हूं, जो मैंने कई बार कहा है कि यह पूरी सरकार गलत रास्ते पर जा रही है। हम निर्यात करेंगे, किसलिए करेंगे, क्योंकि आयात के लिए हमको विदेशी मुद्रा मिलेगी। आयात किस लिए करेंगे, निर्यात करने के लिए, क्या अब हमें यही करते रहना होगा ? 90 करोड़ के देश के भाग्य का निर्माण करने के लिए जहां तक हम पहुंचे हैं उससे आगे छलांग मारने के लिए कोई नहीं है। सरकार ऐसा माहौल बना नहीं रही है। यही कारण है कि हमें निर्यात का लोभ दिया जा रहा है। वह तो हम भूखे रहकर भी कर सकते हैं।

अभी कुछ मित्रों ने कहा था कि कपास का निर्यात करेंगे, लेकिन यहां तो अभी हाल ही में उसका आयात किया गया है। अभी किसानों को उसकी कीमत समुचित रूप से मिलने लगी थी कि आपने विदेश से कपास का आयात शुरू कर दिया। वाणिज्य मंत्रीजी बताये कि यह किस को खुश करने के लिए किया गया है ? कपास की भारत में कमी नहीं है। कीमतों को नीचे लाने के लिए कपास को आपने बाहर से मंगाया। एक समय था जब पी. एल. 480 के तहत हम मुख्यतः अमरीका से गेहूं मंगाते थे। मोरारजी भाई वित्त मंत्री थे। मैंने वहां से पूछा था कि आप तो कहते हैं कि गेहूं मंगायेंगे, लेकिन यहां तो गेहूं के साथ बाजार भी आ रहा है, आप तो तम्बाकू के विरोधी हैं, लेकिन वह भी अमरीका हमें जबरन भेज रहा है और तो और लिपस्टिक भी दे रहा है कि पेट भले ही खाली रहे, होठ लाल रहने चाहिए। गेहूं के साथ बाजरा, तम्बाकू और लिपस्टिक आ रही थी। जब अमरीका ने हमें झुकाना चाहा तो यह सब बन्द कर दिया। फिर यह देश अपने पैरों पर खड़ा हुआ। किसानों को हमने कुछ सहूलियतें दीं, इसको मैं हरित क्रांति नहीं कहूंगा, लेकिन जहां 1950 में 5 करोड़ टन अनाज पैदा होता था, आज लगभग 19 करोड़ टन हम पैदा कर रहे हैं। इसमें आगे वृद्धि की सम्भावना है। इसलिए हताश होकर, निरूपाय होकर बैठने की बात नहीं है। जब अर्जुन शस्त्र उठाने में हिचक रहा था, गांडीव नीचे गिर रहा था।

मैं युद्ध नहीं करूंगा तो कृष्ण ने उनको त्यागी या सन्यासी नहीं कहा बल्कि नपुंसक कहा और हिजड़ा कहा। कमज़ोरी दिखाने के लिये पंडिताई का बखान मत करो। मैं समझता हूं कि इस देश के लोग इस सदन से कहेंगे और हम भी इस सरकार से कहेंगे कि हमारे कृषि मंत्री बलराम हैं, निर्बल नहीं हैं। थोड़े से साहस की जरूरत है। प्रधानमंत्री भी नरसिंह राव हैं और हम समझते हैं कि पूरी हिम्मत से काम लेंगे। हम सब लोगों के लिये भी हिम्मत का समय आ गया है और इस हिम्मत से हम सब तरक्की करेंगे। हम सब देश की प्रगति के रास्ते पर जायेंगे। झुक कर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे बार बार बदतर हालत में होंगे।

हमने वाणिज्य मंत्री का बयान अखबारों में देखा है जिसमें इन्होंने कहा है कि बाहरी लोग बाहर की चीजों को लादते जा रहे हैं। अभी तो आगे बाकी है। अब अमरीका को फिकर हो गयी है कि भारत में मजदूरों की मजदूरी कम है, ज्यादा मजदूरी दो। दुनिया के बाजार में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि जैसे दिल्ली में ट्रक कर्मचारियों की हड़ताल होने पर अमरीका की सी॰ आई॰ ए॰ की मदद से 6 महीने का खर्चा दिया गया वहां के राष्ट्रपति अलेंदो की हत्या की गई और सी॰ आई॰ ए॰ ने चुनाव जितवाया जिससे वहां पर जनतंत्र का खात्मा कर दिया गया। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूख असीमित है, उसको आप शान्त नहीं कर सकते हैं और यहां तक कि पूरा बाजार देकर भी शान्त नहीं कर सकते हैं। अमरीका में भी मामूली बदहाली है। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्रिगण इस बात को जानते होंगे। इसलिये बोलने की हिम्मत करें। अमरीका में 1948-49 में जितने किसान परिवार थे, आज उनकी संख्या एक तिहाई रह गयी है। उसमें दो तिहाई सर्वहारा मजदूर बन गये हैं, कंगाल बन गये हैं क्योंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, मजदूरों की जमीन बिक गयी और वे दिवालिया हो गये। तो इस प्रकार से इज़ारेदारों की वृद्धि होती है। पड़ोसी की फिकर नही करते हैं। मुनाफा सबका आज दैत्य बन गया। अमरीका में यही सब हुआ है इसलिये वहां पर कार वाले मजदूर भी हैं तो उन्होंने किश्तों पर ली है और यदि पैसा नहीं चुकाया तो उनकी कार छीन ली गयी। महल में रहते हैं मगर किराये पर। यदि उनकी छंटनी हुई तो सड़क पर आ गये। हमारे जैसे वहां मजदूर नहीं हैं कि 2-4 दिनों में अपनी झोपड़ी खड़ी कर ली। अब अमरीका खुद संकट में है तो सारे संसार पर थोपना चाहता है। इसलिये हमने कहा था कि हमारी सरकार भी इस रोग का शिकार हो गयी है। संसार में दो महाशक्तियों में कुछ नेताओं ने जी-हुजूरी का रास्ता लिया। अब अमरीका को पूंजी से प्रेम है और अगर पूंजीवाद ही पूंजीवाद से प्रेम बढ़ाये तो पूंजी कहां से बढ़े ?

उपाध्यक्ष जी, मैंने जिस युद्ध का जिक्र, आज हम उसी खतरनाक समय से गुज़र रहे हैं। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि जिस रूप में एक खतरा हमारे ऊपर आ गया है, वह GATT कोई पुराना नहीं है।

संसार में एक साथ मिलकर हम बढ़े हैं। वसुधैव कुटुम्बकम् हमारा प्राचीनतम लक्ष्य रहा है। राष्ट्रों में लड़ाई, देशों में लड़ाई हम नहीं चाहते हैं। मगर उसका आधार क्या है ? अब जिस आधार का जन्म होता जा रहा है उससे यह बड़ा खतरनाक होगा और जो गुणात्मक परिवर्तन गेट में हो रहा है, हमारे कानून, अधिनियम, संविधान सबकी नकेल इसके हाथ में जाएगी। उसके जो निदेशक होंगे और जो देश होंगे उनके हाथ में जाएगी। मैं अपने मित्रों से और सरकार से आग्रह करूंगा कि जिसका दबाव हम आज नहीं सह सकते तो जब अपना गला उसमें फंसा देंगे तो वह शक्ति हममें कहां से आएगी ? तब तो हमें फंसना ही पड़ेगा। इस लिए आज वह इतना ही बोले

हैं कि कश्मीर आपका नहीं है। आज वह इतना ही कहते हैं कि आपकी सरहद पर हम F-16 और भेज देते हैं ताकि वहां से सीधे बम दिल्ली पर गिरे। कल वह और ज्यादा करेंगे और देखेंगे कि यह मुलायम माल है, झुकने वाला है, अड़ने वाला नहीं है और जब हमें झुकने वाला समझ लिया तो फिर झुकाने की कोशिश का अंत नहीं होने वाला है। लेकिन यह देश झुक नहीं सकता है और अड़ेगा और जब अड़ेगा तो यह सरकार लाठी, गोली और बम अपने लोगों पर चलाएगी। अभी इसी डंकल प्रस्ताव के आधार पर जो कानून स्वीकृत हुआ है उसके विरोध में प्रदर्शन की तैयारियां हैं और यह सरकार अनुमति देने नहीं जा रही है। 28 जन संगठनों की ओर से दल के नाम पर नहीं, जिसमें किसान सभा भी है और अखिल भारतीय किसान सभा का मैं भी प्रतिनिधि सचिव हूं, उसको अनुमति नहीं दी गई है कि बोट क्लब पर आकर अपनी आवाज़ उठा सके। पता नहीं सरकार को शर्म लगती है कि अमेरिका समझ जाएगा कि भारत के लोग इसके खिलाफ हैं लेकिन अगर लोग प्रदर्शन करेंगे तो अभी तो एक नयी आर्थिक नीति ये लाए थे जिसके लिए 29 अगस्त को हम याद करते हैं और पता नहीं 5 अप्रैल को ये क्या करेंगे ? जब कानून कदम-कदम पर बदलेंगे तो क्या उसको चुपचाप बरदाश्त कर लिया जाएगा ? जो नये किस्म के हम आविष्कार करते जा रहे हैं, हमारे कृषि वैज्ञानिक और दूसरे वैज्ञानिक, यह ठीक है कि कुछ भाग कर विदेश चले जाएंगे लेकिन आज इतनी बड़ी जमात हमारे वैज्ञानिकों की है, तकनीशियनों की है उनका क्या होगा ? इतने विशाल देश को कौन खैरात खिलाएगा ? इतिहास को बहुत जल्दी भूलने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक ब्रिटिश सरकार भारत में 200 वर्षों तक थी तो हर वर्ष में एक अकाल पड़ता था। लाखों लोग भूखों मर जाते थे और जब हेस्टिंग्ज़ ने क्लाईव के बाद गवर्नर जनरल का पद संभाला तो एक साल में एक करोड़ उस समय के हिसाब से लोग भूख से मरे। तब जब लगान वसूला गया, हेस्टिंग्ज़ ने अपना प्रतिवेदन विलायत भेजा कि एक करोड़ की मृत्यु के बाद भी हमारे कर की वसूली तेज हो गई और वसूली करने में किसान जंगल की तरफ भागने लगे और उजले कपड़े छोड़ कर गेरुए वस्त्र धारण कर वह जंगल से मुकाबला करने लगे मगर सौभाग्य से बंकिम चन्द्र चटर्जी ने उसी को आधार बनाकर वंदे मातरम् का देशभक्ति का नारा दिया। देश के लिए मरने वालों के हाथ में एक हथियार वन्दे मातरम का दिया उनके पास कानून या सरकार नहीं थी जैसे आपके हाथ में है फिर भी वह लड़े। मन के मुताबिक हमारी जीत नहीं हुई मगर जो लोग विश्वास नहीं करते थे वैसी जीत हुई और आज आजाद होकर हम यहां बैठे हैं। ऐसी स्थिति में जो खतरा हमारे सामने मौजूद हो गया है, अभी जो विभिन्न धाराएं हैं उन धाराओं में भी गुंजाइश है। हमारे मित्र विकल्प खोजते हैं। उनमें विकल्प की भी गुंजाइश है।

[अनुवाद]

जिस दस्तावेज पर हम हस्ताक्षर करेंगे उसमें कहा गया है–

"सभी प्रति भागियों द्वारा इसको यथाशीघ्र लागू करने परन्तु 1 जुलाई 1995 के उपरान्त नहीं, के उद्देश्य से बहुपक्षीय व्यापार संगठनों की स्थापना करने के समझौते की स्वीकारने की इच्छा पर प्रतिभागी सहमति प्रकट करते हैं।"

[हिन्दी]

उतना मौका तो अभी भी है फिर हमारे वाणिज्य मंत्री जी उस दस्तावेज पर अपना अंगूठा छापने के लिए, क्यों व्याकुल हो रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि हम हस्ताक्षर करने से चूक जायेंगे, एक साल का समय तो उसी में है। उसके बाद भी दो वर्ष का मौका है। इसलिये 15 अप्रैल को अंगूठे का निशान देना ही है, अंगूठे की छाप देनी ही है, इस जल्दी में आप मत रहिये और इतने बड़े देश को किसी उपद्रव के भंवर में मत झौंकिये क्योंकि यह बर्दाश्त करने वाली बातें नहीं हैं। यदि आपके पास माल होगा तो भी आपको विदेश से मंगाना पड़ेगा, ऐसी उसमें शर्त है। यदि हमने बाहर से माल मंगाना ही होगा तो देश के जो उत्पादक हैं, उनके मूल्यों का क्या होगा। मैं हैरत में था, जब हमारे एक साथी बोल रहे थे तो वित्त मंत्री जी ने कहा कि अनियंत्रित मूल्य पर अनाज आप खरीदेंगे, लेकिन किसका आप इस तरह विरोध कर रहे हैं, किसानों को उचित कीमत मिले, उसका ही आप विरोध कर रहे हैं

हमारे देश में किसानों और उपभोक्ताओं के बीच में एक और कड़ी थोक व्यापारियों की है जो न माल पैदा करते हैं और न उपभोक्ता हैं बल्कि मुफ्त में माल मारकर अरब और खरबपति बने बैठे हैं। जो वास्तविक उत्पादक हैं उन्हें मजबूरी में अपना माल खलिहान में आते आते बेचना पड़ता है, जिसे हम डिस्ट्रैस सेल कहते हैं। यदि उसे आप अनियंत्रित छोड़ देंगे तो भले ही साल भर का खाना उसके पास है या नहीं है, लेकिन कपड़े के लिये, दवा के लिये, तेल के लिये, मजबूर होकर सस्ता उसे गल्ला बेचना पड़ता है। सरकारी खरीद में उसको सुनिश्चितता रहती है बशर्ते कि वह खरीद ठीक फसल के वक्त हो, बाद में नहीं। इसलिये आप तो उसके उल्टे माने लगा रहे हैं। एक तरफ तो उपभोक्ता को ज्यादा कीमत देनी पड़ जायेगी और किसान को भी उसका कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। हमारे देश में जो थोक व्यापारियों की बड़ी जमात, बना कुछ पैदा किये, लूट का माल जमाये बैठी है, असल में सारा मुनाफा तो उसे ही जाता है जिसमें उपभोक्ता भी लुटता है और उत्पादक भी लुटता है, वही व्यवस्था आप कायम करने जा रहे हैं। इसी व्यवस्था को आपने दस्तावेज में कबूल किया है – उपभोक्ता और उत्पादक दोनों की लूट की व्यवस्था – फिर यदि हम और आप चाहेंगे भी तो लोग चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई शांतिपूर्ण समाधान नही होगा, बिल्कुल नही होगा क्योंकि फिर आपके हाथ में कानून नहीं रहेगा, विश्व की इस समय जो सबसे बड़ी शक्ति है, उसके हाथ में कंट्रोल रहेगा और आप मजबूर होंगे। एक ही काम आप करेंगे कि गोली, लाठी और बमों से लोगों को कुचलने के लिये मजबूर रहेंगे। राज किसी दूसरे का रहेगा जबकि प्रबंधन का भार यहां के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री जी पर होगा। वे मैनेजर के रूप में काम करेंगे। प्रबंध हम करेंगे और मुनाफा दूसरों को भेजेंगे। जब बड़े पैमाने पर यहां का जन-गण महंगाई के खिलाफ अभियान छेड़ेगा या मांग करेगा तो उनको कुचलने का आप काम करेंगे। बदले की धारा कितनी भयंकर होती है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। पूरे संगठन से फैसले वाली बात नहीं होगी, कोई भी एक देश फैसला कर देगा कि हम अनुचित कर रहे हैं, इसलिये हमें उसके लिये दंडित किया जायेगा। अभी क्रायोजैनिक इंजिन के मामले में हमने देखा ही है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, अमेरिका ने गष्ट्रसंघ से बिल्कुल नहीं पूछा और सीधे हमारे इसरो और रूप के ग्लासनॉस्ट को दुनिया से निकालकर किनारे रख दिया और संसार देखता रह गया। कुछ लोगों ने शीत

युद्ध की बात सोची थी। यदि बिना युद्ध के विजय मिल जाये तो फिर शीत युद्ध और गर्म युद्ध की क्या जरूरत है।

ऐसी स्थिति में, एक बहुत ही खतरनाक रास्ता यह सरकार अपनाने जा रही है। मैं कहूंगा कि जिस मुसीबत में आप अपने आपको और देश को फंसाने जा रहे हैं, उससे निकलने के लिये अभी अड़ने का समय है।

7.00 म॰ प॰

मैं आग्रह करूंगा कि अभी चूंकि हमारे 15 देशों के मित्र, जो कमोबेश हमारी ही तरह इसके शिकार होंगे, वे यहां आए हैं, कुछ बातें हमारे प्रधान मंत्री जी ने कही हैं, कुछ बातें हमारे वाणिज्य मंत्री जी ने अखबारों के लिए कही हैं, इससे मालूम होता है कि वे हृदय में इस खतरे को महसूस कर रहे हैं, लेकिन वे एक चिल्लाहट की बातें, एक असहायता की बातें मालूम पड़ती हैं कह रहे हैं, मेरा निवेदन है कि इनको छोड़िए और कल ही इस सदन में जवाब देकर कहिए कि हम अभी हस्ताक्षर करने की जल्दी में नहीं हैं, हम और विचार करेंगे। ऐसे मामले पर, यह ठीक है कि हममें विवाद है, विरोध पक्ष और शासक दल में विवाद है, लेकिन जैसे सुयोधन को जिसको हारने के बाद हम दुर्योधन कहते हैं, गिरफ्तार कर के जब यक्ष ले जा रहा था, तो कृष्ण ने कहा कि इसको बचाओ, लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं, इसने हमें लाक्षागृह में बंद कर जलाने का षड्यंत्र रचा, इसने हमारी द्रौपदी का चीर-हरण किया, इसलिए इसको सजा मिलनी ही चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा साहस बटोरिए, इसी सदन में कहें कि हम फिर बहस करेंगे और सारा भारत, सारी बातें एक के बाद एक कहेगा और अन्त में कहेगा कि हम गुलामी के फंदे को गले में नहीं बांधेंगे।

इतिहास से हमें सबक सीखना चाहिए। एक बार नेपोलियन ने कहा कि मुझे मुकुट की जरूरत नहीं थी, मुकुट तो धूल में लेट रहा था, उसे मैंने अपनी तलवार की नोंक से उठाकर अपने माथे पर रख लिया और यह इतिहास की घड़ी कभी-कभी आती है। इतिहास गवाह है अमरीका ने एक पिस्तौल और थोड़ा सा बारूद लेकर उसको भेजा नेस्तनाबूद करने के लिए। क्या था अमरीका में एक बेर का फल मात्र। उसका एक विदेशी राजदूत जो इटली में था, मणिशंकर अय्यर नहीं है, उनको सुनाता, चावल की धान चुरा कर लाया और अपने यहां जांच करवाई तथा उसको अपने यहां पैदा किया और प्रचार किया। इसके लिए उन्हें इनाम दिया गया और वे अमरीका के राष्ट्रपति बने। कभी किसी देश से किसी चीज को कभी किसी देश से किसी चीज को लाने का काम किया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा जी, आपने 40 मिनट लिए हैं। अब कृपया अपनी बात समाप्त कर दें।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय अभी तक सत्ता पक्ष के केवल दो सदस्य ही बोले हैं। हमारे कृषि मंत्री यहां इन्तजार कर रहे हैं। सभा स्थापित होने से पहले उन्हें आज बोलने का अवसर मिलना चाहिए। कल यह बहुत कठिन होगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, क्या कार्यक्रम है ? आज सभा स्थगित कब होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा के समाप्त करने के बाद, यदि सभा सहमत होती है तो हम आधा

घण्टे और बैठ सकते हैं और श्री वी. एस. राव या श्री पी. जी. नारायण को बोलने की अनुमति दें सकते हैं। कल बोलने वाले अनेकवक्ता होंगे। जो बोलना चाहेंगे उनके लिए बोलना कठिन होगा। मैं श्री भोगेन्द्र झा से अपनी बात समाप्त करने का अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : उपाध्यक्ष जी, आप जैसे अनुमति दीजिए, वैसा मैं करूं। मैं इस पर और बोलना चाहता हूं क्योंकि हो सकता है कि 5 तारीख को हम लाठी खाएं, गोली खाएं।

मैं खा चुका हूं, भुक्तभोगी हूं। खतरा मामूली नहीं है। ....(व्यवधान)....

हमारे वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री कुछ तुलना में जाते हैं, छोटे देशों का मैं अपमान नहीं करूंगा, अमरीका की बात मैंने कही। हमारा क्या हाल है। ....(व्यवधान)....

7.06 म. प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : मुझे अन्दर बैठकर आपका भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब इसके बाद डंकल प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा : ये इतना ही कह दें कि 15 तारीख को हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो मैं बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह फाईनल डौकूमैंट है, इसमें कौन सी चीज हमारे खिलाफ जाने वाली है, यह बताने के लिए चर्चा हो रही है। हम महाभारत के अन्दर जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा।

श्री भोगेन्द्र झा : महाभारत लिखने वाले ने यही सोचा था – यन भारते तन भारते। हमारी आने वाली पीढ़ी के लोग सबक लेंगे।

हमारी कृषि में सीमान्त और लघु किसानों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि ....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : इसके ऊपर आपको जितना टाइम बोलना है, मैं बोलने दूंगा, जनरैलिटीज़ में जाने के लिए समय नहीं है, दूसरे लोगों को भी बोलना है। 40 मिनट बोलने के बाद मैं आपको यह कह रहा हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : आप शायद नही थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं अन्दर बैठकर पूरा भाषण सुन रहा था, इसलिए आपको बताया है।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, आप एक महत्वपूर्ण काम में थे, हम लोग चूक गए। लेकिन बहुत सी चीजें गायब हैं। 1947 का गैट एक्ट अभी हमारे सामने देखने को नहीं है। 1986 वाला भी अभी तक नही दिया गया है और इसमें जो हिस्सा गायब है, वित्त मंत्री जी ने खुद कहा कि इसमें हमें दिलचस्पी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह कोई कौनफीडैनशल डौकूमैंट नहीं है, सब लाईब्रेरी में है चाहें तो देख सकते हैं।

....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नही है। पार्लियामैंट में ऐसा डिसक्रीशन नहीं होना चाहिए।

....(व्यवधान)....

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं इसे प्रत्येक सदस्य को भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। सार्वजनिक दस्तावेज सभी के लिए उपलब्ध है।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : यही नहीं हो सका और सदन में वाणिज्य मंत्री ने कहा कि इन मामलों में हमारा ताल्लुक नही है। इसमें लिखा है कि इन टोटैलिटी हम करेंगे। जो हमारे सामने है, उसका उल्टा ये बोल रहे हैं और यहीं मैंने बताया है।

[अनुवाद]

सदस्य सहमत हैं कि बहुपक्षीय व्यापार संगठन स्थापित करने वाला समझौता पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए खुला होगा, या तो हस्ताक्षर से या अन्यथा

[हिन्दी]

कई बार हमारे वाणिज्य मंत्री बोल चुके हैं कि उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। यहां स्पष्ट लिखा है ऐज़ ए होल। इसलिए हमारे सीमान्त और लघु किसान बड़ी तकनीक बिना अनुदान के उपयोग नहीं कर सकते, समझने में भी समय लगता है और बीज के मामले में इससे पहले वाणिज्य मंत्री सदन में कह चुके थे कि किसान बीज को बेच नहीं सकेगा। किसानों की इतनी बड़ी संख्या है, दिल्ली की सरकार पर जिम्मा होगा, उनपर मुकदमा चलाओ, जो बीज बेचता है उसे जेल भेजो। इतना बड़ा भार, यह सरकार ने रहे, दूसरी आएगी लेकिन उसे भी हम बंधन देकर जा रहे हैं। ....(व्यवधान)....

भारत में क्षमता है, सब मिल कर बेहतर सरकार बना सकते हैं।

अध्यक्ष जी, ऐसी हालत में जो हमारे लघु और सीमान्त किसानों का बाहुल्य है, उनके लायक कृषि नीति का मामला है, बीज देने का मामला है और उसी के लायक सामान उत्पाद को खरीदने का मामला है। हम अमरीका या फ्रांस की नकल करेंगे तो हमारे किसान जिन्दा नहीं रह पायेंगे। इससे उनकी जमीन छीन जायेगी। मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहता हूं ....(व्यवधान).... मैं जब बच्चा था तो मेरी मां एक रुपये मन धान बेच कर मुझे पढ़ने के लिये पैसा देती थी। उस समय एक रुपये में डेर सेर घी मिलता था। हमारे यहां गांवों की जमीनें नीलाम हो गई। हमारे बगल में 52 एकड़ जमीन ढ़ाई सौ रुपये से नीलाम हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : भोगेन्द्र झा जी, ऐसे नहीं करें। 40 मिनट आपको बोलते हो गये हैं। आप इस गैट पर जितना बोलना चाहें बोल सकते हैं लेकिन इतिहास में नही जाकर वर्तमान और भविष्य में जायें।

श्री भोगेन्द्र झा : ऐसा रूलिंग आप दे दें कि इतिहास से मुक्त हो जायें तो हमारा बोझा बहुत कम हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : इसके अन्दर जो लिखा है, उस पर आप बोलिये, नहीं तो परेशानी हो जायेगी।

श्री भोगेन्द्र झा : इन्होंने कहा है कि सब पर दस्तखत नहीं करेंगे लेकिन कुल मिलाकर आपको करने पड़ेंगे। इससे दवाओं की कीमत बढ़ेगी। आजादी के बाद दवाओं के क्षेत्र में जो हमने प्रगति की है ....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : आप इसको छोड़ दीजिये। फाइनल ऐक्ट पर आपको बोलने का समय दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : वे अपना निष्कर्ष निकाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब आपको बोलना है तो मुझे आपके लिए समय निकालना पड़ेगा।

श्री लोकनाथ चौधरी : क्या यह देखना हमारा काम नहीं कि परिणाम क्या निकलेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है।

श्री लोकनाथ चौधरी : यही बात है

अध्यक्ष महोदय : अब आपको अपनी बात समाप्त करनी पड़ेगी।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं इस भावना से कह रहा हूं कि शायद परिवर्तन हो जाये। आप ऐसा ऐलान कल ही कर दें ....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने इसे समझ लिया है तो ठीक है।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं हमला करने के लिये अपनी बात को नहीं कह रहा हूं। मैं इस आशा से बोल रहा हूं कि शायद इनमें सद्बुद्धि अपने देश और भविष्य के हित में आ जाये। मंत्री जी ने अनियंत्रित मूल्यों के बारे में कहा है। इससे हो सकता है अनाज में फाजिल हो जायें और करोड़ों लोग भूख से मरने लगे, जैसी हालत पहले होती थी। जवाहर लाल जी हिंसक जीव नहीं थे। उन्होंने कहा था कि ....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : आप गैट पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : यह सब इसी में है

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब आपको समाप्त करना पड़ेगा

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : जो फाइनल ऐक्ट का मामला है, उसमें परिवर्तन हुआ है लेकिन उनके मूल तत्वों में परिवर्तन नहीं हुआ है। वे सारी धारायें अभी भी कायम हैं। उनके कायम रहने से जो खतरा हमारे ऊपर पैदा हो जाता है कि हम जैविक तत्वों के मामले में, पेटेंट के मामले में, बीज के मामले में, जन वितरण प्रणाली के मामले में नियंत्रित होंगे,

जिनेवा से और वहां के निदेशालय से और इस संसद् की सम्प्रभुता समाप्त हो जायेगी..

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा मत कीजिए।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, आप चुप रहें तो मैं केवल 10 मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूं।

एक मौलिक बिन्दु है। केन्द्र और राज्य के मामले में हमने अपने संविधान को लचीला बनाने का प्रयास किया है। अब भी यह मांग है कि ज्यादा अधिकार राज्यों को मिलें। कृषि राज्य के हिस्से में है मगर कृषि के मामले में एक करार हम विदेश के साथ करने जा रहे हैं। राज्यों का अधिकार छीनकर हम करने जा रहे हैं लेकिन उनसे एक विचार करके, एक सम्मेलन करके हमने ऐसा करने का प्रयास नहीं किया है। मैं समझता हूं कि केन्द्र राज्य का संघर्ष भी आप बढ़ाने जा रहे हैं, उपभोक्ताओं के लिए महंगाई बढ़ाकर आप संघर्ष बढ़ाने जा रहे हैं और किसानों के बीच में हाहाकार कराने जा रहे हैं। अब खतरा है कि जो सीमान्त और लघु किसान हैं, वह लुट जायेंगे, उनकी जमीन छिन जायेगी और दिल्ली में करोड़ों लोग आ आकर भटकेंगे। कंगालों की यह सेना हमको, आपको किसी को भी चैन से नहीं रहने देगी। इन सब के हित में आवश्यक है कि यह हमारी गुलामी का जो फंदा है, यह हथियार के युद्ध से कम खतरनाक नहीं है और इसलिए मैं आपकी अनुमति से सरकारी पक्ष से आग्रह करता हूं कि सबों के साथ हृदय है, सबों को देश के हित का ख्याल है इसलिए पार्टी की दीवार तोड़कर, अगर हमारे वाणिज्य मंत्री और वित्त मंत्री वचन दे आये हैं तो वह सरकार से अलग होकर यह वचन निभायें।

देश बचे, भारत बचे और यह गुलामी का फंदा हम ठुकरायें। कल साहस करके यह एलान करें कि हम 15 तारीख को हस्ताक्षर नहीं करने जा रहे हैं और जो प्रदर्शन होने जा रहे हैं, उसमें बोट क्लब पर आने की इजाजत दें। आखिर बोट क्लब किस काम के लिए है ? अगर देश के लिए बोट क्लब पर कल कोई प्रदर्शन होने जा रहा है, जार्ज साहब चुपके से गरदन हिला रहे हैं। कहीं कल ही ऐसा नजारा न हो जाय कि घायल होकर हम लोग यहां आयें या 5 को आये या 6 को आयें। मुद्दा लगभग एक ही है। जो स्थिति है, इसमें आप दमनकारी रास्ते पर न जायें। एक अशुभ संकेत देश के लिए आप दे रहे हैं और भविष्य के लिए आप देंगे, इसलिए मैं फिर कहूंगा, "उत्तोतिष्ठ परन्ताप:" कि थोड़ा साहस कीजिए और कल साहस करके देश के हित में और अपने हित में भी आप एलान करें कि हम 15 तारीख को हस्ताक्षर नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है कि इसके ऊपर बहुत सदस्य बोलना चाहेंगे। अगर इस डंकल प्रस्ताव पर बोलें तो भी टाइम कम पड़ने वाला है लेकिन आप हिस्ट्री पर बोलेंगे तो टाइम बहुत कम पड़ेगा।

....(व्यवधान)....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या हम चर्चा आगे जारी रखें या इसे स्थगित करें।

....(व्यवधान)....

श्री लोकनाथ चौधरी : क्या इतिहास को छोड़कर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अब सैद्धांतिक पक्षापर नहीं जा रहा हूँ। हमारे पास कृपया समय नहीं है।

....(व्यवधान)....

श्री लोकनाथ चौधरी : यदि आप इस पर दृढ़ नहीं है तो आप गम्भीर समस्या में पड़ जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा अन्तिम अध्यादेश पर है। यह चर्चा अभी तक जो कुछ हो चुका है उस पर नहीं है, क्या हम जारी रखें ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हाँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि एक सदस्य बोल सकता है। साढ़े सात बजे हम उठ सकते हैं। यह तय हो गया। 15 मिनट के अन्दर हम इसे समाप्त कर सकते हैं।

अब, मैं भी शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे को बोलने की अनुमति देता हूँ।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर देने हेतु मैं आपका आभारी हूँ।

जहाँ तक पेटेंट का प्रश्न है, 1967 की पेरिस कन्वेंशन के ठोस प्रावधानों को पूरा किए जाने के पक्ष में आम भावना है। समझौता यह कहता है कि 20 वर्ष के लिए, सभी अविष्कारों/खोजों को पेटेंट का संरक्षण मिलना चाहिए। यह काफी गंभीर मामला है क्योंकि इन वर्षों में हमारा देश पेरिस कन्वेंशन का हस्ताक्षरी नहीं रहा और न ही इसने पेरिस कन्वेंशन में लिए गए निर्णयों का समर्थन किया। लेकिन हमारी सरकार का विचार अन्तर्विरोधी है क्योंकि हमारी सरकार हर समय यही सोचती रही है कि खोज करने वाले व्यक्ति की प्रतिभा की कद्र होनी चाहिए। लेकिन, साथ ही साथ, इन खोजों का फल देश में अधिक से अधिक संख्या में आम जनता के बीच पहुँचना चाहिए। इसीलिए, 1970 का पेटेंट कानून अस्तित्व में आया है। अब जो अन्तिम समझौता किया गया है वह हमें मसौदा 1970 के पेटेंट कानून में पूर्ण परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर रहा है। साथ ही, पेटेंट के लिए बीस वर्ष की अवधि विकास को भी चोट पहुँचाने वाली है जो हम विज्ञान और प्राद्यौगिकी के क्षेत्र में प्राप्त कर सकते है क्योंकि इस समय हमारे पास प्रक्रियागत पेटेंटों के लिए भी हमारे पास केवल सात वर्ष का ही समय है। लेकिन यह बीस वर्ष की अवधि निश्चित रूप से इस संबंध में हमारे विकास में रूकावट डालेगी। यद्यपि अनिवार्य लाइसेंसिंग के लिए प्रावधान है तथापि अनिवार्य लाइसेंसिंग की प्रावधानों में परिवर्तन करने से सरकार की शक्तियाँ काफी कम हो गई हैं। जब सरकार किसी और को अवसर देना चाहे, जब पेटेंट धारक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करता है, या जब पेटेंट धारक पर्याप्त मात्रा में देश के लोगों को समान उपलब्ध नहीं करा पाता तब यदि सरकार किसी और से उत्पादन करवाने हेतु कुछ करना चाहे तो उसके पास इस प्रयोजार्थ पर्याप्त शक्तियाँ रहेंगी। वर्तमान में सरकार यदि किसी और द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन करवाने हेतु उसे सीधे लाइसेंस देना उचित समझती है तो 15 दिसंबर को हस्ताक्षर किये गये इस अंतिम कानून के अनुसार पेटेंट धारक को ब्यौरा देना होगा उसकी बात सुननी होगी और बाद में यदि कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो उसको भी निपटाना होगा। केवल तभी सरकार को अनिवार्य लाइसेंसिंग देने की शक्ति होंगी। इसके द्वारा हमारे राष्ट्रीय हितों को चोट पहुँचने जा रही है। मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से जानना चाहूँ कि वे किस तरह इस स्थिति का मुकाबला करेंगे। 15 अप्रैल को जब वे अन्तिम समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिस पर 15 दिसंबर, 1993 को सहमति दी गई थी, तो वे किस तरह इस समस्या से निपटेंगे।

मैं भारतीय कृषि को लगे आघात के विस्तार में नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले, माननीय कृषि मंत्री ने इनमें से कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए हममें से कुछ को आमंत्रित किया था। उस समय, उन्होंने हमें यह आभास देने का प्रयास किया था कि भारतीय कृषि प्रभावित नहीं होने जा रही है। उस बैठक में श्री सोमनाथ जी, नीतीशजी तथा अन्य सहित हममें से कुछ व्यक्ति उपस्थिति थे। हमने उनसे विशेष रूप से किसान द्वारा अपने पड़ोसी को अथवा पड़ोसी गाँव में किसानों को अपने बीज को बेचने के बारे में पूछा था। कुछ सरकारी अफसर भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया था इससे वे प्रभावित नहीं होंगे आपको तब भी अपनी चीजें बेचने की अनुमति होगी तथा इन्हें फसल की बिक्री जैसा समझा जायेगा। तब हमने उनसे कहा कि यदि ऐसा है तो ठीक है लेकिन मान लीजिए कि एक विशेष जिले में एक खास फसल के लिए एक लाख हेक्टर भूमि पड़ी है और एक पेटेंट धारक एजेन्सी या उसके द्वारा प्राधिकृत एजेन्ट किसी बीज की खास मात्रा उस जिले में बेचते हैं। शेष का प्रतिरोपण किस प्रकार किया जायेगा ?

आंशिक रूप से यह उन किसानों द्वारा किया जाता है जिन्होंने पिछली फसल से कुछ बीज बचा लिया है तथा शेष का प्रतिरोपण निस्संदेह किसानों के बीच आपस में बीजों के विनियम या बिक्री द्वारा किया जाता है। इस परिस्थिति में, क्या वह पेटेंट धारक यह अनुभव नहीं करेगा कि उसके पौधा संरक्षण या पौधा विकास करने का अधिकार प्रभावित हुआ है या इसका हनन हुआ है ? उस परिस्थिति में, क्या वह विश्व व्यापार संगठन के पास शिकायत नहीं करेगा कि फलां देश में फलां स्थान पर, उसके अधिकार को कम किया गया अथवा उसका हनन किया गया है ? तब, क्या भारत सरकार इस देश के किसानों पर मुकदमें दायर नहीं करेगी या उनके विरुद्ध ऐसे कोई कानूनी कदम नहीं उठाएगी जो वह उठाना उचित समझती हों ? सरकार ने इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अतएव, हमारी शंका है कि किसानों का यह पारंपारिक अधिक समाप्त होने जा रहा है। वास्तव में, सरकार यह कह रही थी कि उसने इस विशिष्ट बात का प्रस्तुत किये जाने वाले विधायी प्रारुप में ध्यान रखा है। जो मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से कल उनके उत्तर में स्पष्ट रूप में यह जानना चाहूँगा कि कानूनी प्रारुप में उनके द्वारा उल्लेखित शब्दों के बावजूद इसकी वैधता क्या होगी क्योंकि अन्ततोगत्वा तो वह अन्तिम समझौता मान्य होगा जिस पर हस्ताक्षर किये गये हैं अथवा 15 अप्रैल को किये जायेंगे। इस समझौते के प्रावधानों के विरुद्ध की बात किस प्रकार मान्य होगी ? इस पर हम माननीय वाणिज्य मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहते हैं। इसमें इसे ज्यादा स्पष्ट नहीं किया गया है।

पहले खाद्य एवं कृषि संगठन की बैठक में, यदि निर्णय लिया गया कि जब एक पौधे की किस्म विकसित करने वाला अपनी खोज के लिए किसी लाभ अथवा कीमत अदा करने के लिए दवाब डालता है तो उन बीजों के विकास एवम् लम्बी अवधि तक उन्हें संरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी किसानों तथा समुदायों को इसका लाभ भी दिया जाना चाहिए। यह विशिष्ट बात आज लागू नहीं की जा रही है।

हमारे देश में अब तक उपलब्ध सभी बहुमूल्य आनुवंशिकीय संसाधनों को उन विकसित देशों द्वारा अभी तक उनका उपयोग किया गया है। वे कहते है कि यह मानव समुदाय की सांझी विरासत है। उन्होंने यह रुख अख्तियार किया। लेकिन अब जब उन्होंने जैव प्राद्यौगिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में कुछ धनराशि का निवेश

ि ना है तो वे हमारा शोषण करना चाहते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हो सकता है कि उनके अनुसंधान य. उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप उन्होंने कुछ जीन को अलग किया होगा जिसका एक विशिष्ट गुण हो, लेकिन वे इसे किसी ऐसी आधारभूत सामग्री पर रखना चाहते हैं जो हमारी हैं हमने वह सामग्री दी है; जो केवल हमारी नेशनल जेनेटिक बैंक, दिल्ली द्वारा ही नहीं दी गई थी बल्कि जो मनीला और कई अन्य स्थानों से भी दी गई थी। इस आधार भूत सामग्री के लिए क्या हमें धनराशि मिलेगी ? क्या सरकार इस संबंध में कोई गारंटी देगी ? मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से इस संबंध में स्पष्ट उत्तर चाहूँगा।

श्री जसवंत सिंह : यह अच्छा प्रश्न है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैं सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में एक बात कहूँगा। मैं आज अपने भूतपूर्व वाणिज्य सचिव श्री गणेशन के वे शब्द उद्धृत करूँगा जो उन्होंने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहे थे। उन्होंने कहा और मैं उद्धृत करता हूँ :

"मैं समझता हूँ कि यह हमारे हित में है कि हम सूक्ष्म जीवाणुओं की पूर्णत: पेटेंट प्रणाली से अलग रखें। यदि हम सूक्ष्म-जीवाणुओं को पेटेंट से बाहर नहीं रखते तो कम से कम स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली जीन शृंखला आदि का पेटेंट प्रणाली से अवश्य बाहर रखें।"

उन्होंने कहा था कि हमें डंकेल प्रस्ताव को मानने से इंकार करना चाहिए। उन्होंने सभापति के प्रश्न का उत्तर यह कहते हुए दिया

"पहले, आपने पूछा था : क्या हम वह कर सकते हैं ? हम इसे कर सकते हैं। कुछ खास पहलू हैं जिनको हमें नहीं मानना चाहिए। जब हम अपना कानून बनायें तो हमें उसमें केवल इतना कहना है कि सूक्ष्म जीवाणु का पेटेंट तभी होगा जब उनमें जेनेटिक सुधार किया गया हो।"

एक तरह से वे सही हैं क्योंकि ये सूक्ष्म-जीवाणु और सूक्ष्म-जैविक प्रक्रिया ही भविष्य हैं। आने वाले कुछ दशकों में लगभग सभी जैव उर्वरक, जैव-कीटनाशक, कई दवाईयाँ तथा अन्य उत्पाद इस जैव-प्राद्यौगिकी और जेनेटिक संसाधनों के माध्यम से आयेंगी इस परिस्थिति में आप किस तरह अपने देश के हितों की रक्षा करेंगे? यह सबसे बड़ा प्रश्न है जो मैं सरकार से स्पष्ट करने के लिए कहूँगा।

राजसहायता के बारे में मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा। मैं अपने सहयोगी श्री रूपचंद पाल से पूरी तरह सहमत हूँ जिन्होंने बहस शुरू करने के दौरान कहा था कि सरकार की यह आशा कि यह बड़ी सफलता होगी और यह भारतीय कृषि को काफी प्रोत्साहन मिलेगा वास्तव में शायद संभव न हो। क्योंकि उत्पादन मूल्य में काफी वृद्धि होने जा रही है हालाँकि वास्तव में आज इस अंतिम पाठ के अनुसार हमारा देश कृषि क्षेत्र में राजसहायता समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। मैं केवल दो-तीन वाक्य अपने भूतपूर्व वाणिज्य सचिव श्री गणेशन के उद्धृत करना चाहूँगा। उन्होंने हाल ही में 'दि हिन्दू' में एक लेख लिखा है।

"कृषि क्षेत्र में किसानों को दी जानेवाली राजसहायता को घटाने के लिए हम किसी बंधन से बँधे नहीं हैं। इसका कारण सामान्य-सा है। हमारे उत्पादरहित विशिष्ट राजसहायताओं यथा उर्वरक, जल, विद्युत, बीज, कीटनाशक पर दी जानेवाली राजसहायता का कुल सकल मूल्य तथा सभी फसलों का मूल्य क्रेडिट तथा उत्पादक

विशिष्ट राजसहायता यथा लगभग बीस कृषि वस्तुओं पर दिये जानेवाला न्यूनतम समर्थन मूल्य 1986-87 से 1988-89 संबंधित आधार अवधि के दौरान 19,860 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के बराबर कम कर दी गयी है।"

जब हम कृषि क्षेत्र के दोनों मोर्चों पर दी जा रही कुल राजसहायता पर विचार करते हैं तो 19,860 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से राजसहायता कम हो जाती है। इसने आपको उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता घटाने से नहीं रोका तथा फास्फेटिक उर्वरकों एवं पोटाशिक उर्वरको का मूल्य विनियंत्रण करने से नहीं रोका। कुछ दिनों पहले हमें दी गई आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने अपना इरादा स्पष्ट किया कि जल की दर बढ़ाई जा रही है, विद्युत टैरिफ दरें बढ़ायी जाने वाली है। बजट सत्र के बाद सरकार निर्णय कर सकती है। कुछ राज्यों में होनेवाले विधानसभा चुनाव इसे कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, परन्तु यह पूरे तौर पर निश्चित है कि सरकार उन्हें बढ़ाने जा रही है। इस परिस्थिति में जैसा कि श्री रूपचंद पाल ने कहा कि उत्पादन मूल्य बढ़ेगा और तब यह सच हो सकता है कि हम अपने कृषि उत्पाद विकसित देशों को निर्यात करने में लाभप्रद स्थिति में न हों।

कई बार सरकार एक बात कहती रही है चूँकि उन देशों में राजसहायता कम की जानेवाली है, हमें उसका लाभ मिलेगा। वास्तव में, जापान में उत्पादक राजसहायता कृषि मूल्य का 68 प्रतिशत है, यूरोपीय समुदाय में 48%, कनाडा में 41%, और अमेरिका में 30% है। यह कम नहीं होने वाला है। राजसहायता का केवल 20% भाग घटाई जानेवाली है। तथापित उन देशों के पिछड़े कृषकों, कम संसाधन वाले किसानों के लिए, जो यहाँ की 18 एकड़ दलदलभूमि या 30 एकड़ की परती भूमि रखने वाले किसानों से निश्चित रूप से बेहतर है, वहाँ पर राजसहायता जारी रहेगी। कई लोग इस बात पर निश्चित हैं इन परिस्थितियों में मैं कहना चाहूँगा कि सरकार इसे अवश्य ध्यान में रखें।

मैं यह नहीं कहता कि हर समय के लिए कृषि टैरिफ में वृद्धि नहीं करनी चाहिए या जल की दर नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि रख-रखाव प्रभार सही रखा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा एक अवधि के बाद ही किया जाना चाहिए जिससे कि किसानों पर इसका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़े।

इसे भी किसी की कमर नहीं तोड़नी चाहिये। अंततोगत्वा उद्देश्य यह है कि कालांतर में धीरे-धीरे, कार्यकुशलता में भी सुधार हो तथा रख-रखाव का मूल्य भी वसूल हो जाये। साथ ही, हम इस स्थिति में हों कि उत्पादन वृद्धि के द्वारा न केवल हम घरेलू माँग को पूरा कर सकें बल्कि विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकें। मैं सरकार को यह सलाह देता हूँ कि केवल यह कहना कि हमें लाभ होगा या हम काफी निर्यात कर पाएँगे तब तक फलीभूत नहीं हो पाएगा जब तक कि आप अब तक की नीतियों में परिवर्तन न लाएँ क्योंकि हमारे देश की निर्यात 1 प्रतिशत से घटकर 0.5 प्रतिशत हो गया है।

चीन गैट के बाहर है। हम अपने देश की तुलना चीन से कर सकते हैं क्योंकि चीन और हमारा देश दोनों ही में काफी जनसंख्या है और हमारी परिस्थितियाँ एक सी हैं। अतएव, जब हम 1982 तथा 1993 के बीच इन दो देशों की तुलना करते हैं तो पाते हैं कि हमारे देश का निर्यात आठ बिलियन डालर से बढ़कर केवल 18 बिलियन डालर हुआ है जबकि इसी अवधि के दौरान चीन ने अपना निर्यात 20 बिलियन डालर से बढ़ाकर 88 बिलियन डालर कर लिया है।

मेरा मानना है कि गैट के बाहर रहकर भी, वह अपने में सुधार लाने में और आगे जाने में काफी सफल रहा है; अतएव, हमारे देश को भी उसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। उनके पास कुल व्यापार शेष का लगभग 30 बिलियन डालर है, जबकि हम बड़ी मुश्किल से अपने भुगतान संतुलन को पूरा कर पा रहे हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवघर) : चीन अब गैट में घुसने की कोशिश कर रहा है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : हो सकता है। परन्तु कृपया बहस को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास न करें। यह स्तर है जो हमारे पिछड़ने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

कृषि क्षेत्र में विशेषरूप से, 1960-61 के दौरान, कृषि की हिस्सेदारी हमारे देश के कुल निर्यात का 44% था। यह घटकर हो गया 30% और अब यह केवल 19% है। अतएव, एक भूल निश्चित रूप से हुई है और सरकार द्वारा पालन की जा रही नीति में निश्चित रूप से कमी है। कृषि के प्रति सौतेला व्यवहार इसके लिए जिम्मेवार है।

अत:, कृपया इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करके इसमें आवश्यक परिवर्तन करें।

'ट्रिम्स' के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस समझौते में यह वचन कहते थे कि हमें अपने आयत प्रतिबन्ध अथवा आयात शुल्क में 1995 से लेकर आने वाले छ: वर्षों तक लगभग 40 प्रतिशत कमी करनी चाहिए। लेकिन हमारे माननीय वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने वर्तमान बजट में ही इसे 125 प्रतिशत घटाकर 65 प्रतिशत कर दिया है। सीमा शुल्क को पहले ही 60 प्रतिशत कम कर दिया गया है। नि:संदेह, इसका हमारे घरेलू उद्योग पर गंभीर तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। मेरे पास इसका विश्लेषण करने का समय नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे समय से बहुत पहले ही समझौते के प्रावधानों को लागू कर रहे हैं। हालांकि समझौता 1995 से लागू होता है लेकिन उन्होंने पूँजीगत माल, कच्चे माल इत्यादि अनेक चीजों पर सीमा शुल्क को कम करके समझौते पर अमल करना शुरु कर दिया है ? मैं यही कहना चाहता हूँ।

'ट्रिम्स' के संबंध में, महान अर्थशास्त्री तथा विधि वेत्ता, श्री नानी पालकीवाला, जो केन्द्रीय बजट का समर्थन किया करते हैं, ने भी दो दिन पहले विदेशी संस्थागत उद्योगों अथवा संस्थाओं द्वारा भारतीय उद्योगों को हथिया लेने की संभावना के संबंध में चिंता व्यक्त की है क्योंकि इस समय हमारी सरकार यूरो इश्यूज तथा यूरो बांड्स के माध्यम से 24 प्रतिशत इक्विटी की अनुमति दे रही है। अत: हमारे घरेलू उद्योगों पर उनकी पकड़ बढ़ने की संभावना है। ताइवान तथा दक्षिण कोरिया जैसे देशों में काफी प्रगति की है तथा औद्योगिक क्षेत्र में काफी आगे हैं।

अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए उन देशों में अपने यहाँ उद्योगों की इक्विटी में विदेशी संस्थागत संगठनों के निवेश हेतु 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। जब तक हमारी सरकार इस तरह की एहतियाती कार्यवाही नहीं करती तथा व्यापार से संबंधित निवेश उपायों में आवश्यक सुधार नहीं लाती, तब तक हमारे देश के हित प्रभावित होंगे। और महोदय, यह अनुमान लगाया गया है कि इससे हमारी सरकार को मुश्किल से 2 बिलियन डालर का लाभ होगा। इस समझौते से 220 बिलियन डॉलर के अपेक्षित लाभ की तुलना में भारत को अनुमानत: केवल 2 बिलियन डालर का ही लाभ होगा जबकि, जैसाकि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा है, चीन

को 37 बिलियन डालर का लाभ होगा। वस्त्र के क्षेत्र में भी जिसमें हमें तुलनात्मक लाभ है, हमारा निर्यात तीन बिलियन डालर है जबकि चीन का निर्यात 17 बिलियन डालर है। खिलौनों के क्षेत्र में भी उन्हें आठ बिलियन डालर मिल रहे हैं। दीक्षित जी ने भी समिति के समक्ष यही कहा है। मेरा कहना है कि यदि सरकार सावधानी बरते और घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दे तो हमारे उद्यमी भी काफी लाभ कमा सकते हैं। महोदय, परसों के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में एक चौंका देने वाला समाचार प्रकाशित हुआ था कि अमरीका हमारे मंत्रीजी द्वारा 15 अप्रैल को उक्त समझौते पर हस्ताक्षर कराने के लिए प्रयासरत है। समाचारपत्रों में यह भी आया था कि भारत में श्रम सस्ता है तथा उन देशों में वस्तुओं का मूल्य निश्चित रूप से अधिक मिलेगा कीमतों में अन्तर बना रहेगा और वे विकासशील देशों में उन देशों में होने वाले वस्तुओं के निर्यात को यह कहते हुए रोकना चाहते हैं कि भारत औद्योगिक मजदूरों को अधिक मजदूरी नहीं देता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसका अर्थ यह है इस सम्बन्ध में बातचीत की गुंजाइश है ?

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, हमें पेरिस कन्वेन्सन के निर्णय के अनुरूप ही कार्य करना है मैं उस कन्वेंन्सन के निर्णय से उद्धृत करता हूँ :

"कन्वेसन इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि पेटेन्टी द्वारा पेटेन्ट प्रदान करने वाले देशों को पेटेन्ट वस्तुओं के आयात से अनिवार्य लाइसेन्स देना न तो समाप्त होगा या बेकार ही जायेगा कन्वेसन का विशेषकर यह प्रावधान विकासशील देशों के लिए आपत्तिजनक है। पांचवा, समझौते में सभी पेरिस वासियों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने का प्रावधान है।"

वे यह दलील दे रहे हैं कि विकासशील देश पारिश्रमिक दे रहें हैं जबकि वे अधिक पारिश्रमिक दे रहे हैं। जर्मनी में पारिश्रमिक लगभग 27 डालर प्रति घंटा है जबकि हम जानते हैं कि हमारे देश में यह बहुत कम है। ऐसे गलत तरीकों से अमरीका तथा अन्य विकसित देश विकासशील देशों के लिए परेशानियाँ पैदा करने जा रहे हैं। अन्य कई क्षेत्रों के बारे में उनका कहना है कि मुक्त व्यापार व्यवस्था रहनी चाहिए तथा इस सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही अपने हित के लिए वे हम लोगों के लिए परेशानियाँ पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार को अपने निर्णय पर दृढ़ रहना चाहिए तथा उसे किसी भी स्थिति में इसे स्वीकार नही करना चाहिए। जहाँ तक वर्तमान समझौते का सम्बन्ध है, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि वे 15 अप्रैल को समझौते पर हस्ताक्षर न करें। महोदय, आप पीठासीन नही थे; उस समय सभापति महोदय पीठासीन थे और जसवंत सिंह जी ने एक मुद्दा उठाया था जिसके उत्तर में उन्होंने कहा कि यह हमारी सरकार वायुयान तथा सरकार द्वारा की जाने वाली खरीद सहित अन्य क्षेत्रों के मामले में सहमत नहीं हुई है। इसी तरह, कृषि तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में भी हमारी सरकार को यह नीति अपनानी चाहिए कि जब तक इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे।

यदि 15 अप्रैल तक भी इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है तो मेरा यह सुझाव है कि सरकार को अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिएं।

यदि सरकार इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करती है तो यह देश वासियों के लिए बहुत अहितकारी होगा। हमारे

देश की संप्रभुता समाप्त हो जाएगी जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इतना संघर्ष किया तथा इतनी कुर्बानियां दी थीं उन्होंने यह सोच कर देश को स्वतंत्रता दिलाई थी कि इस महान देश की आने वाली पीढ़ियां सभी क्षेत्रों में प्रगति करेंगी तथा गरीबी और दुःखों का अन्त हो जाएगा। परन्तु इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी अन्धकार हो जाएगा वे आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। निश्चय ही, समय आने पर इस देश के लोग वर्तमान सरकार को देश की संप्रभुता को विकसित देशों, विशेषकर अमेरिका के हाथों गिरवी रखने के लिए उखाड़ा फेकेंगे।

मुझे बोलने का अवसर देने हेतु मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अब आज की कार्यवाही समाप्त की जाए और कल 11 म० प० पर सभा पुनः समवेत होगी।

7.46 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 30 मार्च, 1994 (9 चैत्र, 1916) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थागित हुई।

पी० एल० एस०—48/29/18/94 (एम०)
250

© 1994 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265 डा० सेन मार्ग, दिल्ली-11006 द्वारा मुद्रित ।